"उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन"

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विषय में
पी0-एच0 डी की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2002

अनुसंधानकर्ता :
प्रवीन कुमार

सहायक निर्देशक :
डॉ० जे० एल० वर्मा
रीडर,
शिक्षा विभाग, बुन्देलखण्ड कॉलेज
झाँसी

निर्देशिका :
डा0 अजंना राठौर
रीडर एवं अध्यक्षा
शिक्षा विभाग, बुन्देल्लखण्ड कॉलेज
झाँसी

डा0 अंजना राठौर

रीडर/अध्यक्षा
शिक्षा विभाग
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,
झाँसी (उ0प्र0)

क्रमांक.........................

दिनांक ....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध कार्य, जिसका शीर्षक **"उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन"** है, **प्रवीन कुमार** द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ0प्र0) की पी-एच-डी (शिक्षाशास्त्र) उपाधि हेतु वर्ष 2002 में प्रस्तुत किया गया है । **यह शोध कार्य छात्र** ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ0प्र0) द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए स्वयं मेरे निर्देशन एवं निरीक्षण में पूर्ण किया है।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ ।
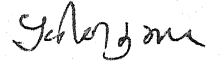
(डा0 अंजना राठौर)
निर्देशिका

शोधकर्ता का प्रमाण पत्र
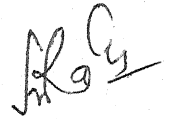
मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रस्तुत शोध कार्य, जिसका शीर्षक **"उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन"** है, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ0प्र0) की पी-एच-डी: (शिक्षाशास्त्र) उपाधि हेतु वर्ष 2002 में प्रस्तुत किया गया है । यह शोध कार्य स्वयं मेरे द्वारा किया गया मौलिक कार्य है, और इसमें जो भी सामग्री विषय के प्रतिपादन हेतु ली गई है, उसका उल्लेख टिप्पणी में किया गया है तथा परिशिष्ट में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची दी गई है। मैंने इस शोधकार्य में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ0प्र0) द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया है।

दिनांक : ....

(प्रवीन कुमार)
शोधछात्र

(डा0 अंजना राठौर)
निर्देशिका

प्राक्कथन

साक्षर राष्ट्र की संकल्पना में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एक सार्थक प्रयास है। अभियान का मुख्य लक्ष्य है, एक निश्चित समय के अन्दर ऐसे निरक्षरों को कार्यात्मक रूप से साक्षर करना जो अभी तक वंचित रह गये हैं । इसलिए अभियान में समाज के सबसे अधिक क्रियाशील एवं जुझारू प्रकृति के 15 से 35 तथा उससे अधिक वयवर्ग के निरक्षरों की साक्षरता पर विशेष बल दिया जा रहा है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का नवसाक्षरों की जीवन शैली पर प्रभाव के अध्ययन के लिए 1000 नवसाक्षरों पर किया गया एक सामाजिक शैक्षिक अध्ययन है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से निरक्षर से साक्षर बनने की प्रक्रिया में नवसाक्षरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक व धार्मिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आया है, उसी का अध्ययन शोध कार्य में प्रस्तुत किया गया है।

इस दुरूह कार्य को सुगमतापूर्वक कराने में मुझे अनेक शिक्षाविदों, संस्थाओं एवं सम्पूर्ण अभियान से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य मानता हूँ । सर्वप्रथम मैं अपने शोध अध्ययन की निर्देशिका **डा0 अंजना राठौर**, ***रीडर/प्रभारी, शिक्षा विभाग, बुन्देलखण्ड कॉलिज, झाँसी*** तथा सहायक निर्देशक **डा0 जे0एल0 वर्मा**, ***रीडर, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी*** का विशेष आभारी हूँ जिनके सफल निर्देशन एवम् प्रोत्साहन के कारण यह कार्य पूर्ण करने में समर्थ हो सका हूँ ।

मैं बुन्देलखण्ड कॉलेज के पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय **एन.सी.ई.आर.टी., यू0जी0सी0, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दिल्ली, राज्य सन्दर्भ केन्द्र दिल्ली–लखनऊ तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय दिल्ली एवं लखनऊ** के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जहाँ से अपने शोध कार्य से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध करने में सहायता प्राप्त हो सकी । इनके अतिरिक्त मैं उन नवसाक्षरों के सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्हें शोध अध्ययन में निर्देशन के रूप में चयनित किया गया ।

मैं उन समस्त लेखकों एवं प्रकाशकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि जिनकी रचनाओं का विषय सामग्री के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में पूर्व सहयोग मिलता रहा है। साथ ही साथ मैं अपने टंकणकर्ता **श्री नीरज मेहरोत्रा** एवं उनके परम सहयोगी **श्री संजीव कुमार दीक्षित** का भी आभारी हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन से इस कार्य को पूर्ण कर शुद्धता प्रदान की ।

(प्रवीन कुमार)
शोध छात्र

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

प्रथम – अध्याय

अध्ययन एक स्वरूप

प्रस्तावना :

हमारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है 'सा विद्या या विमुक्तयें (शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा की इरा परिकल्पना के अन्तर्गत हर व्यक्ति को लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिये क्योंकि आज के युग में यही सीखने का प्रमुख माध्यम है।

अशिक्षित व्यक्ति देश के लिए अभिशाप है। देश भले ही उनके द्वारा की जाने वाली हानि से अनभिज्ञ हो, पर उसे उनकी अशिक्षा का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। इसका कारण बताते हुए, 'कोठारी – कमीशन ने लिखा है — 'विशाल घटना के रूप में निरक्षरता — ''आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को अवरूद्ध कर देती है, और आर्थिक उत्पादकता, जनसंख्या – नियंत्रण, राष्ट्रीय, एकीकरण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और सफाई की उन्नति पर दूषित प्रभाव डालती है।'

'कमीशन का यह कथन हमारे देश पर अक्षरशः लागू होता है। यहाँ के 70 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित है। मानसिक शक्तियों से विहीन होने के कारण, उनको स्वयं निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अतः उनसे देश की उत्पादकता में वृद्धि करने की कल्पना भी नहीं की जा राकती है। यही कारण है कि भारत की उत्पादकता का स्तर निम्न है और उसकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

विश्व जनसंख्या में भारत

भारत और चुनिन्दा देशों में जनसंख्या वृद्धि दर
1990-2000

वार्षिक वृद्धि का औसत (प्रतिशत में)

3.0
2.7
2.4
2.1
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
-0.3

विश्व औसत 1.4

नाइजीरिया
जापान
बंगलादेश
रूस फेड.
पाकिस्तान
ब्राजील
इण्डोनेशिया
यू. एस. ए.
भारत
चीन

भारत में निरक्षरता की समस्या — जटिल भी है और गम्भीर भी है । यह जटिल इसलिए है, क्योंकि हमारे ग्रामों में निवास करने वाले 80 प्रतिशत व्यक्तियों में से अधिकांश निरक्षर होते हुए भी अशिक्षित नहीं है । इसकी पुष्टि एन0ए0 टूथी ने अग्रांकित शब्दों में की है । 'यद्यपि भारतीय ग्रामवासी निरक्षर है, पर इसलिए वह अशिक्षित नहीं है । वह एक अर्थ में शिक्षित है । उसकी स्मृति विलक्षण है, जिसमें उसने अपने देश के प्राचीन समय के विशाल ज्ञान का संचय कर रखा है ।

यह समस्या, गम्भीर इसलिए है, क्योंकि विश्व के निरक्षर वयस्कों में से आधे से अधिक हमारे देश में है । इस तथ्य के समर्थन में पी0एन0 चटर्जी ने कहा है कि विश्व के निरक्षर वयस्कों की सम्पूर्ण संख्या के आधे से अधिक भारत में निवास करते हैं । उनको ज्ञान के अल्प प्रकाश में आलोकित करने का कार्य भी अति विशाल है ।

भारत में निरक्षरता की समस्या के गम्भीरता के सप्रमाण चित्र की थोड़ी–सी झाँकी हमें डा0 सैयदेन के इस शब्द–चित्र में मिलती है – "हमारे निरक्षर देशवासी न तो छपी हुई पुस्तक का एक भी पृष्ठ पढ़ सकते हैं, न वे मतदान की पर्ची पर समझदारी के साथ निशान लगा सकते हैं, और न ही रोजमर्रा के छोटे–छोटे हिसाब लगा सकते हैं । अगर संसार का एक ऐसा मानचित्र बनाया जाय, जिसमें साक्षरता की स्थिति दिखाई जाये और पृथ्वी के निरक्षर इलाकों को काला रंगा जाये, तो भारत उस मानचित्र में अन्धकारपूर्ण महाद्वीप जैसा दिखाई देगा और यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है । इस परिस्थिति पर हम लज्जित भी है और हमें क्रोध भी आता है । लज्जित इसलिए कि एक ऐसा देश, जो संसार की सबसे पुरानी सांस्कृतिक परम्पराओं का मालिक होने

का गर्व करता है, आज इस दुर्दशा को पहुँचा गया है, और कोध इसलिए कि हम इस कलंक को इतने समय से सहन करते आयें हैं, यह सिर्फ इसलिए कि निरक्षरता को समूल नष्ट करने के लिए अब तक राष्ट्रव्यापी पैमाने पर जमकर कोई सुसंगठित आन्दोलन नहीं चलाया गया है ।

आज जहाँ एक और मानव चन्द्रमा पर जीवन की खोज करके वहाँ समाज बसाने की ओर अग्रसर है वहीं पर दूसरी ओर विश्व में एक बड़ा वर्ग इस स्थिति में है कि उसे काला अक्षर भैंस समान दिखाई देता है ।आज के हमारे निरक्षर चाहे वह ग्रामीण परिवेश के हो या शहरी परिवेश के । सभी की दुर्दशा अकथनीय है । यह न अपना हिसाब–किताब कर सकते हैं, न कहीं पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, न लिख सकते हैं और न पढ़ सकते हैं । उनके खाते में साहूकार ने कितनी राशि लिख कर अंगूठा लगवा रखा है न इसका ज्ञान है और ना ही इसका ज्ञान है कि उनकी खून–पसीने की कमाई की उचित कीमत मिल पा रही है या नहीं । कितना अन्तर्विरोध है, एक तरह से एक तरफ एक वर्ग विशेष (शिक्षित) अपनी आशाओं के अनुरूप योजनायें बनाकर या फिर सरकार की ओर से प्रदत्त योजनाओं को अपनाकर अपने तथा अपने परिवार के भविष्य को सुनहरे कल की ओर ले जाने के लिये प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी ओर इन सम्पूर्ण प्रकियाओं से कोसों दूर निरक्षर व्यक्ति अपनी दुरावस्था को नियति मानकर उसे यथावत जिये चला जा रहा है । निरक्षरता आप किसी भी समाज के लिए अभिशाप बन गई है ।

राष्ट्र के नव—निर्माण के लिए राष्ट्र के नागरिकों का आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए इच्छापूर्वक, कुशलता के साथ बुद्धि का प्रयोग करते हुए प्रत्येक कार्य करने का संकल्प तभी पूर्ण हो सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक समय के साथ—साथ विकसित शिक्षा को प्राप्त करता चले । शिक्षा आयोग ने कहा है — "वह किसान जो मिटट्री को रौंदता है या वह श्रमिक जो यन्त्रों को घुमाता है, उसे मिट्टी की प्रकृति, मशीन का रंग—ढंग समझना आवश्यक है । उसे उत्पादन कार्य में निहित वैज्ञानिक प्रकिया का अवबोध आवश्यक है जिससे वह नवीन उपलब्धियों का उपयोग कर विकास कर सकें ।"[5]

सामाजिक —सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों में सभी की सकिय हिस्सेदारी तभी हो सकती है जब सभी शिक्षित हो । प्रजातांत्रिक प्रणाली के सुचारू संचालन और अपेक्षित सफलता के लिए जरूरी है कि शिक्षा के आधार पर जिम्मेदार नागरिक तैयार किये जाये । इसके अतिरिक्त युद्धोत्तर काल में प्रौद्योगिकी प्रभुत्व निरंतर बढ़ा है । आधुनिक प्रौद्योगिकी के संचालन के लिए पहले से कहीं अधिक शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । यही नहीं प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन की गति इतनी तेज हो चुकी है कि आठवें और नवें दशक की तुलना में आज की नई प्रौद्योगिकी पहले से अधिक शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण परन्तु कम मात्रा में मानव शक्ति की अपेक्षा करती है जिसके कारण उत्पादन कार्यो में लगे श्रमिकों को रोजगार में कार्यरत रखने के लिए नव प्रशिक्षण की जरूरत होती है जिसके लिए ग्रहणशीलता और व्यवस्थापन क्षमताओं का होना नितान्त आवश्यक है । शिक्षा व्यक्तियों

में ऐसा लचीलापन और उन्हें प्रशिक्षण क्षमताओं से युक्त करने में सक्षम होती है । इसलिए आधुनिक विचारधारा के अनुसार यह आवश्यक है कि किसी भी देश के समस्त नागरिक शिक्षित और साक्षर हों ।

शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और सीखने के साधन जुटाते हैं और विवेचनात्मक राय बनाना सीखते हैं । इसलिए शिक्षा व शिक्षा में भी साक्षरता जिसके जरिए शिक्षा प्रदान की जाती है, एक प्राथमिकता है ।

1.1 भारत में सभी के लिए शिक्षा :

14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफत और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करना हमारे संविधान का एक नीति निर्देशक सिद्धान्त है । 1950 में संविधान को लागू करते समय लक्ष्य यह रखा गया था कि 1960 तक 14 की आयु तक के सभी बच्चों को मुफत और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी । उस समय देश में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं को देखते हुए यह इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य था कि 10 वर्षो की छोटी सी अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता था इस कारण सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को पाने की तिथियॉं बार—बार संशोधित की गई । 1960 और 1965 के बीच 6—14 आयु वर्ग के लिए सार्वभौम शिक्षा के बारे में कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई लेकिन 1965—66 में लक्ष्य को पाने की तिथि बढ़ाकर 1975—76 कर दी गई । फिर योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा को पाने के लिऐ छठी योजना के अन्त (1984) तक का समय मुकर्रर किया । कोठारी आयोग (1966) ने अधिक से अधिक 1986 तक इस लक्ष्य को पाने का

सुझाव दिया था । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की परिकल्पना यह थी कि 1990 तक 11 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को 5 वर्षो की विद्यालयी शिक्षा या अनौपचारिक धार के माध्यम से इसकी समतुल्य शिक्षा प्रदान की जायेगी और 1995 तक 14 की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी । अब शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार मात्र की जगह 14 की आयु तक के बच्चो के सार्वभौम नामांकन और सार्वभौम प्रतिधारण पर तथा साथ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाने लगा है । इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जोम्तिएन (थाईलैंड) में मार्च 1990 में सभी के लिए शिक्षा पर आयोजित विश्व सम्मेलन ने दुनिया के सभी देशों और संगठनों का आह्वान किया कि वे वर्तमान सदी के अंत तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए कारगर कदम उठायें । राष्ट्रीय विकास परिषद की 43वीं बैठक ने आठवीं योजना के उद्देश्यों को पहचान करते समय प्रारम्भिक शिक्षा की तथा 15–35 आयु वर्ग में निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन की परिकल्पना भी की । परामर्श समिति की बैठक (फरवरी 1992) ने आठवीं योजना के दौरान मानव संसाधनों के विकास के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करते समय इस बात पर जोर दिया कि सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य केवल अतिरिक्त नामांकन को दृष्टि से न दिये जाये और पूरे देश के लिए तय न किये जायें । उसने इस पर भी जोर दिया कि लड़कियों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों समेत 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफत शिक्षा दी जाये । संसद में (मई 1992 में) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) प्रस्तुत करते हुए मानव संसाधन

विकास मंत्री ने तीन पक्षों पर जोर दिया सार्वभौम सुलभता और नामांकन, 1–14 की आयु तक के बच्चों का सार्वभौम प्रतिधारण और शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार ताकि सभी बच्चे अधिगम के आवश्यक स्तर प्राप्त कर सकें । संशोधित कारवाई योजना (1992) की परिकल्पना यह है कि 'एक राष्ट्रीय मिशन का आरम्भ करके इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ होने से पहले तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को संतोषप्रद गुणवत्ता सहित मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये ।' उच्चतम न्यायालय (1993) में निजी शुल्क के बारे में अपने ऐतिहासिक फैसले में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफत और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की है । अभी हाल में (1994) संसद में सरकार ने फिर दोहराया है कि इस सदी के अन्त तक भारत में सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ।

राम्पूर्ण साक्षरता अभियान की संकल्पना तथा उसकी अवधारणा सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य को ही स्पष्ट करती है । विकास की प्रथम सीढ़ी साक्षरता को ही शिक्षाविदों एवं योजनाकारों ने स्वीकारा है । अतः राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम वरीयता पर शिक्षा एवं साक्षरता ही है । सारा विश्व विकसित हो, इसके लिये सबको शिक्षित करना आवश्यक माना गया है । सबके लिये शिक्षा का विषय भी इसी विषय में से जन्मा है । मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सबके लिये शिक्षा योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू कराने का श्रीगणेश किया हुआ है । संपूर्ण साक्षरता अभियान 'सबके लिए शिक्षा' का पूरक ही है

1.2 **''सबके लिए शिक्षा'' कार्यक्रम पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का सारांश :**

15 फरवरी, 1994 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ''सबके लिए शिक्षा'' कार्यक्रम को देश के विकास के एजेंडा में ऊँचा स्थान दिये जाने पर सर्व सम्मति थी । नवीं योजना से राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर लगाने की प्रधानमंत्री की घोषणा का मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया । संसाधन जुटाने में केन्द्र सरकार की मदद करने और प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा को ऊँची प्राथमिकता देने के मामले पर मुख्यमंत्री सहमत थे ।

बजटीय संसाधनो के अलावा सामुदायिक संसाधनों और निजी पहल के विकास की अच्छी संभावनायें हैं, ऐसा महसूस किया गया । शिक्षा कर को केन्द्र और राज्यों द्वारा संसाधनों की खोज का जरिया बनाने पर भी आम सहमति थी । यह सुनिश्चित किये जाने पर भी सब एकमत थे कि कर का उपयोग शैक्षिक विकास के लिए ही हो । सुझाव दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा की जमीनी आवश्यकताओं के बारे में 10 वाँ वित्त आयोग ध्यान रखें । एक सुझाव यह भी था कि राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को दिये जाने वाले अनुदानों पर आयकर में छूट प्रारम्भिक शिक्षा तक बढ़ा दी जानी चाहिये ।

भली प्रकार संसाधनों को बांटने के साथ अपने राज्यों में कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने और उन्हें निर्देशित करके संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, इस बात पर भी सहमति थी । मुख्यमंत्रियों को ऐसे क्षेत्र की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करनी चाहिये । इससे ''सबके लिए शिक्षा

कार्यक्रम को दी जा रही अधिक प्रभावपूर्ण प्रबन्धन के बारे में पूरे राज्य भर में सही संकेत मिल सकेंगे ।

गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक संघों और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत को भी बातचीत में रेखांकित किया गया । बातचीत में सबका मानना था कि शैक्षिक प्रशासन के समुचित विकेन्द्रीकरण और अपेक्षाकृत अधिक सामुदायिक भागीदारी के बिना प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं किया जा सकता । पहले की तरह स्कूल को फिर से महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन बनना चाहिये

मुख्यमंत्रियों ने इस बात को महसूस किया कि तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अपने तय समय अन्तराल के भीतर शैक्षिक प्रशासन को विकेन्द्रित करने का मौका देते हैं । विकेन्द्रीकरण पर सी0ए0बी0ई0 कमेटी की संस्तुतियॉं मान ली गई ।

संवैधानिक संशोधनों पर काम करने और तय समय के भीतर एक अधीन व्यवस्थापन निर्मित करने के लिये राज्य व्यवस्थापिका को तैयार करने के साथ ही संस्तुतियों को भली प्रकार लागू करने का भी निश्चय किया गया । मुख्यमंत्रियों का दृष्टिकोण था कि वैधानिक उपयों के अलावा विकेन्द्रित ढॉंचों में बैठे लोगों को भी जागरूक किया जाना जरूरी है । इस तरह वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा सकेंगे ।

प्राथमिक शिक्षा और स्कूल स्वास्थय और पोषण जैसी अन्य सम्बन्धित सेवाओं को एक जगह लाने के लिये विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिये । मुख्यमंत्री इस बात

पर सहमत थे । यह महसूस किया गया कि इससे सामर्थ्य में सुधार तो आयेगा ही इसके अलावा नामांकन में वृद्धि होगी और ड्रापआउट दर में कमी आयेगी । बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध प्रदेश जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में विशिष्ट प्रयत्नों की जरूरत महसूस की गई । मुख्यमंत्रियों का दल समय–समय पर इन राज्यों के कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास और पोषण के संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रमों को लागू करने में और दमखम को जिलाए रखने को ध्यान में रखते हुए यह समीक्षा की जायेगी ।

1.4 **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं सम्पूर्ण साक्षरता अभियान :**

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा एक विशाल निरक्षर जन समूह को साक्षर किया । इस कार्यक्रम को और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए भारत सरकार ने 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया । मिशन का यह लक्ष्य रखा गया कि 1955ज तक देश के 15 से 35 वय वर्ग के आठ करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बना दिया जायेगा । इसके साथ ही कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिये अन्य विकल्पों की खोज जारी है । केरल राज्य ने एक विकल्प के रूप में एर्नाकुलम जनपद में जनवरी 1989 में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया और फरवरी 1990 तक सम्पूर्ण जिले को साक्षर बना दिया । इस आशातीत सफलता को देखकर सम्पूर्ण केरल राज्य में यह अभियान चलाया गया । वर्ष 1991 केरल राज्य की साक्षरता 91 प्रतिशत पहुँच गयी । इसी सफलता को देखकर भारत सरकार ने पूरे देश में संपूर्ण साक्षरता

अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया । उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वर्ष – 1991 में प्रारम्भ हुआ ।

अर्नाकुलम से प्रज्जवलित हुआ साक्षरता का दीप जहाँ केरल एवं पश्चिम बंगाल को पूर्ण साक्षर कर चुका है । वहीं गुजरात एवं कर्नाटक जैसेक बड़े राज्य पूर्ण साक्षर होने के दरवाजे पर खड़े हैं । राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों में यह अभियान वर्तमान में संचालित हो रहा है । इस प्रान्त में आगरा जनपद सन् 1994 में ही पूर्ण साक्षर घोषित हो चुका है ।

2– अध्ययन का महत्त्व :

साक्षरता स्वयं शिक्षा तो नहीं किन्तु यह शिक्षा का पहला चरण अवश्य है, और शिक्षा के अन्य माध्यमों में सबसे सशक्त, प्रभावी और स्थायी है । यों तो इलैट्रोनिक माध्यम–दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा वीडियो–ऑडियो के अन्य संसाधन भी शिक्षा के प्रभावी माध्यम है, किन्तु अपनी सीमाओं और एकतरफा संचार के कारण ये माध्यम संवाद की स्थिति नहीं बना पाते हैं । यदि इन माध्यमों से संवाद की स्थिति बनानी है तो साक्षरता के कौशलों की सम्प्राप्ति अनिवार्य आवश्यकता है यही कारण है कि आज उपग्रह के युग में भी साक्षरता और साक्षरता के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है । शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी शोध कार्य सम्पन्न हुए हैं, उनमें औपचारिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के अन्दर आने वाले परिवर्तनों पर अध्ययन तो अनेक रूप में किये गये हैं तथा अनवरत रूप से किये भी जा रहे हैं परन्तु सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एक नवीन एवं अभिनव संकल्पना है । 15 से 45 आयु वर्ग के बीच किसी भी विवशता में

शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित निरक्षरों की मनोदशा कैसी रहती है इससे हम भली—भाँति सुपरिचित हैं किन्तु सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से होने वाले साक्षरों में सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से क्या परिवर्तन हुए हैं, नवसाक्षरों की जीवन शैली में किन नूतन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ व उनके जागरूकता स्तर में किस सीमा तक अभिवृद्धि हुई, इस विषय में चिन्तन, मनन एवं शोधों का अभी अभाव है । नवसाक्षरों की जीवन शैली के विभिन्न आयामों यथा सामाजिक शैक्षिक, धार्मिक सांस्कृतिक व आधुनिक प्रवृत्तियों पर संपूर्ण साक्षरता अभियान की प्रभावों —मूलकता का शोधकर्त्री ने प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन करने का प्रयास किया है । शोधकर्त्री को विश्वास है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से जुडे व्यक्तियों, समाजसेवियों , शिक्षाविदों , प्रबुध नागरिकों तथा अन्तिम शोध अध्ययनों के लिये यह शोध अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा ।

3— **अध्ययन के उद्‌देश्य** :

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्‌देश्य हैं :—

1— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का परिवर्तन के कारक के रूप में अध्ययन करना ।

2— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के परिणामस्वरूप नवसाक्षरों में आर्थिक विकास के स्तर का अध्ययन करना ।

3— नवसाक्षरों के जीवन में सामाजिक जागरूकता के उन्मेष का वैज्ञानिक विश्लेषण करना ।

4— नवसाक्षरों के जीवन को सीखने की प्रकिया (सोशलाईजेशन) का अध्ययन करना

5— नव—साक्षरों के जीवन में शैक्षिक परिवर्तन के उन्मेष का वैज्ञानिक विश्लेषण करना ।

6— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से नवसाक्षरों में धर्मनिरपेक्षता की प्रबलता का अध्ययन करना ।

7— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से नवसाक्षरों में साम्प्रदायिक सद्भाव का अध्ययन करना ।

8— नवसाक्षरों के जीवन में आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना ।

9— नवसाक्षरों के जीवन में संस्कृतिकरण के प्रभाव का अध्ययन करना ।

10— नवसाक्षरों के जीवन की संरचनात्मक प्रकिया (स्ट्रक्चरल फंक्शन) का अध्ययन करना ।

11— नगरीय व ग्रामीण स्तर पर सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के प्रभाव का अध्ययन करना।

4— परिकल्पनायें :

प्रस्तुत शोध कार्य निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है :—

1— इच्छित सामाजिक परिवर्तन साक्षरता के माध्यम से ही संभव है ।

2— साक्षरता का प्रतिशत आर्थिक विकास की गति निर्धारित करता है ।

3— साक्षरता का स्तर ही सामाजिक जागरूकता के स्तर का निर्णायक है ।

4— साक्षरता के स्तर में होने वाली वृद्धि से समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है ।

5— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के परिणामस्वरूप नवसाक्षरों में शैक्षिक जागरूकता का उन्नयन हुआ है ।

6— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से नवसाक्षरों में धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियों का विकास हुआ है ।

7— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के द्वारा नवसाक्षरों में पारस्परिक साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना में वृद्धि हुई हैं ।

8— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से नवसाक्षरों के जीवन में आधुनिकीकरण की प्रकिया तीव्र हुई हैं ।

9— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से नवसाक्षरों में संस्कृतिकरण की ग्राह्यता में वृद्धि हुई है ।

10— ग्रामीण नवसाक्षरों की तुलना में नगरीय नवसाक्षरों की ग्रहणशीलता अधिक है

5— अध्ययन की सीमा :

प्रस्तुत अध्ययन की निम्नांकित सीमायें हैं :—

1— प्रस्तुत शोधकार्य में विषय सामग्री का संकलन पुस्तकों व साक्षरता से सम्बन्धित साहित्य के आधार पर किया गया है । निष्कर्षो के आधार 1991 तक की जनगणना के आधार पर प्राप्त आकंड़ें हैं ।

2— प्रस्तुत लघु शोध कार्य जनपद — मुरादाबाद के तीन विकास खण्डों यथा = मुरादाबाद, भगतपुर टांडा, मूंढापांडे के 300 नवसाक्षरों पर आधारित हैं । इस शोध अध्ययन में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का नव साक्षरों की जीवन शैली पर प्रभाव के अवलोकन के लिए नवसाक्षरों को आयु वर्ग, लिंग भेद, धर्म भेद, जाति भेद, भाषागत आधार व नगरीय/ग्रामीण परिवेश के आधार पर वर्गीकृत किया है ।

शोधकर्त्री ने नवसाक्षरों से प्राप्त अनुकिया के आधार पर ही वैज्ञानिक तथ्य संकलित करके सामाजिक शैक्षिक परिणाम निकालने का प्रयास किया है ।

3— जनपद मुरादाबाद के तीन विकासखण्डों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सम्पूर्ण जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

6— अध्ययन विषय में निहित शब्दावली की व्याख्या :—

प्रस्तुत लघु शोध कार्य जिसका शीर्षक "सम्पूर्ण साक्षरता अभियान" का नवसाक्षरों की जीवन शैली पर प्रभाव का अध्ययन है, में निहित शब्दावली की व्याख्या निम्नवत् है

6.1 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान — अर्थ :—

सम्पूर्ण : मुख्यतया 15—35 आयु वर्ग के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता कक्षा में सम्मिलित करना ।

उपर्युक्त आयु वर्ग में निरक्षरता के अन्तः प्रयास को नियंत्रित करना जिसमें शामिल हैं :—

— प्राथमिक कक्षाओं में शत—प्रतिशत नामांकन,

— प्राथमिक कक्षाओं में नियमित उपस्थिति,

— प्राथमिक कक्षाओं में ह्रास की दर कम किया जाना,

— अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर लक्ष्य बच्चों का नामांकन,

— मध्यावधि में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश और

— उपर्युक्त से आच्छादित न होने वाले 9—14 वयवर्ग के किशोरों को भी अभियान में शामिल करना ।

सम्पूर्ण को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने निम्न रूप में परिभाषित किया है :—

— पूरे लक्ष्य समूह के 80 प्रतिशत को राष्ट्रीय मानक तथा साक्षरता देना सम्पूर्ण माना जायेगा

— पूरे लक्ष्य समूह के 70 से 79 प्रतिशत तक साक्षर बनाया जाना — 'अ' श्रेणी ।

— पूरे लक्ष्य समूह के 60 से 69 प्रतिशत तक की उपलब्धि — 'ब' श्रेणी ।

— 50 से 59 प्रतिशत तक उपलब्धि — 'स' श्रेणी ।

— 49 प्रतिशत अथवा इससे कम 'द' श्रेणी ।

6.2 **साक्षरता :**

साक्षरता का अर्थ है/ कार्यात्मक साक्षरता जिसमें शामिल हैं :—

— पढ़ने—लिखने और गणित में आत्मनिर्भरता ,

— अपने पिछड़ेपन के कारणों की जानकारी पाना और संगठित प्रयत्नों तथा विकास कार्यक्रमों में भागीदार बनकर उनसे छुटकारा पाना ।

— अपनी आर्थिक दशा और जीवन स्तर को सुधारने के लिए नये हुनर सीखना ।

— राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण की सुरक्षा, महिला समानता और छोटे परिवार का आदर्श, जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना ।

पढ़ने —लिखने और गणित में आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है :—

– नव साक्षरोपयोगी साहित्य और समाचार पत्रों आदि को समझकर पढ़ना ।

– अपनी जरूरतों और विचारों को लिखकर व्यक्त कर सकना ।

– दैनिक जीवन में काम आने वाले हिसाब–किताब का लेखा रख सकना और समझ सकना ।

– साक्षरता के मूल्यांकन में पढ़ने, लिखने और अंक ज्ञान के कौशलों में पृथक–पृथक सफल होना आवश्यक है ।

– सम्प्रति साक्षरता की जॉच में सफल होने के लिए सम्पूर्ण योग में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है किन्तु पढ़ना, लिखना या अंक ज्ञान में पृथक – पृथक प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिये ।

6.3 **अभियान** :

अभियान का तात्पर्य है :–

– एक निश्चित अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति ।

– समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति की सम्यक् भागीदारी ।

– कार्यक्रम के प्रति वचनबद्धता, समर्पण की भावना एवं मिशनरी जोश ।

6.4 **नवसाक्षर** :

'नवसाक्षर' से तात्पर्य है विभिन्न आयुवर्ग के वे स्त्री पुरुष है जिन्हें सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से निरक्षर से साक्षर बनाया गया ।

6.5 जीवन शैली :

शिक्षा के समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत समाज से जुड़े व्यक्ति, समुदाय इत्यादि के विभिन्न सामाजिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वरूपों का अध्ययन विभिन्न आयामों को आधार मानकर किया जाता है । समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति है । अतः व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ और समाज के सन्दर्भ में जो भी क्रियायें, अन्तः क्रियायें होती हैं, वहीं व्यक्ति के स्थान पर समाज की जीवन = पद्धति के रूप में परिवर्तित हो जाती है । इस जीवन पद्धति को ही शोधकर्ता ने यहाँ जीवन शैली के रूप में प्रदर्शित किया है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की सार्थकता का मूल्यांकन, निरीक्षण परीक्षण भी नवसाक्षरों की जीवन शैली को केन्द्रित करके किया गया है । यूँ तो जीवन शैली के अनन्त पक्ष हैं, आयाम हैं, किन्तु एक लघु शोध के रूप में जीवन शैली के आठ आयामों यथा आर्थिक आधार, सामाजिक जागरूकता, समाजीकरण, शैक्षिक जागरूकता, धर्म निरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव, आधुनिकीकरण व संस्कृतिकरण पर केन्द्रित अध्ययन किया गया है ।

7.0 अध्ययन विधि :

प्रस्तुत शोध कार्य सर्वेक्षण एवं वर्णात्मक विधि के आधार पर किया गया है । यह विषय ही ऐसा है जिसमें सर्वेक्षण करना आवश्यक है । सर्वेक्षण के लिए शोधकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है । जिसे परिशिष्ट में संलग्न किया गया है । वर्णात्मक इसलिए हैं क्योंकि सम्पूर्ण विषय की समीक्षा की गयी है । प्रस्तुत विषय को

विभिन्न पुस्तकों, पत्र—पत्रिकाओं से संग्रहित कर शोधकर्ता ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है :—

8.0 **प्रस्तावित अध्याय :**

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध निम्न छः अध्यायों एवं परिशिष्ट में लिपिबद्ध है :—

प्रथम अध्याय	—	अध्ययन का स्वरूप
द्वितीय अध्याय	—	सम्बन्धित शोध साहित्य का अध्ययन
तृतीय अध्याय	—	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का स्वरूप एवं कार्ययोजना का परिचय
चतुर्थ अध्याय	—	अध्ययन विधि
पंचम अध्याय	—	प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या
षष्ठम् अध्याय	—	निष्कर्ष एवं सुझाव
परिशिष्ट	—	1— सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
		2— साक्षात्कार सूची
		3— नवसाक्षरों का अन्तिम मूल्यांकन प्रपत्र — 1994

—00—

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य

अध्याय – द्वितीय

सम्बन्धित शोध–साहित्य का अध्ययन

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के अन्तर्गत निरक्षरता रूपी कलंक को समाप्त करने के लिये साक्षरता के प्रतिशत उन्नयन करने की दृष्टि से जो प्रयोग शुरू किये गये उसी के प्रतिकूल सम्पूर्ण साक्षरता अभियान आज राष्ट्र व्यापी जन–आन्दोलन के रूप में हम सभी के समक्ष विद्यमान हैं । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से जहाँ प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर करने के सुप्रयास किये जा रहे हैं । वहीं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन के भी महत्वपूर्ण प्रयत्न जारी हैं । संपूर्ण समाज की सहभागिता के आधार पर जो सकारात्मक परिणाम निकलकर आ रहे हैं, उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना अति आवश्यक हो जाता है विषय केवल यही पर समाप्त नहीं होता, वर्तमान को भविष्य की बेहतरी के लिये और सुदृढ़ करने की दृष्टि से शोधात्मक क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का शैक्षिक जगत में उपयोग करने की महती आवश्यकता है । अनुसंधानों के माध्यम से ही संपूर्ण साक्षरता अभियान का विहंगम दृष्टि से सिंहावलोकन सरलता के साथ किया जा सकता है । निरक्षरता में पुनः पतन की घटना, 'पढ़– लिख कर क्या करेंगे ? की प्रौढ़ों की मनोवृत्ति, शिक्षकों व प्रशासकों की प्रतिबद्धता आदि के कारण अब यह अति आवश्यक है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की विषय वस्तु सामग्री, पाठ्यकम, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन प्रविधियाँ, सांगठनिक स्वरूप, स्वयमेवी संगठनों की भूमिका एवं समग्र रूप से जन सहभागिता में वांछित परिवर्तन करने हेतु अनुसंधान किये जायें ।

भारत में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण 2001

अन्य राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश : त्रिपुरा (0.31%), मणिपुर (0.23%), मेघालय (0.22%), नगालैण्ड (0.19%), गोवा (0.13%), अरुणाचल प्रदेश (0.11%), पाण्डिचेरी (0.09%), चण्डीगढ़ (0.09%), मिजोरम (0.09%), सिक्किम (0.05%), अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (0.03%), दादरा और नगर हवेली (0.02%), दमन और दीव (0.02%), और लक्षद्वीप (0.01%)

यदि सुप्रशिक्षित शोधकर्ताओं ने साक्षरता के क्षेत्र में अनुसंधान करने हेतु समर्पित होकर प्रयास नहीं किए तो हम साक्षरता के दीपों को जलाए रखने में विफल हो जायेगें ।

अभी तक सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का सर्वाधिक उपेक्षित व कमजोर पक्ष है अनुसंधान क्षेत्र । हमने न तो अनुसंधान के क्षेत्रों का पता लगाया है और न उसके लिये प्राथमिकतायें ही निर्धारित की है । 'अनुसंधान कार्यो की मॉनीटरिंग व प्रसारण की हमारी व्यवस्थायें असंतोषप्रद है । इस स्थिति के बावजूद अनेक लोगों ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान किये हैं । कतिपय प्रमुख अनुसंधानों के निष्कर्षो का उल्लेंख निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत है

गाडगिल (1945) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि निरक्षरता में पुनः पतन व बालक द्वारा विद्यालय में अर्जित साक्षरता के स्तर में सार्थक सम्बन्ध होता है, यदि बालक चार वर्ष के विद्यालयी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो शेष जीवन में साक्षरता के धारण की सम्भावनायें प्रबलतम हो जाती है, तथा निरक्षरता में पुनः पतन की संभावनायें मध्यम वर्ग तथा पिछड़े वर्ग के लोगों, व गरीबों में अत्यधिक होती हैं ।

सिंह (1957) ने नवसाक्षरों के लिए प्रकाशित 174 पुस्तकों व 304 फिल्मों का विश्लेषण किया । ये पुस्तकें इतिहास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूगोल, सामाजिक

समस्याओं , सामान्य ज्ञान, विज्ञान, पंचवर्षीय योजनाओं, प्रसिद्ध कवियों व लेखकों की जीवनियों, लोक साहित्य से सम्बन्धित थीं । इनमें सामाजिक– सांस्कृतिक संश्लेषण, धार्मिक सहिष्णुता, एकता, नागरिकों के कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों आदि पर बल दिया गया था ।

खान (1958) के प्रयोग से यह उद्‌घाटित हुआ कि 100 घंटों के अनुदेशन कार्यक्रम के बाद भी यह खतरा बना रहता है कि प्रौढ़ शिक्षार्थी पुनः निरक्षर हो जाये । उनका सुझाव था कि नव–साक्षरों की सीखने की रूचि कायम रखने के लिये उनमें सरल भाषा में उनके लिये रूचिकर विषयों पर लिखे साहित्य को वितरित करना चाहिये ।

चौबे (1963) ने उत्तर प्रदेश में चल रहे युवक कल्याण कार्यक्रमों का सर्वेक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला था कि विद्यालय को समय पूर्व छोड़ने वाले निरक्षरों के लिए सांयकालीन कक्षाएं उपयोगी हैं तथा इन कक्षाओं में साक्षरता कार्यक्रमों के साथ–साथ व्यवसायिक विषयों, हस्तकलाओं, आदि पर बल देना चाहिये ।

त्रिवेदी (1966) के समाज शिक्षा कार्यक्रमों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक कार्यक्रम साक्षरता, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कृषि सम्बन्धी तथा सौन्दर्यबोधात्मक क्रियाओं से सम्बन्धित था व प्रयुक्त अनुदेशन सामग्री प्रायः राज्य समाज शिक्षा समिति द्वारा निर्मित व वितरित की गई थी । इन कार्यक्रमों में परिणामस्वरूप प्रौढ़ों के व्यवहार में परिवर्तन हुए थे ।

रशीद (1966) के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकले थे = सामाजिक–आर्थिक स्तर साक्षरता से सम्बन्धित होता है, उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के लोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक अभिप्रेरित होते हैं, तथा साक्षरता कार्यक्रमों के प्रभावों पर सामाजिक–आर्थिक स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है ।

नागप्पा (1966) के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकले — नए विचारों के प्रस्तुतीकरण के लिए कहानी विधि प्रौढ़ों को अधिक रूचिकर लगती है, प्रौढ़ शिक्षार्थी उन विषयों के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिनके बारे में उन्हें थोड़ा–सा पूर्व ज्ञान होता है तथा जो उनकी व्यवसायों से सम्बन्धित होते हैं, तथा विभिन्न स्थलों पर समुदाय साक्षरता केन्द्र खोलकर और वहॉ पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा कर नवसाक्षरों की पठन रूचियों को स्थायी बनाया जा सकता है ।

धर्मवीर (1968) ने यह पाया कि गॉवों के विभिन्न लोग पढ़ने, रेडियो सुनने, पशुओं की देखभाल करने तथा समाज सेवा में अत्यधिक रूचि लेते हैं तथा आयु में वृद्धि के साथ–साथ पठन में रूचि बढ़ती है, परन्तु लिखने में रूचि घटती है । जनसंख्या के घने होने तथा रूचियों की मात्रा में विलांग सम्बन्ध होता है ।

श्रीवास्तव (1969) ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रौढ़ कक्षाओं में शिक्षार्थियों की उपस्थिति कम रहती थी तथा अध्ययन छोड़ने वालों की दर अधिक थी ।

मल्लिकार्जुनस्वामी (1969) में अपने नव–साक्षरों के अध्ययन में देखा था कि वे धार्मिक तथा लोक साहित्य में अत्यधिक रूचि लेते हैं, उन्हें कहानियॉं व

ड्रामा पसन्द है तथा उन्हें अपने जीवन के कार्यो से सम्बन्धित सामग्री अच्छी लगती है ।

चतुर्वेदी (1969) ने गोरखपुर, झाँसी, लखनऊ तथा मथुरा जनपदों के लोगों के जीवन को समाज शिक्षा कार्यक्रम से प्रभावित पाया लेकिन इन क्षेत्रों के कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग समाज शिक्षा कार्यक्रम व उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्साहित नहीं थे महिलाओं के जीवन पर कार्यक्रम का स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा था ।

अंसारी (1969) का निष्कर्ष था कि समाज शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में 60 प्रतिशत समय का उपयोग सैद्धान्तिक कार्य हेतु तथा 40 प्रतिशत समय का उपयोग प्रयोगात्मक कार्य हेतु किया जाता है ।

पॉल (1969) ने ज्ञान, अभिवृत्ति तथा व्यवहार परिवर्तनों के सन्दर्भ में संस्थागत तथा गैर–संस्थागत प्रशिक्षण/शिक्षा प्राप्त करने वाले कृषकों की तुलना करते हुए निम्न बातें ज्ञात की —— कृषि कर्म सम्बन्धी ज्ञान की दृष्टि से संस्थागत व गैर संस्थागत कार्यक्रमों का लाभ उठाने वाले कृष्कों में सार्थक अन्तर होता है, जाति का चर कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्तियों से सम्बन्धित होता है, प्रायोगिक समूह के कृषकों के व्यवहारों में परिवर्तन उनकी आयु से सम्बन्धित नहीं होती हैं, परन्तु कार्यक्रम में सुझाई गई बातों को अपनाने के साथ आयु ऋणात्मक रूप से सम्बन्धित होती है ।

पटेल (1970) के निष्कर्ष भावी खतरों की ओर संकेत करते हैं । उनके निष्कर्ष ये थे —— समाज शिक्षा के कार्यक्रमों में तीन स्तर के कार्मिक काम करते हैं । अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा क्षेत्र कार्यकर्ता, अधिकारी व परिवेक्षक प्रायः मनोरंजनात्मक क्रियाओं में अन्य क्रियाओं की अपेक्षा अधिक भाग लेते हैं, अधिकांश कार्यकर्ता प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, यद्यपि निरक्षर स्त्रियों की संख्या अधिक है, तथापि महिला कार्यकर्ताओं की संख्या असंतोषप्रद हैं, केवल 38.5 प्रतिशत है, तथा 65 प्रतिशत प्रौढ कार्यक्रम में अपना सहयोग नहीं देते हैं ।

कौल (1970) ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों की कृषि प्रसार सेवा कार्य के प्रति अभिवृत्तियों का अध्ययन किया तथा पाया कि समूह ससमंजन सकारात्मक अभिवृत्तियाँ विकसित करता है, सामाजिक—आर्थिक स्तर तथा पारस्परिक मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अभिवृत्तियों से सम्बन्धित होते हैं तथा आयु व शैक्षिक निष्पत्ति विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों से असम्बन्धित होते हैं ।

शंकर (1972) ने साक्षरता प्रशिक्षण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दो अभिगमनों की प्रभावोत्पादकता का अध्ययन किया । एक समूह के लोगों ने निश्चित समयबद्ध दिनचर्या वाले 6 माह के कोर्स में भाग लिया । दूसरे समूह ने इसी कोर्स में 9 माह तक भाग लिया । निष्कर्ष यह रहा कि कोर्स की अवधि को बढ़ाने के फलस्वरूप प्रौढ़ों की लेखन की गति में सुधार होता है। परन्तु पठन गति कम हो जाती है ।

कुदेरिया (1973) ने सामाजिक—आर्थिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी और सांस्कृतिक दशाओं तथा सहयोग, सहनशीलता, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता पर समाज—शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया व पाया कि विकास के स्वास्थ्य व मनोरंजन सम्बन्धी आयामों में प्रौढ़ों की उपलब्धि का स्तर उच्चतम था जबकि अन्य क्षेत्रों में कोई सार्थक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा था, राजनैतिक चेतना का स्तर बहुत निम्न था तथा जाति—प्रथा, अस्पृश्यता, गरीबी और सामाजिक अन्यायों के प्रति रूढ़िगत विचार यथावत् बने रहे ।

राव (1974) ने मैसूर विश्व विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने साक्षरता का अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाले । लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारी पर्याप्त रूप से साक्षर हैं, 40 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारी अपनी साक्षरता से सम्बन्धित कौशलों को सुधारने में अधिक रूचि रखते हैं, तथा घर पर अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने वाले प्रौढ़ों की पठन बोध परीक्षण पर ही निष्पत्ति अन्य कर्मचारियों से श्रेष्ठ होती है ।

माली (1974) ने नव—साक्षरों में साक्षरता के धारण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया तथा यह पाया कि —— पठन सामग्री का प्रकार साक्षरता के धारण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, धारण पर कक्षा—कक्ष कारकों, जैसे – कक्षा में आने की अभिप्रेरणा, शिक्षण विधियाँ, कक्षा में प्रयुक्त पठन सामग्री, कक्षा की अवधि और साक्षरता—पश्च अभ्यास का कम प्रभाव पड़ता है, तथा साक्षरता के

धारण पर वातावरणीय कारकों, जैसे – प्रौढ़ के व्यवसाय, उसकी आयु व उसके निवास–स्थान के क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

रथनैया (1974) ने जनजातीय शिक्षा के संरचनात्मक अवरोधकों का अध्ययन कर ये निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं । सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के लोगों को अपने बच्चो को स्कूल भेजने में कठिनाई होती है, जनजाति समुदाय के शिक्षकों का अनुदेशन–भाषा सम्बन्धी ज्ञान अपर्याप्त होता है, अजनजातीय शिक्षकों को जनजातीय भाषा व संस्कृति की कोई जानकारी नहीं होती है, तथा अनुदेशन सामग्री व पाठ्यक्रम सामान्य प्रकार के होते हैं, न कि जनजातीय बच्चों के लिए विशेष रूप से विकसित होते थे ।

भंडारी (1974) ने उदयपुर जनपद में प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं में निरन्तर आने वाले तथा ड्राप–आउट प्रौढ़ों की विशेषताओं का अध्ययन कर यह ज्ञात किया कि — ड्राप–आउट्स दिवस–कार्य, पशु गर्भाधान कार्य, रूचि की कमी, विद्यालय की दूरी, गृह कार्य तथा मित्रों व सम्बन्धियों द्वारा उपहास के कारण साक्षरता कक्षा में आना बन्द करते हैं, साक्षरता कक्षाओं में निरन्तर प्रतिभागिता के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता, हस्ताक्षर करने की जरूरत, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की इच्छा, भाषा सीखने व उसे अवकाश के समय प्रयोग करने की आवश्यकता, तथा कृषि सम्बन्धी अभिलेखों व हिसाब–किताब को तैयार रखने की जरूरत जैसे कारक उत्तरदायी हैं, दोनो प्रकार के प्रौढ़ों में आयु, जाति व्यवसाय, वैवाहिक स्तर, विभिन्न प्रकार के समूहों से सम्बद्धता, बाल्यकाल में उपलब्ध विद्यालयी शिक्षा, सुधरी हुई कृषि क्रियाओं को

अपनाने की प्रवृत्ति, तथा स्वामित्व वाली भूमि का क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं होता है ।

दीक्षित (1975) ने राजस्थान के शहरी ग्रामीण और जनजातीय समुदायों के प्रौढ़ों की शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन कर निम्न परिणाम प्राप्त किये थे –– अधिकांश ग्रामीण निरक्षरों का मुख्य व्यवसाय खेती है तथा वे अपने गांवों में स्थित विद्यालयों में साक्षरता कक्षाओं में रात में ही जा पाते है, भील लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है तथा गॉवों में साक्षरता कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध होने पर भी वे शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं ।

तालुकदार (1975) का अध्ययन–जनित निष्कर्ष था कि असम में प्रौढ़ शिक्षा की असंतोषजनक स्थिति के लिए मुख्यतः संगठनात्मक कठिनाईयॉ , शिक्षकों की कमी, संचार साधनों का अभाव, आवागमन के साधनों की कमी, प्रौढ़ शिक्षा के प्रति विश्वविद्यालयों की अनुपयुक्त अभिवृत्तियॉ आदि कारक उत्तरदायी हैं ।

वैंकटया (1977) ने आन्ध्र प्रदेश के कृषकों पर क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया और यह ज्ञात किया कि – कृषक क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रौढ़ों की साक्षरता कौशल सम्बन्धी निष्पत्ति इन कार्यक्रमों में भाग न लेने वाले प्रौढ़ों (नियन्त्रित समूह) से श्रेष्ठ होती है, नियन्त्रित समूह के प्रौढ़ों की अपेक्षा प्रायोगिक समूह के प्रौढ़ों को आधुनिक कृषि–विधियों की अधिक जानकारी होती है तथा उनकी प्रौढ़–साक्षरता तथा कृषि की उन्नत विधियों के प्रति अभिवृत्तियॉ भी अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक होती हैं, प्रौढ़

प्रतिभागियों तथा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों की अंकगणित सम्बन्धी निष्पत्ति में कोई अन्तर नहीं होता है, आयु व साक्षरता कौशलों में नकारात्मक सम्बन्ध होता है, प्रतिभागियों की जाति उनके साक्षरता कौशलों से सकारात्मक रूप से सम्बन्धित होता है, स्वामित्व वाली भूमि की अधिकता तथा साक्षरता निष्पत्ति परस्पर सकारात्मक रूप से सम्बन्धित है, सभी वर्गो के प्रौढ़ प्रतिभागियों की साक्षरता तथा उन्नत कृषि विधियों के प्रति अभिवृत्तियाँ कार्यक्रम से प्रभावित होती है, आदि ।

गायतोडे (1977) ने गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान व मध्य प्रदेश में समाज शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया । उनका मुख्य निष्कर्ष यह था कि समाज शिक्षा की विषवस्तु प्रौढ़ों की क्षमता का विकास, प्रौढ़ों में रूचि की उत्पत्ति व उसका विकास, समस्या समाधान में प्रौढ़ की सहायता आदि निष्कर्षो पर आधारित होनी चाहिये ।

खाजापीर (1978) ने कृषकों के कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के प्रतिभागियों की शैक्षिक योग्यता का कतिपय सामाजिक—मनोवैज्ञानिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन कर ये निष्कर्ष प्राप्त किये । साक्षरता कार्यक्रम के प्रतिभागियों की रूढ़िवादिता तथा अधिनायकवादिता साक्षरता सम्बन्धी उनकी निष्पत्ति से नकारात्मक रूप से सम्बन्धित होती है, प्रौढ़ो का निष्पादन उनकी आयु, लिंग, जाति, प्राथमिक शिक्षा आदि से असार्थक रूप से सहसम्बन्धित होता है, साक्षरता में प्रौढ़ों का निष्पादन सामाजिक प्रतिभागिता, समाचार पत्र पठन, रेडियो, श्रवण, कृषि प्रसार अधिकारियों से सम्पर्क, पढ़ने की आकांक्षा, लिखने व अंकगणित में आकांक्षा, कृषि की उन्नत विधियों

का ज्ञान, व प्रौढ़ साक्षरता के प्रति अभिवृत्ति से सकारात्मक रूप से सम्बन्धित होता है ।

ब्रह्म प्रकाश (1978) ने हरियाणा तथा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक शिक्षा के प्रभावों का अध्ययन किया । उन्होंने अपने प्रायोगिक शोध के न्यादर्श में 1974–75 में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर अध्ययन करने वाले 594 प्रौढ़ों को प्रायोगिक समूह तथा उसी वर्ष के 200 ऐसे प्रौढ़ों को जिन्होंने किसी भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में अध्ययन नहीं किया था, नियंत्रित समूह में शामिल किया था । उनके अध्ययन से मुख्य निष्कर्ष यह निकला कि कार्यात्मक साक्षरता कृषि सम्बन्धी ज्ञान, उसके प्रति स्वरूप दृष्टिकोण तथा ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिये धनात्मक तथा प्रभावी भूमिका प्रस्तुत करती हैं ।

नन्दा (1978) ने ऐतिहासिक व सर्वेक्षण अनुसंधान विधियों का प्रयोग करके पंजाब में प्रौढ़ शिक्षा के विकास का अध्ययन किया तथा यह पाया कि — जब महिलाओं को अपने बच्चों के साथ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जाने की अनुमति दी जाती है तब केन्द्र के प्रति उनकी अभिवृत्तियाँ बदल जाती है, पुरूषों की शिकायत थी कि उनका उपहास किया जाता है, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले पुरूषों को प्रौढ़ शिक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता है, कृषकों को भी हरित कान्ति के कारण उत्पन्न व्यस्तता के कारण कठिनाई महसूस होती हैं ।

मुथैया तथा हेमलता (1980) ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यकमों तथा ग्रामीण विकास में अर्न्तसम्बन्ध , विद्यार्थियों व कार्यकर्ताओं की अभिप्रेरणा को बढ़ाने वाले

कारकों तथा ग्राम्य विकास के एक प्रमुख अव्यव के रूप में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुधारने के उपायों का अध्ययन किया । इस अध्ययन के परिणाम ये थे । औपचारिक क्षेत्र के अधिकारी यह समझते हैं कि उन्हें प्रौढ़ शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी से लेकर ग्रामसेवक तक की भूमिका नगण्य थी तथा वे कार्यक्रम के प्रति उचित रूप से अभिविन्यासित नहीं थे, राज्य संसाधन केन्द्र ने वांछित अधिगम व शिक्षण सामग्री के विकास हेतु सीखने वालों की आवश्यकतायें जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कियान्वयन में स्थानीय नेताओं की भूमिका केन्द्रों के लिये स्थान उपलब्ध कराने और उनमें जाने के लिये शिक्षार्थियों को मनाने तक सीमित थीं, यद्यपि अनुदेशक सूचनाओं के नये क्षेत्रों , मुख्यतः बोध व कियात्मकता से सम्बन्धित, से परिचित होने के लिए इच्छुक थे तथापि उनका कार्यकम के प्रति अनुस्थापन व अभिवृत्तियॉं अपर्याप्त थीं, केन्द्र छोड़ने वालों को कार्यकम के लाभों की स्पष्ट जानकारी नहीं थी तथा वे पारिवारिक समस्याओं व अपनी कार्य सम्बन्धी व्यस्तता के कारण केन्द्र जाना बन्द करते थे, प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कार्यकम के प्रति अभिवृत्तियॉं उपयुक्त थीं तथा उनका प्रत्यक्षीकरण साक्षरता कौशलों तक तथा कुछ सीमा तक कार्यात्मकता तक सीमित था ।

राव, भट्ट तथा रामाराव (1980) ने राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यकम के कियान्वयन का मूल्यांकन किया था । अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य ये थे =

अ— संचालन तथा संगठन के सन्दर्भ में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की कार्यप्रणाली तथा मूल्यांकन करना,

ब— प्रौढ़ शिक्षार्थियों व अनुदेशकों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना,

स— प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रयोग की जाने वाली अनुदेशन सामग्री व शिक्षार्थियों पर उसके प्रभाव की जाँच करना, तथा

द— अधिक प्रभावपूर्ण व बहुत खराब ढंग से कार्य करने वाले प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की तुलना ।

अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष ये थे — 50 से 60 प्रतिशत केन्द्रों में निम्न आय वाले तथा निम्न जाति वाले वर्गो के प्रौढ़ों की अधिकता थीं, 83 प्रतिशत शिक्षार्थी कृषक थे, 70 से 80 प्रतिशत निरक्षर ही साक्षर बन पाये थे, सीखने वालों ने मुख्य रूप से अग्रांकित समस्यायें महसूस की थी । घर से केन्द्र की दूरी, दिन के समय कार्य में, अधिक व्यस्तता, केन्द्रों में उपलब्ध अपर्याप्त, सुविधायें, कक्षाओं के रात्रि के समय की अनुपयुक्ता, लगभग 29 प्रतिशत अनुदेशकों में न्यूनतम स्तर (कक्षा—8) तक की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी , अधिकांश अनुदेशक साक्षरता को कार्यक्रम का सर्वाधिक उपयोग अवयव मानते थे, अधिकांश प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर शिक्षा—अधिगम क्रियाओं के रूप में अनुदेशन ही दिया जाता था तथा कुछ केन्द्रों पर चर्चा व समूह क्रियायें, खेलकूद व सांस्कृतिक क्रियायें भी प्रयोग की जाती थीं, केन्द्र से बहिरामन व आयु में कोई सम्बन्ध नहीं होता है, केन्द्र से बहिगर्मन के प्रमुख कारण थे । स्थान—परिवर्तन, व्यवसायिक दबाव तथा बीमारी, भावी शिक्षार्थियों में से अधिकतर ने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की घर से

दूरी, अस्थायी निवास—स्थान परिवर्तन तथा व्यावसायिक जरूरतों को केन्द्र में प्रवेश न लेने का प्रमुख कारण माना था ।

भिंगारकर (1981) में यह पाया था कि – राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता शिक्षा से परे नहीं जा पाता है, पूरे देश में इसकी प्रगति में समरूपता नहीं है, प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त विधियों के परिणामस्वरूप अपव्यय व ड्रापआउट होता है, पुराने अनुभवों से सीखने में विफलता प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का एक प्रमुख कारण रही हैं, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वैच्छिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों व सहकारी संस्थाओं की सहभागिता जरूरी थीं, प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में तीन आधारभूत अव्यय साक्षरता, व्यावसायिक कौशलों का अधिगम तथा सामाजिक व राजनीतिक बोध का निर्माण, होने चाहिये, जनसंचार साधन अनुदेशन के अत्यधिक सशक्त साधन है, नवसाक्षर प्राप्त शिक्षा ने परिणामस्वरूप अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने व रोजगार संभावनाओं को सुधारनें में सफल हुये थे, नवसाक्षर सामान्यतः अपनी साक्षरता के प्रतिधारण के प्रति अधिक जागरूक थे ।

मलिक (1981) ने निरक्षर बच्चों को पढ़ाने के लिए 'टेप—स्लाइड' प्रस्तुतीकरण को प्रभावी पाया । उनके न्यादर्श में शामिल शिक्षकों की राय में ऐसा प्रस्तुतीकरण व्याख्यान विधि से अधिक अच्छा होता है तथा इससे शिक्षकों के कार्यभार में कमी आती है ।

डे तथा नटराजन (1981) ने बिहार के नौ जिलों में चल रही प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं का मूल्यांकन करते थे निष्कर्ष निकाले । प्रत्येक केन्द्र में 16—24 तक प्रौढ़ उपस्थित रहते थे, प्रौढ़ शिक्षा मुख्यतः कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, अधिकांश सीखने वालों ने केवल साक्षरता कौशल अर्जित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश लिया था, कुछ ही व्यक्ति कार्यात्मक कौशलों का अर्जन करना चाहते थे, सीखने वालों की पठन निष्पत्ति, लेखन निष्पत्ति से अच्छी थी, सरल गणनायें, करने से सम्बन्धित उनका निष्पादन अपेक्षाकृत काफी खराब था, अधिकतर प्रौढ़ों का मत था कि उन्हें कृषि व मुर्गीपालन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई वे सिलाई, कढ़ाई, बढ़ईगिरि, पोषण, स्वास्थ्य व बच्चों की देखभाल के बारे में भी सीखना चाहते थे, पारिवारिक समस्यायें, सीखने की इच्छा का अभाव, अरूचिकर अनुदेशन कार्यक्रम, केन्द्र का सुविधाजनक स्थान पर होना तथा अनुपयुक्त समय विभाजन चक्र जैसे प्रमुख तत्वों के कारण, प्रौढ़ केन्द्र जाना छोड़ देते थे, अनुदेशकों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त था परन्तु महिलाओं का अनुपात बहुत कम था, अधिकांश अनुदेशन उन्हीं गांवों के रहने वाले थे, जहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थित थे, तीन केन्द्रों के अनुदेशक प्रशिक्षित नहीं थे, तथा अन्य को दो/तीन सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त था ।

हेबसूर, आयकाराव हैन्ड्रिक्स (1981) ने महाराष्ट्र के राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यकम का मूल्यांकन किया तथा ये प्रमुख निष्कर्ष निकाले । अधिकांश प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र उन गॉवों में स्थित थे जो कम आधुनिकीकृत थे तथा उनमें से मात्र

एक—तिहाई विद्यालय परिसरों में स्थित थे, एक—चौथाई अनुदेशक महिलायें थीं, आधे अनुदेशकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा थी । उपर्युक्त परिसरों का उपलब्ध न हो पाना, कार्यक्रमों में भाग लेने के परिणामस्वरूप पढ़ने, लिखने तथा अंकगणित सम्बन्धी कौशलों का अधिगम हुआ था एवं प्रौढ़ों की कार्यात्मकता के स्तर में सुधार हुआ था, प्रौढ़ों के सामाजिक बोध के विकास में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की भूमिका सकारात्मक थी परन्तु वहाँ पर साक्षरता पर अत्यधिक बल दिया जाता था ।

पेस्टॉन्जी, लहरिया व दीक्षित — (1981) के सर्वेक्षण से ये परिणाम प्राप्त हुए थे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आने के तीन प्रमुख कारण — पढ़ व लिख सकने में सक्षम बनाना, हस्ताक्षर करना सीखना तथा हिसाब—किताब रखना थे । अधिकांश ड्राप आउट्स ने एक माह बाद कक्षा में आना बन्द किया था व इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण अग्रांकित थे । दिन भर काम करने के कारण थक जाना, पारिवारिक व व्यावसायिक दबाब, कार्य के लिए स्थान परिवर्तन, तथा विवाह, प्रौढ़ शिक्षार्थियों का सुझाव था कि केन्द्रों में प्रकाश, बैठने व पीने के पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिये, 80 प्रतिशत अनुदेशक अपने कार्य के प्रति अच्छी अभिवृत्तियाँ रखते थे परन्तु अपने मानदेय की राशि को अपर्याप्त मानते थे, केवल 70 प्रतिशत अनुदेशकों ने ही विभिन्न अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया था व अधिकांश ने 7—8 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया था , पर्यवेक्षक मुख्यतः कुछ व्याख्यान देकर या विभिन्न विषयों पर सूचनायें उपलब्ध करवाकर अनुदेशकों की सहायता करते थे, 40 प्रतिशत पर्यवेक्षकों ने

10—11 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया था, पर्यवेक्षण कार्य में बाधक मुख्य समस्यायें थीं — आवागमन के साधनों का अभाव, अपर्याप्त यात्रा भत्ता, व रात्रि के समय असुरक्षा, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों द्वारा बताई गयी समस्यायें ये थीं = प्रौढ़ शिक्षा में लोगों की रूचि का न होना, पर्यवेक्षण के लिए आवागमन साधनों का अभाव, उपयुक्त अनुदेशकों की अनुपलब्धता ।

राव— (1981) ने साक्षरता के शिक्षण हेतु चार विधियों की प्रभावोत्पादकता का तुलनात्मक अध्ययन किया । ये चार विधियॉ ये थीं =

अ— वाक्य विधि जिसमें पठन या लेखन कौशलों पर साथ—साथ बल दिया जाता था, ।

ब— वर्णक्रम विधि, जिसमें पठन व लेखन कौशलों पर साथ—साथ बल दिया जाता था, ।

स— वाक्य विधि, जिसमें पठन कौशलों के बाद लेखन कौशल सिखाए जाते थे, व

द— वर्णकम विधि, जिसमें पठन, कौशल के बाद लेखन सिखाए जाते थे ।

प्रयोग चार माह तक चला । अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि प्रौढ़ों को साक्षरण के शिक्षण हेतु वाक्य विधि की अपेक्षाकृत वर्णकम विधि अधिक उपर्युक्त होती हैं, वर्णक्रम विधि में पहले दो माह तक पढ़ना—पढ़ाना व फिर लिखने का शिक्षण परम्परागत वर्णकम विधि से अधिक प्रभावी होता है, पठन योग्यता अन्य साक्षरता कौशलों से पहले अर्जित होती है , जब प्रयुक्त वर्णो की संख्या कम होती है तब अधिगम प्रकिया आसान हो जाती है ।

सच्चिदानन्द (1981) ने 1978—79 के दौरान राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्य—निर्धारण किया । उनके निष्कर्षो में से प्रमुख अग्रांकित थे । अधिकांश अनुदेशकों को स्वैच्छिक एजेन्सियों के मुख्यालयों पर 3 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण मिला था, अधिकांश एजेन्सियों की यह शिकायत थी कि जो सरकारी कार्मिक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध नहीं होते थे कार्यक्रम में न तो दिलचस्पी लेते हैं, और न सहयोग ही देते हैं तथा इससे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की कार्यात्मक कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नवसाक्षरों हेतु स्थानीय रोजगार अवसरों का अभाव तथा कैरोसीन तेल का उपलब्ध न होना आदि कठिनाईयाँ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के सुसंचालन में बाधक थीं, अधिकांश केन्द्रों पर इतना स्थान उपलब्ध नहीं था कि तीस प्रौढ़ भी वहाँ बैठ सकें, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में आने का प्रमुख कारण यह था कि प्रौढ़ पढ़ना व लिखना—सीखना चाहते थे, ड्राप आउट के लिए व्यवसाय हेतु निवास—स्थान में परिवर्तन या विवाह व पारिवारिक समस्यायें उत्तरदायी थीं । शिक्षण—अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने तथा शैक्षिक व संगठनात्मक शिक्षार्थी सरल आंकिक गणनायें करने, नाम व पते लिखने व कुछ लोग आवेदन—पत्र भरने में सक्षम हो गए थे, अधिकतर शिक्षार्थी प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों, कृषि व पशुपालन केन्द्रों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों से भी परिचित हो गये थे ।

सरमा, शरण, बीना व पारीख (1981) ने यह पाया कि — अधिकांश सीखने वालों को केवल, साक्षरता व अंक ज्ञान के सन्दर्भ में ही लाभ पहुँचा, अधिकत्तर

अनुदेशक वह मानते थे कि अनुदेशन सामग्री सीखने वालों की व्यावसायिक व स्वास्थय आवश्यकताओं की दृष्टि से प्रांसगिक नहीं थी और न वह प्रौढ़ों के नागरिक व आर्थिक अधिकारों व सरकारी योजनाओं के अनुरूप थी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र मुख्यतः अनुदेशकों के घरों में या स्कूल, पंचायत, मंदिर आदि सार्वजनिक भावनाओं में चलते थे, तथा कुछ तो खुले स्थानों पर भी चलते थे परन्तु इन स्थानों की क्षमता अपर्याप्त थी न इनके लिए उपयुक्त स्थल चुनने में क्षेत्र का पिछड़ापन बाधक था, अनुदेशकों की नियुक्ति में योग्यता व अनुभव के बजाय स्थानीय नेताओं की संस्तुति अधिक महत्वपूर्ण रहती थी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन में बाधक कठिनाईयाँ अग्रांकित थीं। सरकार से मिलने वाली अनियमित सहायता, कुछ मौसमों में शिक्षार्थियों की अनुपस्थिति, सीखने वालों में रूचि का अभाव, समुदाय में रूचि का अभाव, अनुदेशकों को बहुत कम मानदेय आदि।

बस्तियॉ– (1982) ने उड़ीसा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन कर ये मुख्य निष्कर्ष ज्ञात किए। अधिकांश अनुदेशक बहुत कम योग्य, परन्तु जनजातियों के ही थे तथा उन्हें एक सप्ताह का अपर्याप्त प्रशिक्षण ही मिला था, प्रत्येक केन्द्र केवल दो घण्टे चलता था, अधिकतर केन्द्रों में प्रकाश व बैठने की अपर्याप्त व्यवस्था थी, अनुपस्थिति व ड्राप – आउट के लिए खराब आर्थिक स्थिति व पारिवारिक समस्यायें प्रमुख कारण है, कार्यक्रम में मुख्यतः साक्षरता व अंक –ज्ञान कौशलों पर ही बल दिया जाता था, कार्यक्रम की प्रभावी कार्यप्रणाली में बाधक तत्व थे। उचित भौतिक सुविधाओं का अभाव, सुयोग्य

अनुदेशकों की कमी, अनियमित भुगतान, अप्रांसगिक पाठ्यक्रम व अनुदेशनात्मक सामग्री, परिवीक्षण को यदा—कदा करना, पुस्तकालय सुविधाओं के अभाव तथा उत्तर—साक्षरता सामग्री की कमी के कारण अनुवर्ती कार्यक्रमों के संगठन में बाधा पहुँचती थी, अधिकांश सीखने वालों की साक्षरता व अंक—ज्ञान संबंधी परीक्षणों पर निष्पत्ति उनकी कार्यशीलता व बोध परीक्षणों पर निष्पत्ति से अधिक अच्छी थी ।

सेल्वाम — (1982) ने जीवन के लिए शिक्षा नामक दूरदर्शन प्रसारण देखने के प्रभावों को जानने की चेष्टा की । आश्रित चरों में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार—कल्याण व राजनीतिक समाजीकरण में संबंधित ज्ञान, बोध, अधिग्रहण व उपयोग को शामिल किया गया था । अध्ययन से ये प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए थे । दूरदर्शन कार्यक्रमों को अधिक देखने से कृषि, पशुपालन, स्वास्थय, पोषण, परिवार—कल्याण तथा राजनीतिक समाजीकरण के क्षेत्रों में ज्ञान में वृद्धि हुई तथा दर्शकों (ग्रामीण प्रौढ़) की आधुनिकता भी बढ़ी ।

सेठ (1982) ने कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रौढ़ सीखने वालों में अभिप्रेरणा का अध्ययन किया ये निष्कर्ष निकाले । वे जनसंचार साधनों से होने वाउले प्रसारणों को बहुत कम देखते — सुनते थे , प्रौढ़ साक्षरता की आवश्यकता महसूस नहीं करते थे तथा अपनी उपलब्धियों का निम्न आंकलन करते थे, कार्यक्रम में निरन्तर भाग लेना समूहों के सदस्यों के बीच अन्तरक्रिया से सार्थक रूप से संबंधित था, अधिकतर अनुदेशक शिक्षण की परम्परागत विधि प्रयोग

करते थे , अनुदेशक द्वारा बच्चों व महिलाओं से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर कार्यक्रम में सहभागियों की अभिप्रेरणा को कायम रखा गया ।

शिवराजन (1983) ने हरिजनों के लिए निरोपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित सुविधाओं व अवरोधों का अध्ययन किया व यह पाया कि हरिजनों में उच्च निरक्षरता दर के लिए ड्रेस का अभाव, भोजन व धन की कमी, दिन के समय काम करने की आवश्यकता व पड़ोस में स्कूलों का न होना उत्तरदायी थे ।

दयालु शरण शर्मा (1994) ने 'मुरादाबाद जनपद में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एवं सामाजिक परिवर्तन नामक शीर्षक के अन्तर्गत मुरादाबाद विकासखण्ड के 100 नवसाक्षरों पर अध्ययन किया । इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला की नवसाक्षरों की सामाजिक जागरूकता तथा विकास के स्तर में साक्षरता का स्तर ही मुख्य कारक रहा है । समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक , राजनैतिक परिवर्तनों को समझने का संज्ञान नवसाक्षरों के अन्दर सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से ही सम्भव हो सका है । समाज राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रघटनाओं को जानने व समझने की सोच भी उनके अन्दर जाग्रत हुई है ।

उपर्युक्त संसाधनों से स्पष्ट है कि अभी तक साक्षरता से सम्बन्धित जितने भी शोध कार्य हुए है उनका सीधा सम्बन्ध प्रौढ़ शिक्षा से ही जुड़ा है । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ''प्रौढ़ शिक्षा योजना'' को सम्पूर्ण

साक्षरता अभियान के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है । प्रौढ़ शिक्षा केवल एक परियोजना केन्द्रित विषय रही है जबकि सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम एक अभियान के रूप में सम्पूर्ण देश में लागू किया जा चुका है । अतः अभियान परियोजना के विपरीत एक बड़ी प्रघटना है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की विषय वस्तु शोधार्थियों के लिए अभी तक अपरिचित जैसी अछूती ही रही हैं । अस्तु सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के विभिन्न आयामों, प्रभावों, कार्यविधियों, एवं परिणामों से संबंधित वर्तमान में अनुसंधान की अत्याधिक आवश्यकता है । इसीलिए शोधार्थिनी ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़े एक पक्ष अर्थात् नवसाक्षरों की जीवन शैली में आए परिवर्तनों पर कार्य करने का निश्चय किया है ताकि अनुसंधान के क्षेत्र में इस विषय के प्रति शोधात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकें ।

—00—

तृतीय अध्याय

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की प्रगति

तृतीय – अध्याय

उत्तर प्रदेश में साक्षरता की स्थिति

चौरासी करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले इस विशाल भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत भाग चार प्रमुख हिन्दी भाषी राज्यों – उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान में निवास करता है । इन्हीं चार प्रदेशों में सम्पूर्ण भारत के 332.680 लाख सभी वयवर्ग को सम्मिलित करते हुए निरक्षरों में से 47.55 प्रतिशत अर्थात् 158.200 लाख निरक्षर निवास करते हैं । प्रदेश में इस समय 9–35 वय वर्ग के 29.149 लाख निरक्षर हैं, जिन्हें तीन वर्षो में साक्षर किये जाने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है । हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता 52.21 प्रतिशत है, वहीं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 41.6 प्रतिशत है । अगर राष्ट्रीय स्तर को ही हम मानक मानकर चलें तो प्रदेश के 10 जनपदों देहरादून, कानपुर नगर, पौढ़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, लखनऊ, नैनीताल, गाजियाबाद और इटावार को छोड़कर शेष 55 जनपदों की साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर में भी कम है । प्रदेश के 65 जनपदों में साक्षरता की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत	:	4 जनपद अधिकतम देहरादून 69.50 प्रतिशत
50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत	:	11 जनपद
40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	:	22 जनपद
30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत	:	19 जनपद
20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत	:	09 जनपद न्यूनतम बहराइच 24.39 प्रतिशत

भारत की जनगणना 2001
उत्तर प्रदेश
जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े : एक दृष्टि में

प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हैं, उनमें साक्षरता दर मात्र 42.98 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसत महिला साक्षरता दर घटकर 29.02 प्रतिशत रह जाती है । प्रदेश के 7 जिलों मुरादाबाद, गोण्डा, बरेली, महाराजगंज, बदायूँ, रामपुर और श्रावस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर 18 प्रतिशत से भी कम है । श्रावस्ती जिले के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम अर्थात् 18.75 प्रतिशत है ।

<u>सारिणी – 3.1</u>

<u>उत्तर प्रदेश में जिलाबार जनसंख्या और निरक्षर – 2001</u>

(हजारो मे)

क्र० सं०	जिला	क्षेत्र	जनसंख्या			निरक्षर		
			कुल	पुरूष	महिलाये	कु ल	पुरूष	महिलायें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1–	कौशम्बी	कुल	195	102	93	103	32	71
		ग्रामीण	180	93	87	100	31	69
		शहरी	15	09	06	03	01	02
2–	चित्रकूट	कुल	369	184	185	143	33	110
		ग्रामीण	334	162	172	137	31	106
		शहरी	35	22	13	06	02	04
3–	अम्बेडकर नगर	कुल	470	226	244	243	63	180

		ग्रामीण	442	207	235	237	60	177
		शहरी	28	19	09	06	03	03
4—	महोबा	कुल	859	471	388	262	104	158
		ग्रामीण	418	227	191	178	106	—
		शहरी	441	244	197	84	32	52
5—	कुशीनगर	कुल	569	274	295	197	48	149
		ग्रामीण	499	232	267	180	39	141
		शहरी	70	42	28	17	09	08
6—	महामायानगर	कुल	464	233	231	191	48	143
		ग्रामीण	427	212	2156	184	46	138
		शहरी	37	21	16	07	02	05
7—	जे0पी0 नगर	कुल	680	321	359	281	64	217
		ग्रामीण	634	294	340	275	62	213
		शहरी	46	27	19	06	02	04
8—	चन्दोली	कुल	1247	673	574	542	216	326
		ग्रामीण	837	448	389	397	154	243
		शहरी	410	225	185	145	62	83

9—	बिजनौर	कुल	1928	1039	889	1147	493	654
		ग्रामीण	1142	780	662	886	373	513
		शहरी	486	259	227	261	120	141
10—	मुरादाबाद	कुल	3218	1753	1465	2219	1023	1196
		ग्रामीण	2310	1266	1044	1746	804	942
		शहरी	908	487	421	473	219	254
11—	रामपुर	कुल	1174	638	536	876	422	454
		ग्रामीण	855	469	386	691	336	355
		शहरी	319	169	150	185	86	99
12—	सहारनपुर	कुल	1832	997	835	1060	460	600
		ग्रामीण	1354	740	614	867	375	492
		शहरी	478	257	221	193	85	108
13—	हाथरस	कुल	905	494	411	467	200	267
		ग्रामीण	614	335	279	384	166	218
		शहरी	291	159	132	83	34	49
14—	मुजफ्फरनगर	कुल	2265	1225	1040	1268	531	737
		ग्रामीण	1704	926	778	1011	421	590
		शहरी	561	299	262	257	110	147

15—	मेरठ	कुल	2757	1497	1259	1343	531	811
		ग्रामीण	1726	944	782	925	358	567
		शहरी	1030	553	477	417	173	244
16—	गाजियाबाद	कुल	2159	1187	972	967	373	594
		ग्रामीण	1151	633	518	597	223	374
		शहरी	008	554	454	370	150	220
17—	बुलन्दशहर	कुल	2263	1227	1036	1251	467	784
		ग्रामीण	1789	974	815	1027	376	651
		शहरी	474	253	221	224	91	133
18—	अलीगढ़	कुल	2610	1426	1184	1430	568	862
		ग्रामीण	1943	1067	876	1142	445	697
		शहरी	667	359	308	288	123	165
19—	मथुरा	कुल	1526	849	677	839	318	521
		ग्रामीण	1159	651	508	686	257	429
		शहरी	367	198	169	153	61	92
20—	आगरा	कुल	2180	1200	980	1121	443	678
		ग्रामीण	1280	713	567	759	292	467
		शहरी	900	487	413	362	151	211

21—	फिरोजाबाद	कुल	1214	668	546	652	269	383
		ग्रामीण	888	491	397	514	209	305
		शहरी	326	177	149	138	60	78
22—	एटा	कुल	1778	983	795	1064	451	613
		ग्रामीण	1478	822	656	930	394	536
		शहरी	300	161	139	134	57	77
23—	मैनपुरी	कुल	1047	576	471	521	206	315
		ग्रामीण	907	501	406	473	187	286
		शहरी	140	75	65	48	19	29
24—	बदायूँ	कुल	1934	1081	853	1458	714	744
		ग्रामीण	1591	897	694	1261	623	638
		शहरी	343	184	159	197	91	106
25—	बरेली	कुल	2243	1235	1008	1508	700	808
		ग्रामीण	1491	830	661	1123	526	597
		शहरी	752	405	347	385	174	211
26—	पीलीभीत	कुल	1007	552	455	683	307	376
		ग्रामीण	817	449	368	589	265	324
		शहरी	190	103	87	94	42	52

27—	शाहजहाँपुर	कुल	1597	893	704	1085	512	573
		ग्रामीण	1262	713	549	919	438	481
		शहरी	335	180	155	166	74	92
28—	खेरी	कुल	1948	1074	874	1369	638	731
		ग्रामीण	1737	960	777	1277	597	680
		शहरी	211	114	97	92	41	51
29—	सीतापुर	कुल	2304	1276	1028	1580	726	854
		ग्रामीण	2025	1124	901	1458	672	786
		शहरी	279	152	127	122	54	68
30—	हरदोई	कुल	2213	1233	980	1410	623	787
		ग्रामीण	1953	1093	860	1293	573	720
		शहरी	260	140	120	117	50	67
31—	उन्नाव	कुल	1140	961	823	1094	465	629
		ग्रामीण	1540	830	710	991	422	569
		शहरी	244	131	113	103	43	60
32—	लखनऊ	कुल	2296	1241	1055	976	415	561
		ग्रामीण	830	452	433	538	232	306
		शहरी	1466	789	677	438	183	255

33—	रायबरेली	कुल	1865	969	896	1161	453	708
		ग्रामीण	1696	878	818	1096	427	669
		शहरी	169	91	78	65	26	39
34—	फर्रूखाबाद	कुल	1949	1074	875	1030	435	595
		ग्रामीण	1583	877	706	874	367	507
		शहरी	366	197	169	156	68	88
35—	इटावा	कुल	1706	939	767	790	317	473
		ग्रामीण	1433	792	641	698	279	419
		शहरी	273	147	126	92	38	54
36—	कानपुर देहात	कुल	1724	946	778	850	351	499
		ग्रामीण	1625	892	733	811	334	477
		शहरी	99	54	45	39	17	22
37—	कानपुर नगर	कुल	2052	1137	915	642	265	377
		ग्रामीण	307	169	399	155	65	90
		शहरी	1745	968	777	487	200	287
38—	जालौन	कुल	982	542	440	484	183	301
		ग्रामीण	763	423	340	405	154	251
		शहरी	219	119	100	79	29	50

39—	झाँसी	कुल	1156	625	531	560	208	352
		ग्रामीण	694	378	316	409	155	544
		शहरी	462	247	215	151	53	98
40—	ललितपुर	कुल	590	319	271	401	175	226
		ग्रामीण	505	274	231	372	165	207
		शहरी	85	45	40	29	10	19
41—	हमीरपुर	कुल	1176	644	532	710	289	421
		ग्रामीण	971	532	439	623	256	367
		शहरी	205	112	93	87	33	54
42—	बांदा	कुल	1481	814	667	953	396	557
		ग्रामीण	1285	706	579	874	366	508
		शहरी	196	108	88	79	30	49
43—	फतेहपुर	कुल	1524	815	709	843	327	516
		ग्रामीण	1370	732	638	782	303	479
		शहरी	154	83	71	61	24	37
44—	प्रतापगढ़	कुल	1760	881	879	1049	350	699
		ग्रामीण	1661	828	833	1014	338	676
		शहरी	99	53	46	35	12	23

45—	इलाहाबाद	कुल	3901	2099	1802	2237	858	1379
		ग्रामीण	3037	1620	1471	1975	755	1220
		शहरी	864	479	385	262	103	159
46—	बहराईच	कुल	2214	1217	997	1674	784	890
		ग्रामीण	2040	1124	916	1561	747	844
		शहरी	174	93	81	83	37	46
47—	गोंडा	कुल	2857	1537	1320	2076	922	1154
		ग्रामीण	2643	1422	1221	1991	888	103
		शहरी	214	115	99	85	34	51
48—	बारांबंकी	कुल	—	—	—	—	—	—
		ग्रामीण	1781	971	810	1273	568	705
		शहरी	182	97	85	93	41	52
49—	फैजाबाद	कुल	2390	1244	1146	1437	554	883
		ग्रामीण	2107	1090	1017	1331	512	819
		शहरी	283	154	129	106	42	64
50—	सुल्तानपुर	कुल	2053	1061	992	1259	474	785
		ग्रामीण	1960	1010	950	1229	463	766
		शहरी	93	51	42	30	11	19

51—	सिद्धार्थ नगर	कुल	1350	709	641	984	419	565
		ग्रामीण	1304	684	620	963	411	552
		शहरी	46	25	21	21	08	13
52—	महाराजगंज	कुल	1325	697	628	942	379	563
		ग्रामीण	1258	661	597	914	369	545
		शहरी	67	36	31	28	10	18
53—	बस्ती	कुल	2177	1139	1038	1403	550	853
		ग्रामीण	2036	1062	974	1349	529	820
		शहरी	141	77	64	54	21	33
54—	गोरखपुर	कुल	2437	1269	1168	1382	500	882
		ग्रामीण	1966	1013	953	1234	445	789
		शहरी	471	256	215	148	55	93
55—	देवरिया	कुल	3484	1766	1718	2185	789	1396
		ग्रामीण	3222	1626	1596	2085	753	1332
		शहरी	262	140	122	100	36	64
56—	मऊ	कुल	1134	572	562	637	232	405
		ग्रामीण	943	473	470	563	204	359
		शहरी	191	94	84	73	29	44

57—	आजमगढ़	कुल	2471	1222	1249	1502	536	966
		ग्रामीण	2293	1128	1165	1429	507	922
		शहरी	178	94	84	73	29	44
58—	जौनपुर	कुल	2512	1250	1262	1451	472	979
		ग्रामीण	2336	1157	1179	1383	447	936
		शहरी	176	93	83	68	25	43
59—	बलिया	कुल	1804	925	879	1012	363	649
		ग्रामीण	1623	829	794	941	336	605
		शहरी	181	96	85	71	27	44
60—	गाजीपुर	कुल	1898	966	932	1077	372	705
		ग्रामीण	1756	891	865	1028	356	672
		शहरी	142	75	67	49	16	33
61—	वाराणसी	कुल	3808	2020	1788	1992	720	1272
		ग्रामीण	2744	1441	1303	1593	563	1030
		शहरी	1064	579	485	399	157	242
62—	मिर्जापुर	कुल	1289	690	599	778	312	466
		ग्रामीण	1106	591	515	702	282	420
		शहरी	183	99	84	76	30	46

63—	सौनभद्र	कुल	842	459	383	552	241	311
		ग्रामीण	724	390	334	522	230	292
		शहरी	118	69	49	30	11	19

सारिणी – 3.7

उत्तर प्रदेश में जिलाबार साक्षर और साक्षरता दरें – 1991

हजारो में

क्र0 सं0	जिला	क्षेत्र	जनसंख्या				निरक्षर	
			कुल	पुरूष	महिलायें	कुल	पुरूष	महिलायें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—	कोशाम्बी	कुल	90	70	22	47.23	68.74	23.57
		ग्रामीण	80	62	18	44.50	66.76	20.66
		शहरी	12	08	04	80.93	79.60	67.62
2—	चित्रकूट	कुल	226	151	75	61.08	82.01	40.37
		ग्रामीण	197	131	66	58.95	80.99	38.35
		शहरी	29	20	09	81.42	89.46	67.60
3—	अम्बेडकरनगर	कुल	227	163	64	48.38	72.10	26.41
		ग्रामीण	205	147	58	46.46	70.96	24.79

		शहरी	22	16	06	78.41	84.86	65.92
[illegible]—	महोबा	कुल	597	367	230	69.50	77.95	59.26
		ग्रामीण	240	155	85	57.34	68.27	44.39
		शहरी	357	212	145	81.04	86.96	73.71
5—	कुशीनगर	कुल	372	226	146	65.35	82.46	49.44
		ग्रामीण	319	193	126	63.85	83.12	47.08
		शहरी	53	33	20	76.11	78.80	72.09
6—	महामायानगर	कुल	273	185	88	59.01	79.44	38.37
		ग्रामीण	243	166	77	56.88	78.35	35.69
		शहरी	30	19	11	84.32	90.83	75.69
7—	जे0[illegible] नगर	कुल	399	257	142	58.66	79.96	39.60
		ग्रामीण	359	232	127	56.63	78.95	37.31
		शहरी	40	25	15	86.37	90.85	80.04
[illegible]—	चन्दोली	कुल	705	457	248	56.52	67.88	43.19
		ग्रामीण	440	294	146	52.55	65.59	37.55
		शहरी	265	163	102	64.62	72.44	55.09
9—	बिजनौर	कुल	781	546	235	40.53	52.56	26.47
		ग्रामीण	556	407	149	38.56	52.18	22.50

		शहरी	225	139	86	46.38	53.70	38.03
10—	मुरादाबाद	कुल	999	730	269	31.03	41.65	18.34
		ग्रामीण	564	462	102	24.39	36.51	9.71
		शहरी	435	268	167	47.94	55.02	39.76
11—	रामपुर	कुल	298	216	82	25.37	33.79	15.31
		ग्रामीण	164	133	31	19.17	28.30	8.06
		शहरी	134	83	51	41.98	49.01	34.01
12—	सहारनपुर	कुल	772	537	235	42.11	53.85	28.10
		ग्रामीण	487	365	122	35.96	49.32	19.89
		शहरी	285	172	113	59.49	66.83	50.93
13—	हाथरस	कुल	438	294	144	48.35	59.51	34.93
		ग्रामीण	230	169	61	37.43	50.50	21.74
		शहरी	208	125	83	71.34	78.45	62.76
14—	मुजफ्फरनगर	कुल	997	694	303	44.00	56.63	29.12
		ग्रामीण	693	505	188	40.65	54.52	24.14
		शहरी	304	189	115	54.20	63.16	32.96
15—	मेरठ	कुल	1414	966	448	51.30	64.47	35.62
		ग्रामीण	801	586	215	46.44	62.02	27.60

		शहरी	613	380	233	59.43	68.65	48.75
16–	गाजियाबाद	कुल	1192	814	378	55.22	68.64	38.81
		ग्रामीण	554	410	144	48.15	64.85	27.75
		शहरी	638	404	234	63.28	72.97	51.44
17–	बुलन्दशहर	कुल	1012	760	252	44.71	61.96	24.30
		ग्रामीण	762	598	164	42.56	61.38	20.08
		शहरी	250	162	88	52.82	64.18	39.83
18–	अलीगढ़	कुल	1180	858	322	45.21	60.19	27.17
		ग्रामीण	801	622	179	41.22	58.30	20.39
		शहरी	379	236	143	56.85	65.82	46.41
19–	मथुरा	कुल	687	531	156	45.03	62.55	23.04
		ग्रामीण	473	394	79	40.82	60.49	15.62
		शहरी	214	137	77	58.32		
20–	आगरा	कुल	1059	757	302	48.58	63.09	30.83
		ग्रामीण	521	421	100	40.71	59.07	17.64
		शहरी	538	336	202	59.77	58.96	48.92
21–	फिरोजाबाद	कुल	562	399	163	46.30	59.76	29.85
		ग्रामीण	374	282	92	42.13	57.47	23.13

		शहरी	188	117	71	57.63	66.10	47.64
22—	एटा	कुल	714	532	182	40.15	54.09	22.91
		ग्रामीण	548	428	120	37.08	52.07	18.28
		शहरी	166	104	62	55.26	64.40	44.71
23—	मैनपुरी	कुल	526	370	156	50.21	64.26	33.05
		ग्रामीण	434	314	120	47.87	62.76	29.51
		शहरी	92	56	36	65.37	74.27	55.11
24—	बदायूँ	कुल	476	367	109	24.64	33.96	12.82
		ग्रामीण	330	274	56	20.75	30.54	8.11
		शहरी	146	93	53	42.62	50.63	33.34
25—	बरेली	कुल	735	535	200	32.78	43.33	19.85
		ग्रामीण	368	304	64	24.67	36.62	9.65
		शहरी	367	231	136	48.84	57.09	39.22
26—	पीलीभीत	कुल	324	245	79	32.10	44.37	17.22
		ग्रामीण	228	184	44	27.90	41.03	11.87
		शहरी	96	61	35	50.22	59.01	39.86
27—	शाहजहाँपुर	कुल	512	381	131	32.07	42.68	18.59
		ग्रामीण	343	275	68	27.15	38.57	12.28

		शहरी	169	106	63	50.63	59.03	40.92
28–	खेरी	कुल	579	436	143	29.71	40.58	16.35
		ग्रामीण	460	363	97	26.48	37.78	12.50
		शहरी	119	73	46	56.39	64.09	47.29
29–	सीतापुर	कुल	724	550	174	31.41	43.10	16.90
		ग्रामीण	567	452	115	27.98	40.19	12.73
		शहरी	157	98	59	56.28	64.64	46.35
30–	हरदोई	कुल	803	610	193	36.30	46.45	19.75
		ग्रामीण	660	520	140	33.82	47.56	16.34
		शहरी	143	90	53	54.87	64.13	44.09
1–	उन्नाव	कुल	690	496	194	38.70	51.63	23.62
		ग्रामीण	549	408	141	35.64	49.15	19.87
		शहरी	141	88	53	57.97	67.35	47.14
–	लखनऊ	कुल	1320	826	494	57.49	66.51	46.88
		ग्रामीण	292	220	72	35.15	48.60	19.05
		शहरी	1028	606	422	70.12	76.77	62.38
33–	रायबरेली	कुल	704	516	188	37.78	53.30	21.01
		ग्रामीण	600	451	149	35.40	51.41	18.22

		शहरी	104	65	39	61.59	71.44	50.13
34—	फर्रूखाबाद	कुल	919	639	280	47.13	59.43	31.97
		ग्रामीण	709	510	199	44.79	58.14	28.20
		शहरी	210	129	81	57.27	65.50	47.72
35—	इटावा	कुल	916	622	294	53.69	66.24	38.34
		ग्रामीण	735	513	222	51.28	64.73	34.65
		शहरी	181	109	72	66.35	74.39	57.02
36—	कानपुर देहात	कुल	874	595	279	50.71	62.88	35.92
		ग्रामीण	814	558	256	50.09	62.54	34.96
		शहरी	60	37	23	60.79	68.58	51.56
37—	कानपुर नगर	कुल	1410	872	538	68.75	76.73	58.82
		ग्रामीण	152	104	48	49.56	61.55	34.83
		शहरी	1258	768	490	72.11	79.38	63.08
38—	जालौन	कुल	498	359	139	50.72	66.21	31.60
		ग्रामीण	358	269	89	46.91	63.59	26.13
		शहरी	140	90	50	64.02	75.50	50.27
39—	झाँसी	कुल	596	417	179	51.60	66.76	33.76
		ग्रामीण	285	223	62	41.09	59.05	19.61

		शहरी	311	194	117	67.39	78.56	54.56
40—	ललितपुर	कुल	189	144	45	32.12	45.22	16.62
		ग्रामीण	133	109	24	26.41	39.79	10.47
		शहरी	56	35	21	66.10	78.37	52.22
41—	हमीरपुर	कुल	466	355	111	39.64	55.13	20.88
		ग्रामीण	348	276	72	35.83	51.86	16.35
		शहरी	118	79	39	57.58	70.67	41.98
42—	बांदा	कुल	528	418	110	35.70	51.50	16.44
		ग्रामीण	411	340	71	.32.01	48.26	12.21
		शहरी	117	78	39	60.05	72.78	44.46
43—	फतेहपुर	कुल	681	488	193	44.69	59.88	27.25
		ग्रामीण	588	429	159	42.87	58.55	24.87
		शहरी	93	59	34	61.05	71.63	48.70
44—	प्रतापगढ़	कुल	711	531	180	40.40	60.29	20.48
		ग्रामीण	647	490	157	38.97	59.20	18.88
		शहरी	64	41	23	64.46	77.33	49.55
45—	इलाहाबाद	कुल	1664	1241	423	42.66	59.14	23.45
		ग्रामीण	1062	865	197	34.98	53.42	13.87

		शहरी	602	376	226	69.69	78.47	58.76
46—	बहराईच	कुल	540	433	107	24.39	35.57	10.73
		ग्रामीण	449	377	72	22.01	33.51	7.89
		शहरी	91	56	35	22.36	60.26	43.14
47—	गोंडा	कुल	781	615	166	27.34	40.00	12.58
		ग्रामीण	652	334	118	24.67	37.56	9.66
		शहरी	129	81	48	60.29	70.17	48.71
48—	बारांबंकी	कुल	597	459	138	30.42	43.00	15.41
		ग्रामीण	508	403	105	28.53	41.51	12.96
		शहरी	89	56	33	48.87	57.79	38.68
49—	फैजाबाद	कुल	953	690	263	39.90	55.49	22.97
		ग्रामीण	776	578	198	36.84	53.06	19.46
		शहरी	177	112	65	62.57	72.58	50.61
50—	सुल्तानपुर	कुल	794	587	207	38.69	55.36	20.84
		ग्रामीण	731	547	184	37.32	54.15	19.40
		शहरी	63	40	23	67.55	79.64	53.07
51—	सिद्धार्थ नगर	कुल	366	290	76	27.09	40.91	11.81
		ग्रामीण	341	273	68	26.13	39.94	10.91

		शहरी	25	17	08	53.84	67.40	38.18
52—	महाराजगंज	कुल	383	318	65	28.90	45.67	10.28
		ग्रामीण	344	292	52	27.35	44.20	8.68
		शहरी	39	26	13	58.06	72.70	41.04
53—	बस्ती	कुल	774	589	185	35.54	51.68	17.82
		ग्रामीण	687	533	154	33.74	50.19	15.78
		शहरी	87	56	31	61.34	72.17	48.46
54—	गोरखपुर	कुल	1055	769	286	43.30	60.61	24.49
		ग्रामीण	732	568	164	37.25	56.09	17.23
		शहरी	323	201	122	68.59	78.52	56.74
55—	देवरिया	कुल	1299	977	322	37.30	55.34	18.75
		ग्रामीण	1137	873	264	35.30	53.72	16.53
		शहरी	162	104	58	61.85	74.09	47.77
56—	मऊ	कुल	497	340	157	43.80	59.44	27.86
		ग्रामीण	380	269	111	40.26	56.85	23.56
		शहरी	117	71	46	61.29	71.82	49.88
57—	आजमगढ़	कुल	969	686	283	39.22	56.13	22.67
		ग्रामीण	864	621	243	37.68	55.06	20.85

		शहरी	105	65	40	58.91	68.94	47.76
58—	जौनपुर	कुल	1061	778	283	42.22	62.24	22.39
		ग्रामीण	953	710	243	40.79	61.37	20.59
		शहरी	108	68	40	61.22	73.00	47.98
59—	बलिया	कुल	792	562	230	43.89	60.76	26.13
		ग्रामीण	682	493	189	41.99	59.44	23.76
		शहरी	110	69	41	60.88	72.22	48.16
60—	गाजीपुर	कुल	821	594	227	43.27	61.48	24.38
		ग्रामीण	728	535	193	41.46	60.05	22.33
		शहरी	93	59	34	65.56	78.36	51.01
61—	वाराणसी	कुल	1816	1300	516	47.70	64.37	28.87
		ग्रामीण	1151	878	273	41.95	60.94	20.94
		शहरी	665	422	243	62.52	72.92	50.13
62—	मिर्जापुर	कुल	511	378	133	39.68	54.75	22.32
		ग्रामीण	404	309	95	36.54	52.22	18.55
		शहरी	107	69	38	58.67	69.84	45.49
63—	सौनभद्र	कुल	290	218	72	34.40	47.56	19.65
		ग्रामीण	202	160	42	27.92	41.12	12.49
		शहरी	88	58	30	74.08	84.08	60.20

उत्तर प्रदेश साक्षरता की व्याख्या :

उत्तर प्रदेश के जनपदों में सन् 1981 एवं 1991 की जनगणना के आधार पर साक्षरता की दृष्टि से उसका विश्लेषण करने पर शोधकर्त्री इस निष्कर्ष पर

पहुँची है कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि की गति मन्द प्रतीत होंती है । उत्तर प्रदेश में कुछ जिले जैसे – बदायूँ, रामपुर, बहराइच, गोंडा, देवरिया, मिर्जापुर, सौनभद्र आदि शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं । कुछ जनपदों की महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है । कुछ जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ऊपर है, जैसे – देहरादून जहाँ पर साक्षरता प्रतिशत 58.52 प्रतिशत है । कानपुर नगर 68.75 प्रतिशत है ।

लेकिन यह साक्षरता की प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती, अधिकतर प्रदेश के पूर्वी जिलो में साक्षरता का प्रतिशत कम है । इसका कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति शोचनीय होना लगता है । वहाँ की जलवायु एवं परिस्थितियाँ भी शिक्षा की प्रगति में बाधक हो सकती है । इसलिए शोधकर्त्री का विचार है, कि इन क्षेत्रो में गहनता से समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है ।

प्रस्तुत अध्यापकों निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है –

1– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का स्वरूप,

2– भारत में साक्षरता की स्थिति,

3– उत्तर प्रदेश में साक्षरता की स्थिति,

4– जनपद मुरादाबाद में साक्षरता की स्थिति

भारत
साक्षरता 2001
(राज्य/केन्द्र शा. प्र.)
किलोमीटर
100 0 100 200 300 400 500
अफगानिस्तान
जम्मू और कश्मीर
54.46
हिमाचल प्रदेश
77.13
69.95
पंजाब
चण्डीगढ़
81.76
उत्तरांचल
72.28
हरियाणा
68.59
दिल्ली
81.82
पाकिस्तान
तिब्बत
चीन
नेपाल
सिक्किम
69.68
अरुणाचल प्रदेश
54.74
भूटान
असम
64.28
नगालैण्ड
67.11
मेघालय 63.31
मणिपुर
68.87
राजस्थान
61.03
उत्तर प्रदेश
57.36
बिहार
47.53
बंगलादेश
त्रिपुरा
73.66
मिजोरम
88.49
गुजरात
69.97
मध्य प्रदेश
64.11
झारखण्ड
54.13
पश्चिम बंगाल
69.22
म्यांमार
छत्तीसगढ़
65.18
उड़ीसा
63.61
दमन और दीव
81.09
(द. न. ह.)
60.03
महाराष्ट्र
77.27
बंगाल की खाड़ी
आन्ध्र प्रदेश
61.11
पा.
अरब सागर
गोवा
82.32
कर्नाटक
67.04
कुल जनसंख्या में शिक्षितों का प्रतिशत
56.00 से कम
56.01 - 64.00
64.01 - 72.00 (राष्ट्रीय औसत 65.38)
72.01 - 80.00
80.01 से अधिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत)
81.18
पांडिचेरी
81.49
तमिलनाडु
73.47
केरल
90.92
लक्षद्वीप समूह
(भारत)
87.52
श्रीलंका
हिन्द
महासागर
पा.-पाण्डिचेरी

1— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का स्वरूप :

प्रौढ़ साक्षरता का कार्य हमारे देश में बहुत पहले से संचालित किया जाता रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी तमाम कल्याणकारी अभिकरणों और समाजसेवी व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ साक्षरता का कार्य किया जाता रहा है, किन्तु इनके द्वारा किये गये प्रयास छुट—पुट और सीमित थे । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं में रखा गया । भारत सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के जो प्रयास किये गये, वे भी प्रभावहीन साबित हुए, क्योंकि सामने एक विशाल निरक्षर प्रौढ़ समूह था । यद्यपि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा, तथापि निरक्षरों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जों एक चिन्तनीय समस्या बन गई । यह समस्या राष्ट्रीय विकास में भी बाधक बन गई । अस्तु निरक्षरता उन्मूलन के लिए नए—नए उपागम खोजे गये

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरम्भ 05 मई, 1988 को इसी उद्देश्य से किया गया । यह लक्ष्य रखा गया कि सन् 1995 तक देश के 15—35 वय—वर्ग के आठ करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है । इनमें से तीन करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को सन् 1990 तक तथा शेष पॉच करोड़ निरक्षरों को सन् 1995 तक साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं एवं राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओ के माध्यम से सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरण इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं । किए गए मूल्यांकन अध्ययनों तथा प्राप्त पुनर्निवेशन से स्पष्ट

होता रहा है कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों से यह देश निर्धारित समय से साक्षर नहीं हो पायेगा । अस्तु वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य उपयुक्त विकल्पों की खोज सतत् जारी रही और आज भी जारी है । केरल राज्य ने एक विकल्प के रूप में एर्नाकुलम जनपद मे जनवरी, 1989 में "सम्पूर्ण साक्षरता अभियान" प्रारम्भ किया और फरवरी 1990 तक पूरे जनपद को साक्षर बना दिया । एर्नाकुलम की आशातीत सफलता को देखकर केरल में राज्यव्यापी साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया गया और उसके फलस्वरूप पूरे राज्य की साक्षरता 91 प्रतिशत तक पहुँच गई । इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाला उपागम अपनाकर अन्य राज्यों में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अर्न्तगत देश के 345 जनपदों को साक्षर कर देने की योजना है । इन जनपदों मे से दो तिहाई शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के होंगे । यदि साक्षरता के क्षेत्र में ऐसे ही संकल्प के साथ प्रयास होते रहे, तो ऐसी आशा की जाती है कि सन् 1996–97 तक देश का साक्षरता स्तर 52 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 75 प्रतिशत हो जायेगा ।

ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत चयनित सेवा क्षेत्र में यदि 80 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र को सम्पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है । ऐसी सम्भावना है कि साक्षरता के लिए बने अनुकूल वातावरण में शेष

20 प्रतिशत व्यक्तियों में से मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति स्वतः साक्षर बनने का प्रयास करेगें ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में मात्र 15—35 वय वर्ग के निरक्षरों को ही साक्षर बनाने का ही प्रयास नहीं किया जा रहा है, अपितु प्राइमरी स्कूलों में न जाने वाले बच्चों व वयस्क निरक्षरों को भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर जाने के लिए अभिप्रेरि किया जा रहा है इसके अतिरिक्त 35 वर्ष से अधिक आयु वाले निरक्षर प्रौढ़ यदि पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें भी साक्षर बनने का अवसर दिया जा रहा है, साथ ही साथ साक्षरता अभियान में लगे स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों में जाने योग्य सभी बालक—बालिकाऐं निकटतम प्राइमरी स्कूलों में अवश्य दाखिला लें और वे बीच में पढ़ाई न छोड़े

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के प्रमुख तत्व :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं :—

1— क्षेत्र—आधारित :

साक्षरता कार्य को संचालित करने के लिए इच्छुक सभी अभिकरणों से यह आश की जाती है कि वे एक विशेष सेवा — क्षेत्र में ही साक्षरता कार्य प्रारम्भ करें और चयनित सेवा — क्षेत्र को संतृप्त करें । चयनित सेवा क्षेत्र देहात के संदर्भ में ग्राम, न्याय पंचायत, विकास खण्ड अथवा पूरा जनपद हो सकता है और नगर के सन्दर्भ में मोहल्ला, वार्ड अथवा नगर हो सकता है । सेवा—क्षेत्र का चयन अभिकरण

अपनी क्षमता, सामर्थ्य, सम्भावित संसाधनों को ध्यान में रखकर और उस समुदाय के साथ ताल—मेल के आधार पर करेगा । सेवा—क्षेत्र का चयन उन कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के परामर्श से किया जाना चाहिये, जिन्हें समन्वयन का दायित्व सौंपा गया है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत समन्वयन का दायित्व सामान्यतया जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी का होता है । यह प्रयास किया जाना चाहिये कि चयनित सेवा क्षेत्र सघन और मिला हुआ हो तथा उसमें कोई बस्ती अथवा इलाका न छूटे ।

2— समयबद्ध :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़े अभिकरणों को यह विशेष ध्यान देना है कि चयनित सेवा—क्षेत्र में बहुत लम्बी अवधि तक साक्षरता का कार्य नहीं करते रहना है । उस सेवा क्षेंत्र को समयबद्ध तरीके से संतृप्त करना है । उपयुक्त होगा कि नियोजन करते समय यह अवधि दो वर्षो की रखी जाये । अधिक से अधिक तीन वर्षो की अवधि है ।

इसके लिए साक्षरता कार्य प्रारम्भ करने वाले अभिकरण को अपने संसाधनों मानवीय और भौतिक तथा निरक्षरों की सही संख्या को ध्यान में रखकर नियोजन करना होगा जितने व्यावहारिक ढंग से नियोजन किया जायेगा, चयनित सेवा—क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से संतृप्त करने में उतनी ही सुविधा होगी ।

3– लागत – सापेक्ष :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में कम से कम व्यय में अधिक से अधिक निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का नियोजन किया गया है । साक्षरता विशेषज्ञों, प्रौढ़ शिक्षाविदों, नियोजकों और प्रशासकों द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत एक निरक्षर को साक्षर बना देने पर रूपये 65.00 (पैंसठ रूपया) रूपये 100/– (रू0 एक सौ रूपया) तक का प्रावधान किया गया है । उल्लेखनीय है कि पंजीकृत निरक्षरों की संख्या के आधार पर वित्तीय प्रावधान नहीं है, अपितु बनाए गए साक्षरों की संख्या के आधार पर उपरिलिखित व्यय का प्रावधान है । मैदानी क्षेत्रों के लिए सामान्यतया रू0 65.00 प्रति नव साक्षर तथा पहाड़ी, दूर–दराज व दुर्गम क्षेत्रों के लिए रू0 100.00 प्रति नव साक्षर के अनुसार वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान है ।

4– परिणाम–मूलक :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में पंजीकरण के स्थान पर उपलब्धि पर अधिक बल दिया गया है । साक्षरता के जो कार्यक्रम पहले संचालित किये गये, उनमें पंजीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा । कितने प्रौढ़ शिक्षार्थी साक्षरता के राष्ट्रीय मानक प्राप्त कर सकें, इस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में पूरा ध्यान परिणाम पर है ।

5– **स्वयंसेवक आधारित :**

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के मुख्य रूप से स्वयंसेवक आधारित है । इस साक्षरता अभियान की सफलता स्वयंसेवक – शिक्षक पर ही निर्भर करती है । वह रात–दिन उन्हीं निरक्षर लोगों के बीच में रहता है, जिन्हें वह पढ़ायेगा । मुख्य रूप से पढ़ने के लिए उसी की प्रेरणा कार्य करेंगी । निरक्षर लोगों को पढ़ाने की, उनको समझाने की तथा उन्हें प्रेरित करते रहने की जितनी अधिक क्षमता उस स्वयंसेवक–शिक्षक में होगी, अभियान उतना ही अधिक सफल हो सकेगा । सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वयंसेवक–शिक्षक ही निरक्षर लोगों को साक्षर करेगा । उस स्वयंसेवक –शिक्षक को वेतन अथवा मानदेय तो नहीं मिलेगा, परन्तु उसे सम्मान, प्रतिष्ठा और यश अवश्य मिलेगा । कहा गया है कि "सबसे बड़ा दान विद्यादान होता है । यह दान सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में स्वयंसेवक – शिक्षक दे रहा है, इसलिए वह बधाई और प्रशंसा का पात्र है ।

लक्ष्य :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों की सक्रिय सहभागिता से युद्ध–स्तर पर कार्य करते हुए देश से निरक्षरता का शीघ्रातिशीघ्र उन्मूलन करना है ।

अभियान की कार्यनीति :

सकारात्मक वातावरण का सृजन :

– लक्ष्य व्यक्ति और लक्ष्य समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना ।

– साक्षरता की माँग पैदा करना ।

– साक्षरता के पक्ष में जनमत तैयार करना ।

इनके कुछ साधन हैं :–

– गोष्ठियों/सभाओं का आयोजन ।

– व्यक्तिगत सम्पर्क ।

– रैलियाँ/जुलूसों का आयोजन ।

– जन संचार माध्यमों का व्यापक उपयोग ।

– दीवार लेखन ।

– पोस्टर, हैण्डबिल, बैनर, स्टिकर आदि का प्रयोग ।

– स्थानीय लोक कला और लोक संस्कृति का प्रयोग ।

सर्वेक्षण :

– लक्ष्य समूह और स्वयंसेवकों/प्रबन्धकों/प्रशिक्षकों की पहचान ।

– लक्ष्य समूह की पहचान और उनका सूचीकरण ।

– सम्भावित स्वयंसेवकों की पहचान । ये हो सकते हैं =

    – छात्र ।

    – सेवा निवृत्त सरकारी सेवा/शिक्षक ।

    – कार्यरत शिक्षक ।

    – अन्य शिक्षित व्यक्ति ।

– प्रशिक्षकों और सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान ।

सारिणी – 3.6

यौन भेद के आधार पर नवसाक्षरो का विभाजन

मण्डल	स्त्री	पुरुष	योग
मुरादाबाद	110	140	250
आगरा	80	120	200
बरेली	130	170	300
मेरठ	95	155	250

सारिणी – 3.7

धर्म भेद के आधार पर नवसाक्षरों का विभाजन

मण्डल	हिन्दू	मुस्लिम	अन्य	योग
मुरादाबाद	150	100	—	250
आगरा	140	40	20	200
बरेली	175	75	50	300
मेरठ	130	110	10	250
योग	595	325	80	1000

सारिणी – 3.8

आयु वर्ग के आधार पर नवसाक्षरों का विभाजन

मण्डल	15–25	26–35	36–45	योग
मुरादाबाद	100	85	85	250
आगरा	110	40	50	200
बरेली	190	62	48	300
मे[illegible]	200	24	36	250

सारिणी – 3.9

जातिगत आधार पर नवसाक्षरों का विभाजन

ण्डल	सामान्य	पिछड़ा	अनुसूचित	योग
ुरादाबाद	120	100	30	250
आगरा	30	10	80	200
बरेली	100	130	70	300
रठ	110	100	40	260
ग	360	420	220	1000

<u>सांख्यकीय गणना</u> :

शोध कार्य में प्रायः बहुत से आकड़ो को एकत्र करना होता है तथा ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे अध्ययन की सुगमता का परि[illegible] नहीं हो पाता है । सांख्यिकीय के द्वारा ही आकड़ों का उचित विश्लेषण किया जाता है । प्रदत्तों के एकत्रीकरण के पश्चात शोधकर्ता ने शोध अध्ययन के लिये सं[illegible] साक्षात्कार अनुसूची के प्रत्येक बिन्दु पर प्राप्त विभिन्न वर्गो के कुल 1000 उत्तरदाताओं की हॉ या नहीं में प्राप्त अनुकियाओं को प्रतिशत में परिवर्तित कर दिया । इस अध्ययन में निम्न सूत्र का प्रयोग किया है =

$$\chi^2 = \frac{(F_o - F_e)^2}{Fe}$$

जहाँ – x^2 = कोई वर्ग

= कुल योग

Fo = प्रेक्षित आवृत्तियाँ

Fe = प्रत्याशित आवृत्तियाँ

उत्तर प्रदेश में साक्षरता की व्याख्या :

उत्तर प्रदेश के जनपदों में सन् 1981, 1991 एवं 2001 की जनगणना के आधार पर साक्षरता की दृष्टि से उसका विश्लेषण करने पर शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि हुई

लेकिन यह वृद्धि की गति मन्द प्रतीत होती है । उत्तर प्रदेश में कुछ जिले जैसे – बदायूँ, रामपुर, बहराइच, गोंडा, देवरिया, मिर्जापुर, सौनभद्र आदि शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं । कुछ जनपदों की महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है । कुछ जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ऊपर है, जैसे – मेरठ, जहाँ पर(साक्षरता प्रतिशत 58.52 प्रतिशत) है । कानपुर नगर (77.63प्रतिशत) है ।

लेकिन यह साक्षरता की प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती, अधिकतर प्रदेश के पूर्वी जिलो में साक्षरता का प्रतिशत कम है । इसका कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति शोचनीय होना लगता है । वहाँ की जलवायु एवं परिस्थितियाँ भी शिक्षा की प्रगति में बाधक हो सकती है । इसलिए शोधकर्ता का विचार है, कि इन क्षेत्रो में गहनता से समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है ।

प्रस्तुत अध्याय कों निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है –

1– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का स्वरूप,

2– भारत में साक्षरता की स्थिति,

3– उत्तर प्रदेश में साक्षरता की स्थिति,

4– जनपद मुरादाबाद में साक्षरता की स्थिति

3.3– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का स्वरूप :

प्रौढ़ साक्षरता का कार्य हमारे देश में बहुत पहले से संचालित किया जाता रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी तमाम कल्याणकारी अभिकरणों और

समाजसेवी व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ साक्षरता का कार्य किया जाता रहा है, किन्तु इनके द्वारा किये गये प्रयास छुट–पुट और सीमित थे । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं में रखा गया । भारत सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के जो प्रयास किये गये, वे भी प्रभावहीन साबित हुए, क्योंकि सामने एक विशाल निरक्षर प्रौढ़ समूह था । यद्यपि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा, तथापि निरक्षरों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जों एक चिन्तनीय समस्या बन गई । यह समस्या राष्ट्रीय विकास में भी बाधक बन गई । अस्तु, निरक्षरता उन्मूलन के लिए नए–नए उपागम खोजे गये ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरम्भ 05 मई, 1988 को इसी उद्देश्य से किया गया । यह लक्ष्य रखा गया कि सन् 1995 तक देश के 15–35 आयु–वर्ग के आठ करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है । इनमें से तीन करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को सन् 1990 तक तथा शेष पॉच करोड़ निरक्षरों को सन् 1995 तक साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं एवं राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओ के माध्यम से सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरण इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं । किए गए मूल्यांकन अध्ययनों तथा प्राप्त पुनर्निवेशन से स्पष्ट होता रहा है कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों से यह देश निर्धारित समय से साक्षर नहीं हो पायेगा । अस्तु वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए

अन्य उपयुक्त विकल्पों की खोज सतत् जारी रही और आज भी जारी है । केरल राज्य ने एक विकल्प के रूप में एर्नाकुलम जनपद मे जनवरी, 1989 में "सम्पूर्ण साक्षरता अभियान" प्रारम्भ किया और फरवरी 1990 तक पूरे जनपद को साक्षर बना दिया । एर्नाकुलम की आशातीत सफलता को देखकर केरल में राज्यव्यापी साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया गया और उसके फलस्वरूप पूरे राज्य की साक्षरता 91 प्रतिशत तक पहुँच गई । इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाला उपागम अपनाकर अन्य राज्यों में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत देश के 345 जनपदों को साक्षर कर देने की योजना है । इन जनपदों में से दो तिहाई शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के होंगे । यदि साक्षरता के क्षेत्र में ऐसे ही संकल्प के साथ प्रयास होते रहे, तो ऐसी आशा की जाती है कि सन् 1996–97 तक देश का साक्षरता स्तर 52 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 75 प्रतिशत हो जायेगा ।

ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत चयनित सेवा क्षेत्र में यदि 80 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र को सम्पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है । ऐसी सम्भावना है कि साक्षरता के लिए बने अनुकूल वातावरण में शेष

20 प्रतिशत व्यक्तियों में से मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति स्वतः साक्षर बनने का प्रयास करेगें ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में मात्र 15–35 वय वर्ग के निरक्षरों को ही साक्षर बनाने का ही प्रयास नहीं किया जा रहा है, अपितु प्राइमरी स्कूलों में न जाने वाले बच्चों व वयस्क निरक्षरों को भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर जाने के लिए अभिप्रेरि किया जा रहा है इसके अतिरिक्त 35 वर्ष से अधिक आयु वाले निरक्षर प्रौढ़ यदि पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें भी साक्षर बनने का अवसर दिया जा रहा है, साथ ही साथ साक्षरता अभियान में लगे स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों में जाने योग्य सभी बालक–बालिकाऐं निकटतम प्राइमरी स्कूलों में अवश्य दाखिला लें और वे बीच में पढ़ाई न छोड़े

.4 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के प्रमुख तत्व :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं :—

1— क्षेत्र–आधारित :

साक्षरता कार्य को संचालित करने के लिए इच्छुक सभी अभिकरणों से यह आशा की जाती है कि वे एक विशेष सेवा – क्षेत्र में ही साक्षरता कार्य प्रारम्भ करें और चयनित सेवा – क्षेत्र को संतृप्त करें । चयनित सेवा क्षेत्र देहात के संदर्भ में ग्राम, न्याय पंचायत, विकास खण्ड अथवा पूरा जनपद हो सकता है और नगर के सन्दर्भ में मोहल्ला, वार्ड अथवा नगर हो सकता है । सेवा–क्षेत्र का चयन अभिकरण

...नी क्षमता, सामर्थ्य, सम्भावित संसाधनों को ध्यान में रखकर और उस समुदाय के ...थ ताल–मेल के आधार पर करेगा । सेवा–क्षेत्र का चयन उन कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के परामर्श से किया जाना चाहिये, जिन्हें समन्वयन का दायित्व सौंपा गया ... । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत समन्वयन का दायित्व सामान्यतया जिला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) अथवा जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी का होता है । ... प्रयास किया जाना चाहिये कि चयनित सेवा क्षेत्र सघन और मिला हुआ हो तथा उसमें कोई ...स्ती अथवा इलाका न छूटे ।

3.5 – **समयबद्ध** :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़े अभिकरणों को यह विशेष ध्यान ...ना है कि चयनित सेवा–क्षेत्र में बहुत लम्बी अवधि तक साक्षरता का कार्य नहीं करते ...ा है । उस सेवा क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से संतृप्त करना है । उपयुक्त होगा ... नियोजन करते समय यह अवधि दो वर्षो की रखी जाये । अधिक से अधिक तीन वर्षो की अवधि है ।

इसके लिए साक्षरता कार्य प्रारम्भ करने वाले अभिकरण को अपने संसाधनों मानवीय और भौतिक तथा निरक्षरों की सही संख्या को ध्यान में रखकर नियोजन करना होगा जितने व्यावहारिक ढंग से नियोजन किया जायेगा, चयनित सेवा–क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से संतृप्त करने में उतनी ही सुविधा होगी ।

3– लागत – सापेक्ष :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में कम से कम व्यय में अधिक से अधिक निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का नियोजन किया गया है । साक्षरता विशेषज्ञों, प्रौढ़ शिक्षाविदों, नियोजकों और प्रशासकों द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत एक निरक्षर को साक्षर बना देने पर रूपये 65.00 रूपये (पैंसठ रूपया) रूपये 100/– (एक सौ रूपया) तक का प्रावधान किया गया है । उल्लेखनीय है कि पंजीकृत निरक्षरों की संख्या के आधार पर वित्तीय प्रावधान नहीं है, अपितु बनाए गए साक्षरों की संख्या के आधार पर उपरिलिखित व्यय का प्रावधान है । मैदानी क्षेत्रों के लिए सामान्यतया रू0 65.00 प्रति नव साक्षर तथा पहाड़ी, दूर–दराज व दुर्गम क्षेत्रों के लिए रू0 100.00 प्रति नव साक्षर के अनुसार वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान है ।

3.6– परिणाम–मूलक :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में पंजीकरण के स्थान पर उपलब्धि पर अधिक बल दिया गया है । साक्षरता के जो कार्यक्रम पहले संचालित किये गये, उनमें पंजीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा । कितने प्रौढ़ शिक्षार्थी साक्षरता के राष्ट्रीय मानक प्राप्त कर सकें, इस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में पूरा ध्यान परिणाम पर है ।

3.7– स्वयंसेवक आधारित :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के मुख्य रूप से स्वयंसेवक आधारित है । इस साक्षरता अभियान की सफलता स्वयंसेवक – शिक्षक पर ही निर्भर करती है । वह

रात–दिन उन्हीं निरक्षर लोगों के बीच में रहता है, जिन्हें वह पढ़ायेगा । मुख्य रूप से पढ़ने के लिए उसी की प्रेरणा कार्य करेंगी । निरक्षर लोगों को पढ़ाने की, उनको समझाने की तथा उन्हें प्रेरित करते रहने की जितनी अधिक क्षमता उस स्वयंसेवक–शिक्षक में होगी, अभियान उतना ही अधिक सफल हो सकेगा । सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वयंसेवक–शिक्षक ही निरक्षर लोगों को साक्षर करेगा । उस स्वयंसेवक –शिक्षक को वेतन अथवा मानदेय तो नहीं मिलेगा, परन्तु उसे सम्मान, प्रतिष्ठा और यश अवश्य मिलेगा । कहा गया है कि "सबसे बड़ा दान विद्यादान होता है" । यह दान सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में स्वयंसेवक – शिक्षक दे रहा है, इसलिए वह बधाई और प्रशंसा का पात्र है ।

लक्ष्य :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों की सक्रिय सहभागिता से युद्ध–स्तर पर कार्य करते हुए देश से निरक्षरता का शीघ्रातिशीघ्र उन्मूलन करना है ।

अभियान की कार्यनीति :

सकारात्मक वातावरण का सृजन :

– लक्ष्य व्यक्ति और लक्ष्य समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना ।

– साक्षरता की माँग पैदा करना ।

– साक्षरता के पक्ष में जनमत तैयार करना ।

इनके कुछ साधन हैं :—

- गोष्ठियों/सभाओं का आयोजन ।
- व्यक्तिगत सम्पर्क ।
- रैलियों/जुलूसों का आयोजन ।
- जन संचार माध्यमों का व्यापक उपयोग ।
- दीवार लेखन ।
- पोस्टर, हैण्डबिल, बैनर, स्टिकर आदि का प्रयोग ।
- स्थानीय लोक कला और लोक संस्कृति का प्रयोग ।

...क्षण :

- लक्ष्य समूह और स्वयंसेवकों/प्रबन्धकों/प्रशिक्षकों की पहचान ।
- लक्ष्य समूह की पहचान और उनका सूचीकरण ।
- सम्भावित स्वयंसेवकों की पहचान । ये हो सकते हैं =
    - छात्र ।
    - सेवा निवृत्त सरकारी सेवा/शिक्षक ।
    - कार्यरत शिक्षक ।
    - अन्य शिक्षित व्यक्ति ।
- प्रशिक्षकों और सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान ।
- उपलब्ध भौतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संसाधनों की पहचान ।

- स्वयंसेवकों और लक्ष्य समूह की संभावित टोलियाँ बनाना ।
- गाँव की बैठक में सर्वेक्षण में प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि ।

—00—

चतुर्थ अध्याय

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की अवधारणा

चतुर्थ अध्याय

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की अवधारणा

4.1 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सम्बन्धी नीति का निर्धारण :

प्रौढ़ शिक्षा का कार्य हमारे देश में बहुत पहले से संचालित किया जाता रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी तमाम कल्याणकारी अभिकरणों और समाजसेवी व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ साक्षरता का कार्य किया जाता रहा है, किन्तु इनके द्वारा किये गए प्रयास छुट–पुट और सीमित थे ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं में रखा गया । भारत सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के जो प्रयास किये गये, वे भी प्रभावहीन साबित हुए, क्योंकि सामने एक विशाल निरक्षर प्रौढ़ समूह था । यद्यपि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा । तथापि निरक्षरों की संख्या में वृद्धि हुई जो एक चिन्तनीय समस्या बन गई । यह समस्या राष्ट्रीय विकास में भी बाधक बन गई । अस्तु निरक्षरता उन्मूलन के लिए नये नये उपागम खोजे गए ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरम्भ 05 मई 1988 को इसी उद्देश्य से किया गया । यह लक्ष्य रखा गया कि सन् 1995 तक देश के 15–35 वय – वर्ग के आठ करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करनी है । इनमें से तीन करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को सन् 1990 तक तथा शेष पाँ

करोड़ निरक्षरों को सन् 1995 तक साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना एवं राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के माध्यम से सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरण इस निधारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे है। किए गए मूल्यांकन अध्ययनों तथा प्राप्त पुनर्निवेशन(Feedback) से स्पष्ट होता रहा कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए जा रहे प्रयासों से यह देश निर्धारित समय में साक्षर नहीं हो पाएगा। अस्तु वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य उपयुक्त विकल्पों की खोज सतत जारी रही और आज भी जारी है। केरल राज्य ने एक विकल्प के रूप में एर्नाकुलम जनपद में जनवरी, 1989 में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया और फरवरी 1990 तक पूरे जनपद को साक्षर बना दिया। एर्नाकुलम की आशातीत सफलता को देखकर केरल में राज्यव्यापी साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया गया और फलस्वरूप पूरे राज्य की साक्षरता 91 प्रतिशत तक पहुॅंच गई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाला उपागम अपनाकर अन्य राज्यों में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत देश के 345 जनपदो को साक्षर कर देने की योजना थी। इन जनपदों में से दो तिहाई जनपद शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के थे।

ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत चयनित सेवा क्षेत्र में यदि 80 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र को सम्पूर्ण साक्षर

न लिया जाता है । ऐसी सम्भावना है कि साक्षरता के लिए बने अनुकूल वातावरण शेष 20 प्रतिशत व्यक्तियों में से मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति : साक्षर बनने का प्रयास करेंगे ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में मात्र 15–35 वय वर्ग के निरक्षरों को ही क्षर बनाने का ही प्रयास नहीं किया जा रहा है, अपितु प्राइमरी स्कूलों में न जाने ने बच्चों व वयस्क निरक्षरों को भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर जाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 35 वर्ष से अधिक आयु वाले निरक्षर ढ़ यदि पढ़ने के लिये इच्छुक हैं, तो उन्हें भी साक्षर बनने का अवसर दिया जा रहा है, साथ ही साथ साक्षरता अभियान में लगे स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों में जाने योग्य सभी बालक–बालिकाएँ कटतम प्राइमरी स्कूलों में अवश्य दाखिला लें और वे बीच में पढ़ाई न छोड़े ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का एक महत्वपूर्ण कार्यकम यह भी था कि जो नव–साक्षर बन गए हैं और जो तीसरी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किन्हीं रणों से पढ़ाई छोंड़ दें, उनकी अर्जित साक्षरता/शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये न – शिक्षण निलयमों की व्यवस्था हो । सामान्यतया एक जन–शिक्षण निलयम र या पॉच ग्रामों अथवा 5,000 की आबादी पर स्थापित किया जाता था । इन न–शिक्षण निलयमों पर ही नव–साक्षरों की उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा की व्यवस्था की गई थी । इस प्रकार, साक्षरता अभियान में बच्चे, युवा और प्रौढ़ सभी

लाभान्वित होगें । हर एक व्यक्ति को साक्षर बनने की प्रेरणा मिलेगी और आगे पढ़ने की सुविधाएँ होंगी ।

यह सच है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान केवल सरकारी प्रयासों से ही संभव नहीं हो सकता । इसीलिए इसमें सभी वर्गो और व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग और भागीदारी आवश्यक है, तभी यह अभियान सफल हो सकेगा ।

प्रमुख तत्व :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के निम्नलिखित प्रमुख तत्व है :—

1— क्षेत्र आधारित

2— समयबद्ध

3— लागत सापेक्ष

4— परिणाममूलक

5— स्वयंसेवक आधारित

1— क्षेत्र आधारित :

साक्षरता कार्य को संचालित करने के लिए इच्छुक सभी अभिकरणों से यह आशा की जाती है कि वे एक विशेष सेवा क्षेत्र में ही साक्षरता कार्य प्रारम्भ करें और चयनित सेवा क्षेत्र को सृतृप्त करे । चयनित सेवा क्षेत्र देहात के संदर्भ में ग्राम, न्याय पंचायत, विकास खण्ड अथवा पूरा जनपद हो सकता है और नगर के संदर्भ में मोहल्ला , बार्ड अथवा नगर हो सकता है । सेवा क्षेत्र का चयन अभिकरण अपनी क्षमता, सामर्थ्य, सम्भावित संसाधनों को ध्यान में रखकर और उस समुदाय के

...थ ताल—मेल के आधार पर करेगा । सेवा क्षेत्र का चयन उन कार्यकर्ताओं और ...धिकारियों के परामर्श से किया जाना चाहिये, जिन्हे समन्वयन का दायित्व सौंपा ...ा है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत समन्वयन का दायित्व सौंपा गया है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत समन्वयन का दायित्व सामान्यतया जिला ...धिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) अथवा सचिव, जिला साक्षरता समिति का होता है ...ऽ प्रयास किया जाना चाहिये कि चयनित सेवा क्षेत्र सघन और मिला हुआ हो तथा ...में कोई बस्ती अथवा इलाका न छूटे ।

... – समय... :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़े अभिकरणों को यह विशेष ध्यान ...ना है कि चयनित सेवा क्षेत्र में बहुत लम्बी अवधि तक साक्षरता का कार्य नहीं करते ...ना है । उस सेवा क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से सृतप्त करना है । उपयुक्त ...गा कि नियोजन करते समय यह अवधि दो वर्षो की रखी जाय । अधिक से ...धिक तीन वर्षो की अवधि हो सकती है ।

इसके लिए साक्षरता कार्य प्रारम्भ करने वाले अभिकरण को अपने ...संसाधनों (मानवीय और भौतिक) तथा निरक्षरों की सही संख्या को ध्यान में ...कर नियोजन करना होगा । जितने व्यवहारिक ढंग से नियोजन किया जायेगा, ...नित सेवा क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से संतृप्त करने में उतनी ही सुविधा होगी

03— लागत — सापेक्ष :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में कम से कम व्यय में अधिक से अधिक निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का नियोजन किया गया है । साक्षरता विशेषज्ञों, प्रौढ़ शिक्षाविदों, नियोजकों और प्रशंसकों द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत एक निरक्षर को साक्षर बना देने पर रू0 65.00 (पैसठ रूपया) से रू0 100.00 (एक सौ रूपया) तक का प्रावधान किया गया है । उल्लेखनीय है कि पंजीकृत निरक्षरों की संख्या के आधार पर वित्तीय प्रावधान नहीं है, अपितु बनाये गए साक्षरों की संख्या के आधार पर उपरिलिखित व्यय का प्रावधान है । मैदानी क्षेत्रों के लिए सामान्यतया रू0 65.00 प्रति नवसाक्षर तथा पहाड़ी , दूर—दराज व दुर्गम क्षेत्रों के लिये रू0 100.00 प्रति नव—साक्षर के अनुसार वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान है ।

4— <u>परिणाम—मूलक</u> :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में पंजीकरण के स्थान पर उलब्धि पर अधिक बल दिया गया है । साक्षरता के जो कार्यक्रम पहले संचालित किये गये, उनमें पंजीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा । कितने प्रौढ़ शिक्षार्थी साक्षरता के राष्ट्रीय मानक प्राप्त कर सके, इस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में पूरा ध्यान परिणाम पर है ।

05— स्वयंसेवक आधारित :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान मुख्य रूप से स्वयं सेवक आधारित है । इस साक्षरता अभियान की सफलता स्वयंसेवक शिक्षक पर ही निर्भर करती है । वह रात–दिन उन्हीं निरक्षर लोगों के बीच में रहता है, जिन्हें वह पढ़ायेंगा । पढ़ने के लिये मुख्य रूप से उसी की प्रेरणा कार्य करेगी । निरक्षर लोगों को पढ़ाने की, उनको समझाने को तथा उन्हें प्रेरित करते रहने की जितनी अधिक क्षमता उस स्वयंसेवक शिक्षक में होगी, अभियान उतना ही अधिक सफल हो सकेगा । सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वयंसेवक शिक्षक ही निरक्षर लोगों को साक्षर करेगा । उस स्वयंसेवक शिक्षक को वेतन अथवा मानदेय तो नहीं मिलेगा, परन्तु उसे सम्मान, प्रतिष्ठा और यश अवश्य मिलेगा । कहा गया है कि सबसे बड़ा दान विद्या दान होता है । यह दान सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में स्वयंसेवक शिक्षक दे रहा है , इसलिये वह वधाई और प्रशंसा का पात्र है ।

लक्ष्य :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का लक्ष्य समाज के सभी वर्गो और व्यक्तियों को सकिय सहभागिता से युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए देश से निरक्षरता का शीघ्रातिशीघ्र उन्मूलन करना है ।

लाभ :

तमाम शोध अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि साक्षरता मानव संसाधन विकास के कई पहलुओं को प्रभावित करती है, जैसे — पढ़े—लिखे माता पिता अपने बच्चों को अपने आप स्कूलों में पढ़ने के लिये भेजते हैं । उनके बच्चे बीच में पढ़ाई न छोड़े, इसकी भी सम्भावना बढ़ जाती है । पढ़ी—लिखी माताओं के शिशुओं की मृत्यु—दर अनपढ़ माताओं के शिशुओं की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है । पढ़ी—लिखी माताऍ अपने बच्चो की देखरेख अच्छी तरह से करती है । वे बच्चों को आवश्यक टीके समय से लगवाने का प्रयास करती है । पढ़े—लिखे माता—पिता छोटे परिवार के आदर्श को अच्छी तरह समझ पाते हैं और अपनाते हैं । पढ़ी—लिखी महिलाऍ अपने सामाजिक और कानूनी अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो जाती है । वे आमदनी बढ़ाने वाले हुनर भी सीखती है । देश के साक्षर हो जाने से गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलेगी । प्रजातंत्र इतना सुदृढ़ होगा । एक ऐसा शिक्षाग्रही समाज बनेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति साक्षर/शिक्षित बनने का प्रयास करेगा । वे समझने लगेंगे कि साक्षर बनना आवश्यक है, क्योंकि साक्षरता दूसरी दक्षताओं को अर्जित और विकसित करने का सशक्त माध्यम है ।

इस प्रकार साक्षरता को सम्भावित लाभ और प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट दिखलाई पड़ना चाहिये । तभी साक्षरता कार्य पर व्यय किया जाने वाला धन, मात्र व्यय नहीं, अपितु निवेश कहा जा सकेगा ।

असमानताएँ :

नई नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैयया करेगी ।

महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा :

शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिये एक साधन के रूप में किया जायेगा । अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिये शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा । राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी, जिनसे महिलाएँ, जो अब तक अबला समझी जाती है, समर्थ और सशक्त हों । नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सकिय सहयोग से पाठयकमों तथा पठन–पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी तथा अध्यापकों व प्रशासकों को पुनः प्रशिक्षित किया जायेगा । इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण कृत संकल्प होकर किया जायेगा । महिलाओं से सम्बन्धित अध्ययन को विभिन्न पाठयचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सकिय कार्यकम शुरू करने के लिये प्रेरित किया जायेगा ।

महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रूकावटों को दूर करने को , जिनके कारण लड़कियाँ प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रह जाती है, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी । इस काम के लिये विशेष व्यवस्थाएँ की जायेगी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित

किये जायेगे और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जायेगी । विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागींदारी बढ़ाई जायेगी ।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा :

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जायेगा, सिसे कि वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें । यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होना जरूरी है ग्रामीण पुरूषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरूषों में शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों मैं ।

इस मकसद के तहत नई नीति में ये उपाय सोचे गए हैं !—

1— निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाये कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप सें स्कूल भेज सकें ।

2— सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिये मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जायेगी । ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिये बिना उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जायेगा तथा उनके लिये समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किये जायेगें ।

3— ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएँ करना और जॉच पड़ताल की विधि स्थापित करना, जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नाम नामांकित होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रकिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है, साथ ही इन बच्चों की आगे की

शिक्षा और रोजगार पाने की सम्भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिये उपचारात्मक पाठ्यचर्चा की व्यवस्था करना ।

4— अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना ।

5— जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये छात्रावास की सुविधाएँ क्रमिक रूप से बढ़ाना ।

6— स्कूल भवनों , वालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना होगा ।

7— अनुसूचित जातियों के लिये शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिये जवाहर रोजगार योजना के साधनों का उपयोग करना ।

8— अनुसूचित जातियों की शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नए तरीकों की खोज जारी करना ।

अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा :

अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिये निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जायेगें :

1— आदिवासी इलाकों में प्राथमिक पाठशालाएँ खोलने के काम को प्राथमिकता दी जायेगी । इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट, जवाहर रोजगार योजना, जनजातीय कल्याण योजनाओं आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जायेगा ।

2— आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है, और बहुधा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएँ होती है । पाठयक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरूआत की अवस्था में आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जाय तथा ऐसा इन्तजाम किया जाय कि आदिवासी बच्चे शुरू के कुछ वर्षो के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

3— पढ़े—लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

4— बड़ी तादाद में आश्रमशालाऐं और आवासीय विद्यालय खोले जायेगें ।

5— अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जिन्दगी के तौर—तरीकों और उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएँ तैयार की जायेगी, जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएँ दूर हों । उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्रियों में तकनीकी और व्यवसायिक पढ़ाई को ज्यादा महत्त्व दिया जाएगा । सामाजिक तथा मानसिक अवरोधो को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठयचर्या और अन्य आकर्षक कार्यक्रम चलाये जायेगें, ताकि आदिवासी शिक्षार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें ।

6— आँगनवाड़ियॉ, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जायेंगे ।

7— आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों का जरूरी हिस्सा होगी

शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए दूसरे वर्ग और क्षेत्र :

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गो को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा । पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएँ खोली जायेंगी ।

अल्पसंख्यक :

विकलांग :

शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे समाज के साथ कंधें से कंधा मिलाकर चल सके , उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिन्दगी जिएँ इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये जायेगें :

1— विकलांगता अगर हाथ, पैर की या मामूली सी है, तो ऐसे बच्चों की पढाई आम बच्चों के साथ हो ।

?— गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिये छात्रावास वाले खास स्कूलों की जरूरत होगी । इस तरह के स्कूल, जहाँ, तक सम्भव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाये जायेगें ।

?— विकलांगों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी ।

4— शिक्षकों , खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जायेगा, ताकि वे विकलांग बच्चों की कठिनाईयों को ठीक तरह से समझकर उनकी सहायता कर सकें ।

5— विकलांगों की शिक्षा के लिये स्वैच्छिक प्रयासों को हर सम्भव तरीके से प्रोत्साहित किया जायेगा ।

? <u>सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के स्थान पर समान शिक्षा की संकल्पना</u> :

भारत में प्रौढ़ शिक्षा का शुभारम्भ 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में ईसाई मिशनरियों द्वारा हुआ । आगें चलकर अंग्रेज शासकों ने भी प्रौढ़ शिक्षा के कुछ कार्यकम चलाए स्वतन्त्र होने के बाद हमने इसे एक आन्दोलन के रूप में आगे बढ़ाया । इस समय देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न—भिन्न प्रौढ़ शिक्षा योजनाएँ चल रही हैं, इसके क्षेत्र में निरन्तर विकास हो रहा है । भारत में प्रौढ़ शिक्षा के विकास को हम दो कालों में देखने समझने का प्रयत्न करेंगे — अंग्रेजी काल और स्वतन्त्र काल ।

...जी काल में प्रौढ एवं समाज शिक्षा का विकास :

भारत में प्रौढ़ शिक्षा का शुभारम्भ 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में ...ाई मिशनरियों ने किया । उन्होंने सर्वप्रथम मद्रास में हरिजनों के लिये रात्रि पाठशालों की स्थापना की । इसके बाद उन्होंने अशिक्षित, भारतीय ईसाई प्रौढ़ों को साक्षर बनाने हेतु प्रौढ़ रात्रि पाठशालाएँ स्थापित की । मद्रास के बाद उन्होंने ...बई, बंगाल, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रौढ़ रात्रि विद्यालय स्थापित किये ।

वुड के घोषणा पत्र 1854 में प्रौढ शिक्षा की व्यवस्था की घोषण की गई । पर सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्य शुरू नहीं किये गये । 1857 की क्रान्ति के दमन के बाद भारत में कम्पनी के स्थान पर सीधा ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया । ब्रिटिश सरकार ने 1882 में हण्टर कमीशन की नियुक्ति की । इस कमीशन ने प्रौढो के लिए रात्रि पाठशालाएँ स्थापित करने का सुझाव दिया । सरकार ने तो इस सुझाव पर अमल नहीं किया परन्तु भारतीयों ने प्रौढ़ शिक्षा हेतु कुछ कार्य शुरू किये जिनके परिणामस्वरूप 1909 तक मद्रास में 775, बंगाल में 1089 और बम्बई में 107 रात्रि पाठशालाओं की स्थापना हो चुकी थी । 1910 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य अवश्य शुरू किया । 1912 में तत्कालीन मैसूर राज्य में प्रौढ शिक्षा कार्यकम को गति मिली ।

1921 में पहली बार प्रान्तीय सरकारों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला । सबसे पहले 1921 में पंजाब प्रान्त में निरक्षरता निवारण

आन्दोलन शुरू हुआ और निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर करने के लिये रात्रि प्रौढ़ पाठशालायें स्थापित की गई। उसी समय 1922 में बम्बई में 27 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गईं। मद्रास और बंगाल में भी अनेक स्थानों पर रात्रि प्रौढ़ पाठशालाएं स्थापित की गईं। 1924 में तत्कालीन त्रावणकोर सरकार ने प्रौढ़ रात्रि पाठशालों को मान्यता प्रदान की और उन्हें आर्थिक सहायता देना शुरू किया। इन सब प्रयासों से 1927 तक भारत में 23784 प्रौढ़ शिक्षा केन्दों की स्थापना हो गई। 1927 से 1937 तक यह आन्दोलन शान्त रहा परिणामस्वरूप कुछ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बन्द हो गए और 1937 के प्रारम्भ में इनकी संख्या घटकर 3027 रह गई।

1937 में प्रान्तों में भारतीयों की सरकारें बनीं। इन सरकारों ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान की। परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार (तत्कालीन ब्रिटिश सरकार) का ध्यान भी प्रौढ़ शिक्षा की ओर गया। इस क्षेत्र में उसका सबसे पहला कदम था — 1939 में डॉ0 सैयद महमद की अध्यक्षता में प्रौढ शिक्षा समिति का गठन। इस समिति ने प्रौढ़ शिक्षा के तीन उद्देश्य निश्चित किये — साक्षरता, जीवन से सम्बन्धित ज्ञान और नागरिकता की शिक्षा। बस क्या था। प्रान्त में प्रौढ़ शिक्षा को एक नई दिशा और एक नई गति दी गई। आसाम में प्रौढ शिक्षा केन्द्रों के साथ — साथ प्रौढ़ों के लिए सतत् शिक्षा की व्यवस्था शुरू की। बंगाल में प्रौढ़ शिक्षा को ग्राम पुर्ननिर्माण योजना का अंग बनाया गया औा प्रान्तीय सरकार ने ग्राम समाजों को प्रौढ़ पाठशालाओं की स्थापना के लिये अनुदान दिया। बिहार में अपना परिवार साक्षर बनाओं आन्दोलन शुरू हुआ।

बम्बई प्रान्तीय सरकार ने स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही प्रौढ़ शिक्षा पाठशालाओं को अनुदान देना शुरू किया । मद्रास में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचार्य ने प्रौढ़ों के लिए तमिल भाषा में पुस्तकें लिखीं और साक्षरता अभियान चलाया । पर तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, लोकप्रिय मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफे दे दिये और प्रौढ़ शिक्षा अभियान धीमा पड़ गया ।

1940 में हमारे देश में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ की स्थापना हुई । इस संघ ने प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिये प्रयत्न जारी रखा । साथ ही बम्बई में प्रौढ़ शिक्षा परामशग्दात्री परिषद , उड़ीसा में सामूहिक साक्षरता समिति, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास विभाग और दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा समिति ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये । पंजाब में डा0 लाबेक ने एक नया नारा दिया — प्रत्येक को पढ़ाए । पर कुंल मिलाकर इस काल में प्रौढ़ शिक्षा को बड़ा धक्का लगा ।

1944 में सार्जेन्ट योजना में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिये 22 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई और यह विश्वास व्यक्त किया गया कि आगामी 22 वर्षो में शत प्रतिशत लोगों को साक्षर बना दिया जायेगा । परन्तु आर्थिक अभाव के कारण इस योजना को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका । पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कुछ कार्य होते अवश्य रहे और 1947 में हमारे देश में साक्षरता प्रतिशत 14 हो गया ।

...न्त्र काल में प्रौढ अथवा समाज शिक्षा का विकास :

स्वतन्त्र भारत की केन्द्रीय सरकार ने सर्वप्रथम 1948 में प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये श्री मोहन लाल सक्सेना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया । इस समिति ने प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में सबसे प्रमुख सुझाव यह दिया कि — प्रौढ़ शिक्षा का सम्प्रत्यय अति संकीर्ण है, इसके क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए और इसे समाज शिक्षा की संज्ञा दी जाय । साथ ही इसने समाज शिक्षा के प्रसार के लिये बारह सूत्री कार्यक्रम प्रस्तावित किया । जनवरी 1949 में इलाहाबाद केन्दीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 15वाँ अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन के उद्घाटन भाषण में तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षामंत्री मौलाना अब्दुंल कलाम आजाद ने प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा शब्द का प्रयोग करने का सन्देश दिया । फरवरी 1949 में प्रान्तीय शिक्षामंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया और इसमें समाज शिक्षा की रूपरेखा निश्चित की गई। इसके बाद अगस्त 1949 में समाज शिक्षा अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन में एक उपसमिति का गठन किया गया और उसे 12 से 40 आयु वर्ग के निरक्षरों के लिये 10 दिन का पाठयक्रम बनाने का कार्य सौंपा गया । इसी वर्ष नबम्बर —दिसम्बर 1949 में यूनेस्को के सहयोग से मैसूर में समाज शिक्षा पर एक अन्तराष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया । इसने भारत में समाज शिक्षा के लिए कार्यक्रम बनान में बड़ी सहायता दी । बस क्या था, केन्द्र

और प्रान्तों में समाज शिक्षा के प्रसार के लिए योजनाएँ बनने लगे और उनका कुछ क्रियान्वयन भी केन्द्र सरकार ने 1949—50 में दिल्ली में केन्द्रीय चलचित्र पुस्तकालय और केन्द्रीय दृश्य—श्रव्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की और ग्रामीण प्रौढ़ों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में जनता कालिज स्थापित किये । केंन्द्रय चलचित्र पुस्तकालय में शैक्षिक चलचित्रों का निर्माण करना प्रारम्भ किया, केन्द्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान ने दृश्य श्रव्य साधनों का निर्माण शुरू किया और जनता कॉलिजों ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता तैयार करने शुरू किये । दिल्ली में 'प्रौढ़ काफिला का संगठन किया गया और इसके द्वारा गॉवों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया गया । मध्य प्रदेश में लगभग 500 ग्रामों में ग्रीष्म कालीन शिविर लगाये गये और इनमें अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा निरक्षर प्रौढ़ों के साक्षर बनाया गया । मैसूर में डेनमार्क के लोक विद्यालयों के आधार पर ग्रामीण विद्यापीठों की स्थापना की गई । मद्रास में फिरका विकास योजना शुरू की गई, शिक्षकों और युवकों पर प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व सौपा गया । बिहार में विद्यालयों के शिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा का कार्य सौंपा गया । उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और विद्यार्थियों, दोनों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में संलग्न किया गया । बंगाल में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार हेतु लोकगीत, लोकनाटकों और भजन मण्डलियों का प्रयोग किया गया । अन्य राज्यों ने भी इस कार्य को अपने — अपने तरीकों से गति दी ।

वर्षीय योजनाओं में प्रौढ एवं समाज शिक्षा का विकास :

1951 से देश में विकास का कार्य योजनाबद्ध शुरू हुआ । प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में 30 प्रतिशत निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रौढ शिक्षा हेतु 6 करोड़ रूपये की धनराशि निश्चित की गई । इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिये 1952 में सामुदायिक विकास खण्डों की स्थापना की गई और प्रत्येक विकास खण्ड में दो समाज शिक्षा अधिकारी (एक पुरूष और एक महिला) नियुक्त किये गये । इन अधिकारियों के कार्य थे – साक्षरता आन्दोलन, ग्राम ग्रामों में बाचनालयों की स्थापना शिक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनियों का आयोजन और सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कियाओं का आयोजन । इस योजना के दौरान 1953 में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में समाज शिक्षा विभाग खोला गया देश में 5 समाज शिक्षा कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र और 116 आदर्श सामुदायिक केन्द्र स्थापित किये गये और 454 प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय कम सामुदायिक केन्द्रों का का रूप दिया गया । साथ ही 55000 युवक क्लबों की स्थापना की गई और एक बड़ी संख्या में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना की गई । पर इन सब प्रयत्नों के बाबजूद 30 प्रतिशत निरक्षरों को साक्षर बनाने के लक्ष्य के स्थान पर 20 प्रतिशत निरक्षरों को ही साक्षर बनाया जा सका ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956—61) में प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा के प्रसार के लिये 10 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई । इस योजना के दौरान 1956 में अमरीका के टैक्नीकल कारपोरेशन मिशन और यूनेस्को की सहायता से दिल्ली में राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गई और इसे प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा हेतु उपयुक्त अध्ययन सामग्री एवं दृश्य श्रव्य साधनों का उत्पादन प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं को एकत्र करने और उनका प्रसारण करने और विभिन्न राज्यों के प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया । 1958 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये केन्दीय पुस्तकालय विज्ञान संस्थान और नवसाक्षरों के लिये उपयोगी पुस्तकों के निर्माण के लिये राष्ट्रीय बुक टस्ट की स्थापना की गई ।

1960 में दिल्ली में आस—पास के क्षेत्रों के किसान भाईयों के लिये दूरदशग्न पर कृषि कार्यकम का प्रसारण शुरू किया गया । इस दौरान देश के कई स्थानों पर प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये और महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद की स्थापना की ।

3 शिक्षा शिक्षा आयोग द्वारा प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी अनुशासन :

स्वतन्त्र होतें ही हमने अपने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये प्रयास शुरू किये । इस सन्दर्भ में भारत सरकार पहला बड़ा कदम था विश्वविद्यालय आयोग (राधाकृष्णन कमीशन) की नियुक्ति । इस आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रशासन, संगठन और उसके स्तर को ऊचा उठाने सम्बन्धी अनेक ठोस सुझाव दिये । उसके कुछ सुझावों का क्रियान्वयन भी किया गया, उससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ, परन्तु वह सब हाथ नहीं लगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे । शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का दूसरा बड़ा कदम था माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) की नियुक्ति । इसआयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और उसके पुनर्गठन हेतु अनेक ठोस सुझाव । कुछ प्रान्तीय सरकारों ने उसके सुझावों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन करना भी शुरू किया, परन्तु इस सबसे भी वह सब हाथ नहीं लगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे ।अतः भारत सरकार ने शिक्षा के पुर्नगठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिये समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उददेश्य से 14 जौलाई 1964 को डा0 डी0एस0 कोठारी (तत्कालीन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया । इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग भी कहते हैं ।

.. एवं समाज शिक्षा सम्बन्धी सुझाव :

आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा को बहुत व्यापक रूप में लिया है और उसके लिये एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है। प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी विचारों एवं सुझावों को चार वर्गो में बॉटा जा सकता है =

.. शिक्षा .. स्वरूप :

आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत चार कार्यक्रम प्रस्तावित किये =

- निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाना
- साक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाये रखना ।
- अल्पशिक्षित प्रौढ़ो को आगे की शिक्षा के अवसर प्रदान करना ।
- शिक्षित प्रोढ़ों के ज्ञान एवं कौशल में निरन्तर वृद्धि करना, उनके लिए सतत .. क्षा की व्यवस्था करना ।

.. शिक्षा .. प्रशासन एवं संगठन :

आयोग की सम्मति में केन्द्र और प्रान्तो में प्रौढ़ शिक्षा के लिये अलग से विभाग होने चाहिये । इस सम्बन्ध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिये =

- के.. में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाये । इसका कार्य प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी नीति और योजनाओं का निर्माण करना, केन्द्र व प्रान्तीय सरकारों को प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी परामर्श देना, प्रौढ़ शिक्षा हेतु उपयुक्त साहित्य एवं सामग्री का निर्माण करना, प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति का लेखा जोखा रखना और प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी शोध कार्य करना चाहिये और साथ ही

विभिन्न संस्थाओं के प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिये ।

– केन्द्र की भाँति प्रत्येक प्रान्त में राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाये, जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड द्वारा निश्चित कार्यक्रमों के सम्पादन के लिये उत्तरदायी हो ।

– जिले और ग्राम स्तरों पर प्रौढ़ क्षिक्षा समितियों का गठन किया जाये जो अपने अपने क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के सम्पादन के लिये उत्तरदायी हो ।

प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त बजट रखा जाये ।

– प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाये, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाय और प्रौढ़ शिक्षा साहित्य एवं सामग्री उप[illegible] कराई जाये ।

शिक्षा की व्यवस्था :

[illegible]ढ़ शिक्षा की व्यवस्था हेतु आयोग ने निम्नलिखित सुझाव केन्द्र =

– 15 से 30 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालयों को सामुदायिक कें‍न्द्र बनाया जाये और यहाँ विद्यालयी समय से पहले अथवा बाद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाये जाए ।

– प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षक– शिक्षार्थियोग, शिक्षित युवक युवतियों और समाज सेवा संस्थाओं का सहयोग लिया जाये ।

?— प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया जाये,उनमें राजस्थान विश्वविद्यालय की भाँति प्रौढ़ शिक्षा विभाग खोले जाये । ये विभाग प्रौढ़ शिक्षा हेतु साहित्य तैयार तैयार करें शिक्षक तैयार करें और अन्य सामग्री तैयार करें । साथ ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए और इस क्षेत्र में शोध कार्य करें ।

— ग्रामीण निरक्षर महिलाओ को साक्षर बनाने के लिये ग्राम सेविकाओं का सहयोग लिया जाये ।

— सामान्य महिलाओं को साक्षर बनाने के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संक्षिप्त पाठयक्रमों की व्यचस्था की जाये ।

— प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करने एवं उसका प्रसार करने के लिये जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जाये ।

<u>ढ़ शि[illegible] की निरन्तरता</u> :

आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त अधिकतर प्रौढ़ कुछ वर्षो बाद सब कुछ भूल जाते हैं इसलिये उनकी ाािको कायम रखने की आवश्यकता है । इस हेतु उसने निम्नलिखित सुझाव दिये ।

प्रौढ़ो को साक्षर बनाने के बाद अनुसरण कार्यक्रम चलाये जायें

— पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की व्यवस्था की जाये और साथ ही सचल पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाये ।

इन पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों की रूचि और आवश्यकतानुकूल साहित्य उपलब्ध कराया जाये ।

- विद्यालयों कें पुस्तकालयों एवं वाचनालय नवसाक्षर प्रौढ़ों के लिये उपलब्ध कराया जाये ।
- कामगार प्रौढ़ों के लिये अल्पकालीन पाठयकंम चलाये जायें ।
- जो प्रौढ़ अल्पकालीन शिक्षा का लाभ न उठा पाये उनके लिये पत्राधार पाठयक्रमों की व्यवस्था की जायें ।
- इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक निश्चित समयान्तर से अभिनव पाठयक्रम चलाय जाये ।
- अल्प शिक्षित प्रौढ़ों को अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने और विद्यालयी छात्रों की भॉति डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने हेतु अल्पकालीन पाठयक्रम चलाए जाये"। ये पाठयक्रम तत्सम्बन्धी विद्यालयो मे विद्या समय से पहले अथवा बाद में अथवा ग्रीष्मावकाश में चलाया जाये"
- इन सब कार्यो के लिये जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जायें ।

[राष्ट्]रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रौ ढ शिक्षा पर की गई अनुशंसित

1951 से 1981 के मध्य साक्षरता का प्रतिशत 16.67 से 36.27 हो गया है", लेकिन इस काल में निरक्षरों की संख्चया 30 करोड से बढकर 43.7 करोड हो गई अत प्रौढ़ साक्षरता और विशेष ध्यान देने की आवययकता है। वस्तुतः युवा कार्यकर्ता और समाज के लोग बड़े

पैमाने पर जब तक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगे तब तक यह कार्यक्रम सफल होना कठिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा के लिये निम्न प्रावधान रखे गये है :—

1— ग्रामीण अंचलों में सतत शिक्षा के केन्द्रो की स्थापना

2— नियोक्ताओं व सम्बन्धित राजकीय माध्यमों द्वारा कामगारों की शिक्षा

3— उत्तर माध्यमिक शिक्षा संस्थाऐं

4— पुस्तकें वाचनालयो और पुस्तकालयों में अभिवृद्धि

5— सार्वजनिक एवं समूह अधिगम माध्यम के रूप में रेडियो, दूरदर्शन तथा चलचित्र

6— अध्येता समूह एवं संगठनों का निर्माण

7— दूरगामी अधिगम कार्यक्रम

8— स्व अधिगम में सहायता प्रदान करना

9— आवश्यकता एवं रूचि आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रौढ़ शिक्षा :

— हमारे प्राचीन ग्रन्थो में कहा गया है — " सा विद्या सा विमुक्ते' — शिक्षा वह है, जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति करे लिखना ' — पढ़ना तो आना ही चाहिये, क्योंकि आज के युग में यही सीखने का प्रमुख माध्यम है। इसी कारण साक्षरता और प्रोढ़ शिक्षा का महत्व अत्यन्त अधिक है।

— सम्पूर्ण राष्ट्र राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के माध्यम से, विभिन्न साधनों की

सहायता से और सम्पूर्ण साक्षरता अभियानो पर विशेष बल देते हुए विशेषकर 15 से 35 आयु वर्ग में निरक्षरता को दूर करने के लिये निष्ठापूर्वक कटिबद्ध हुआ है । केन्द्र और राज्य सरकारो , राजनीतिक दलो तथा उनके जन – सगठनों , जन संचार माध्यमो तथा शैक्षिक संस्थाओ, शिक्षको , छात्रों युवाओ तथा स्वैक्षिक एजेन्सियो, सामाजिक काम करने वाले समूहों तथा नियोक्ताअ को जन – साक्षरता अभियनो के प्रति अपनी बचनबद्धता पर अवश्य ही फिर से बल देना चाहिये । इन अभियानों मे साक्षरता कार्यात्मक ज्ञान और कौशल तथा समाजार्थिक वास्तविकता तथा इसे परिवर्तित करने की सम्भाव7ा के बारें में शिक्षणार्थियो में जागरूता आादि शामिल है ।

— चूँकि विकास कार्यकमो में साक्षरता अभियानो के प्रतिभागियो का शामिल ह होना अनिवार्य है, इसलिये राष्टीय साक्षरता मिशन को गरीबी उन्मूलन राष्टीय एकता , पर्यावरण संरक्षण, सीमित परिवार के मानदण्ड का पालन , महिला समानता को बढ़ावा देना , प्राइमरी शिक्षा का सर्व सुलभीकरण, बुनियादी स्वास्थय की सुविधायें , बच्चों की देरखरेख अदि राष्टीय लक्ष्यों की दिशा में गतिमान करना है । इससे लोगों की सांस्का1तिक सृजनशीलता तथा विकास प्रकियाओं में उनकी सकिय भागीदारी भी बढ़ेगी

— प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके नव – साक्षरों और युवाओं को उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के व्यापक कार्यकम सुलभ कराये जायेगें , ताकि वे अपने

साक्षरता कौशल को बनाये रख सके और उसमें सुधार ला सके तथा अपने जीवन और कार्यदशा में सुधार के लिये इसका उपयोग कर सके । इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल होगें ।

विविध प्रकार के सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना ताकि प्रौढ़ अपनी रूचि की शिक्षा जारी कर सकें ।

ख— नियोजको , मजदूर संघो और सरकार के माध्यम से श्रमिकों की शिक्षा ।

पुस्तकों , पुस्तकालयों और वाचनालयों को व्यापक प्रोत्साहन ।

जन — शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो , दूरदर्शन और फि... का उपयोग ।

— शिक्षार्थियो के समूहों और संगठनों का सृजन ।

- दूर... शिक्षा के कार्यक्रम ।

— आज का एक महत्वपूर्ण विकास का मुद्दा दक्षता के सतत स्तरोन्नयन से सम्बन्धित है, ताकि समाज की आवश्यकता के अनुकूल अपेक्षित जन्म = शक्ति संसाधनों का सृजन किया जा सके । इस लिये रोजगार तथा आवश्यकता और रूचि पर आधारित व्यवसायिक और दक्षता कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष बल दिया जायेगा ।

...न्न स्तरों पर शिक्षा का पुर्नगठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा =

बच्चो से सम्बन्धित राष्टीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चो के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाये । विशेषकर ऐसे तबको पर जिनके बच्चो की पहली पीढ़ी बढ़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है ।

— बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता । पौष्टिक भोजन व स्वास्थय को और बच्चो के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को समेकित रूप से देखना होगा । इस दृष्टि से शिशुओ की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केन्द्र खोले जायेगे जिससे अपने छोटे भाई बहिनो की देखभाल करने वाले लड़कियों को स्कूल जाने की सुविधा मिल सके । साथ ही , निर्धन वर्ग की कार्यरत स्त्रियों को भी इन केन्द्रों से मदद मिल सके ।

— शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केन्द्र पूरी तरह बाल केन्द्रित होगे । उनकी गतिविधिया खेलकूद पर और बच्चो के व्यक्तित्व पर आधारित होंगी । इस अवस्था में औपचारिक रूप से पढ़ना – लिखना नहीं सिखाया जायेगा । इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जायेगा ।

— शिशुओं की देखभाल और पूर्व -पाथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को पूरी तरह समेकित किया जायेगा , ताकि इनके प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मानव संसाधन विकास में सामान्य रूप से सहायता मिल सके । इसके साथ ही स्कूल स्वास्थय कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जायेगा ।

प्रारम्भिक शिक्षा :

— प्रारम्भिक शिक्षा को नई दिशा देने मे इन तीन पहलुओ पर बल दिया जायेगा—

— सर्व सुलभ पहुँच और नामांकन

ख— 14 वर्ष तक के बच्चो को शिक्षा के क्षेत्र में बनाये रखना ।

— शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार, ताकि सभी बच्चे आवश्यक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

केन्द्रित दृष्टिकोण

— बच्चो को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती है, जब वहा का वातावरण प्यार अपनत्व और प्रोत्साहन से भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चो की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हो । पाथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल केन्द्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिये । पहली पीढ़ी के सीखने वाले बचचो को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिये और उनके लिये पूरक और उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिये । जैसे जैसे बच्चे बढे बढ होगे, उनकी सीखने में भी ज्ञानात्मक तत्व बढ़ते जायेगे और अभ्यास के द्वारा वे कुशलताये भी ग्रहण करते चलेगे । प्राथमिक स्तर पर बच्चो को किसी कक्षा में फेंल न करनें की प्रथा जारी रखी जायेगी बव्वरे कर मू'ल्यांकन समय समय पर किया जाता रहेगा, । शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दण्श्र को सर्वथा हटा दिया जायेगा और विालय के के समय का और छुटिटयों का निर्णय भी बच्चों की सुविधा को देखते हुए किया जायेगा ।

विद्यालय में सुविधाये :

- प्रारम्भिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओ की व्यवस्था की जायेगी । इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे , आवश्यक खिलोने, ब्लेकबोर्ड, नक्शे , चार्ट और शिक्षण सामग्री शामिल है । हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होगे , जिसमे एक महिला होगी । यथा सम्भव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिये एक–एक शिक्षक की व्यवस्था की जयेगी । पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिये एक कमिक अभियान शुरू किया जायेगा , जिसका सांकेतिक नाम " आपरेशन ब्लेक बोर्ड " होगा इस कार्य में शासन , स्थानीय निकाय, स्वयसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी । राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की निधियो का पहला उपयोग स्कूल की इमारतो को बनाने में होगा ।

अनौचारिक शिक्षा :

- ऐसे बच्चे , जो बीच में स्कूल छोड़ गये है,या जो ऐसे स्थान पर रहते है जहॉ स्कूल नहीं है , या जो काम में लगे है, और वे ल लडकियॉ , जो दिन में स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती, इन सबके लिये एकविशाल और व्यवस्थित अनोपाचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जायेगा ।
- अनोपचारिक शिक्षा केन्द्रो के अधिगम वातावरण को सुधारने के लिये आधुनिक प्रोद्योगिकीय साधनों का प्रयोग किया जायेगा । स्थानीय समाज में प्रतिभावान

और समर्पित युवको को और युवतियों को अनुदेशको के रूप में कार्य करने के लिये चुना जायेगा और उनके प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । सह सुनिश्चित किया जायगा कि सभी आवश्यक उपाय किये जायेगें कि अनौपचारिक शिक्ष का स्तर औपचारिक शिक्षा के तुलनीय हो । अनौपचारि शक्षा पद्धति के पास होकर आने वाले बच्चो के औपचारिक पद्धति में प्रवेश को सफल बनाने के लिये कदम उठाये जायेगें ।

— राष्ष्टीय केन्द्रित शिक्षा कार्यक्रम की तरह का एक शिक्षा क्रम अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिये भी तैयार किया जायेगा लेकिन यह शिक्षाक्रम विद्यार्थियो की जरूरतो पर आधारित होगा और इसका सम्बन्ध स्थानीय पर्यावरण से रहेगा । उच्चकोटि की शिक्षण सामाग्री बनायी जायेगी और वह सभी विद्यार्थियो को मुफत दी जायेगी । अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम मैं सहाभागी होते हुए शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण उपलब्ध किया जायेगा और इसमें खेल — कूद ,सांस्कृतिक र्काकम, भ्रमण आदि की व्यवस्था की जायेगी ।

— इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की कूल जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो को चलाने का अधिकतर कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायती राज की संस्थायें को पर्याप्त धन समय पर दिया जायेगा ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन में आने वाली समस्यायें

- उपयुक्त पाठ्यक्रम की समस्या :

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के प्रसार में सबसे प्रमुख समस्या है कि प्रौढ़ों को क्या पढ़ना–लिखना या अन्य कार्य सिखाने चाहिये, क्योंकि जो पाठ्यक्रम बालकों के लिये प्रयुक्त होता है यह प्रौढ़ों के लिए रखना ठीक नहीं है ।

— प्रशिक्षित अध्यापको की कमी :

इस कार्यक्रम के संचालन में दूसरी समस्या यह है कि प्रौढ़ो और बालकों के मनोविज्ञान में बड़ा अन्तर होता है । इसलिए प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक उनके मनोविज्ञान को समझने की ओर उसी ढंग से शिक्षा देने की योग्यता रखते हों लेकिन हमारे मुरादाबाद ही में नहीं बल्कि भारत में भी ऐसे शिक्षकों की बहुत कमी है ।

साधनों की कमी :

जनपद मुरादाबाद में प्रौढ़ सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के संचालन में एक कठिनाई यह आती है कि यहाँ साधनों की बड़ी कमी है । जैसे कहीं–कहीं पाठशालायें घरों से बहुत दूर हैं इस कारण प्रौढ़ व्यक्ति विद्यालय नहीं पहुँच पाते और आलस कर जाते हैं । तो कहीं – कहीं गॉव में कक्षा लगाने के लिये उपयुक्त भवन नहीं । अधिकतर शिक्षक कक्षा अपने घर में ही लगा लेते हैं जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है ।

4— प्रौढ़ों के साहित्य की कमी :—

यद्यपि आज प्रौढ़ शिक्षा को इतना महत्व दिया जा रहा है परन्तु यह भी सत्य है कि आज भी भारत में तथा प्रान्तीय भाषाओं में प्रौढ़ों की पाठ्य पुस्तकों एवं साहित्य का अभाव है जिस कारण यह कार्यक्रम उचित प्रकार से प्रगति नहीं कर पा रहा है ।

5— शिक्षा के महत्व की अज्ञानता :

जनपद मुरादाबाद शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जनपद है। यहाँ निरक्षरों की संख्या भी बहुत अधिक है जिस कारण यहाँ की जनता शिक्षा के महत्व को नहीं समझती और अपने दैनिक कार्यो को शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्व देती है । कुछ लोग यह समझते हैं कि अब इतनी उम्र गुजर जाने के बाद वह पढ़ लिख कर क्या करेंगे ?

6— उपयुक्त वातावरण की कमी :

गाँव वाले आज भी अन्य विश्वासों और रूढ़ियों से ग्रस्त हैं । उनके जो अपने रहन—सहन की एक शैली या प्रथा चली आ रही है वे उसी ढंग से जीना चाहते हैं वे नहीं चाहते कि उनकी शैली में कोई परिवर्तन हो । इसलिए आज भी गाँवों में ऐसे बहुत से परिवार है कि उनके घर पढ़ने—लिखने का वातावरण बहुत कम है । इसलिए वह पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते हैं ।

7— नियमित अवकाश की कमी :

प्रत्येक किसान वर्ष में कुछ महीने तो अत्यन्त व्यस्त रहता है कि उसे दिन में एक पल भी दम मारने की फुरसत नहीं मिलती, और शाम को अत्यधिक थकान के कारण जल्दी सो जाता है । हॉं, कुछ महीने अवश्य किसान लोग अधिक अवकाश पाते हैं । इस प्रकार नियमित अवकाश न मिलने से नियमित पढ़ाई नहीं चल पाती और खण्डित शिक्षा से कोई लाभ प्राप्त नही हो सकता ।

8— निर्धनता :

अधिकतर निरक्षर गॉवों में ही रहते हैं और निरक्षरता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है । इन लोगों का अधिकांश समय धनोपार्जन और जीविका की चिन्ता में ही व्यतीत हो जाता है । ऐसी स्थिति में वे शिक्षा की ओर कैसे ध्यान लगा सकते हैं ।

9— शारीरिक कार्य की अधिकता :

किसानों के जीवन में शारीरिक कार्यो की अधिकता और मानसिक कार्य की न्यूनता रहती है इस कारण उनका शारीरिक विकास तो पर्याप्त हो जाता है, किन्तु मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है ।

10— बुरी आदतें :

गॉवों में अभी भी शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में विशेष उन्नति नहीं हुई है इसलिए देहातों में अनेक लोग प्रारम्भ से ही बुरी आदतों में फॅस जाते हैं । इसलिए यह शिक्षा की ओर कम ध्यान दे पाते हैं । वह धूम्रपान एवं मद्यपान करने लगते हैं । जिससे उनका मस्तिष्क कुण्ठित हो जाता है ।

11— **सरकारी कर्मचारियो की उदासीनता :**

अनेक बार यह देखने को मिलता है कि सरकारी कर्मचारी गॉवों में शिक्षा की उन्नति में उतनी रूचि और कियाशीलता नहीं दिखाते जितनी दिखानी चाहिये । इस कारण भी मुरादाबाद जनपद में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का अधिक प्रसार नहीं हो पा रहा है ।

12— **छुआछूत :**

यद्यपि छुआछूत की भावना का अन्त करने के लिए कानून बनाया गया है तो भी गॉव में इस भावना का अन्त नहीं हुआ है । सब जाति के लोग इकट्ठें होकर पढ़ना नहीं चाहते, और प्रत्येक जाति के लिए अलग—अलग विद्यालय तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त निम्न समस्यायें भी दृष्टिगोचर होती हैं —

1— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए आर्थिक साधन बहुत सीमित है ।

2— साक्षरता केन्द्रों में शिक्षा का वातावरण उपयुक्त नहीं । प्रशिक्षित अध्यापक, शिक्षण सामग्री प्रकाश की व्यवस्था एवं भवन का अभाव है ।

3— जन संचार माध्यम साक्षरता अभियान के विकास में सही ढंग से भूमिका नहीं निभा रहे हैं

4— स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य सरकार से सहयोग नही मिला है ।

5— सीखने वाले नियमित रूप से नहीं आते हैं बीच में छोड़कर चले जाते हैं जिससे अवरोधन एवं अपव्यय हो रहा है ।

6— अनुगमन सेवा नहीं के बराबर है ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की कार्यनीति के लिए सुझाव :

1— प्रेरणा जगाना :

साक्षरता कार्यक्रम में सबसे बड़ा सवाल है, लोगों में प्रेरणा जगाना । पूरा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को इस दिशा में कार्य करना होगा ।

2— जन—सहयोग पाना :

लोगो का सहयोग पाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये जायें, जैसे अखबार, रेडियो, टी0वी0 आदि संचार साधनों की सहायता ली जाये । स्थानीय स्तर पर जनसहयोग के लिए जरूरी संस्थायें कायम की जायें, जत्थें निकाले जायें, युवकों के केडरों को प्रशिक्षण दिया जाये इत्यादि । आशा है कि इन प्रयासों से सीखने के लिए प्रेरणा देने वाला वातवरण बन जायेगा ।

3— स्वैच्छिक संस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त करना :

सही ढंग की स्वैच्छिक संस्थाओं का पता लगाने के लिए भिन्न—भिन्न तरीके अपनाये जायें वित्तीय सहायता देने के नियमों को सरल बनाया जाये । मिशन कार्यक्रम प्रसार के लिऐ तथा प्रशिक्षण तकनीकी संसाधन विकास, अनुसंधान तथा नवीन प्रयासों के लिये बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक एजेन्सियों को शामिल किया जाये ।

4— मौजूदा कार्यक्रमों में पर्याप्त सुधार करना :

मौजूदा कार्यक्रम को जारी रखा जाय । परन्तु विज्ञान और टैक्नोलॉजी के जॉचे — परखे संसाधनों का प्रयोग करके बेहतर सुपरविजन, उपयुक्त प्रशिक्षण, शिक्षा के नये प्रयास आदि के द्वारा इन कार्यक्रमों में सुधार किया जाये ।

5— जन—आन्दोलन शुरू करना :

शिक्षा संस्थाओं , शिक्षकों, छात्रों, युवकों,सैनिक तथा अर्द्धसैनिक कर्मचारियों, गृहणियों , भूतपूर्व सैनिकों, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियन आदि का सहयोग लेकर कार्यात्मक साक्षरता के जन—व्यापी कार्यक्रम को विस्तृत और सुदृढ़ बनाया जाये, तथा साक्षरता के लिए जन—आन्दोलन शुरू किया जाये ।

6— सतत् शिक्षा को संस्था का रूप देना :

समूचे देश में साक्षरता के बाद की शिक्षा की व्यवस्था की जाये । इसके लिए विशेष रूप से जन—शिक्षण निलयम् खोले जायें तथा मौजूदा संस्थाओं में मिलने वाली सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जाये ।

7— मानक अध्ययन सामग्री सुलभ कराना :

केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन के विकास के लिए बनी संस्थाये इस बात पर ध्यान रखें कि अच्छी और मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने वाली सामग्री आसानी से मिल सकें ।

8— सभी जगह शिक्षा की सुविधायें प्राप्त करना :

2000 तक साक्षरता, सतत् शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधायें देश के हर भाग में उपलब्ध कराई जायें ।

9— टैक्नोलॉजी का प्रदर्शन शुरू करना :

शिक्षण में सहायक टैक्नोलॉजी की खोजों के विकास, प्रसार और प्रयोग की दृष्टि में रखकर सभी जिलों में टैक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाए । बाद में प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए, ताकि दूसरे जिलो में उनका प्रयोग किया जा सके ।

10— विभिन्न स्तरों पर मिशन प्रबन्ध व्यवस्था की स्थापना :

मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सशक्त मिशन प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित की जाए । जिसमें कर्मचारियों का उपयुक्त चयन तथा उनका विकास, सूचना का संग्रह, प्रसार और उपयोग, सुव्यवस्थित मॉनीटरिंग तथा आवश्यक मध्यावधि सुधार और मूल्यांकन की व्यवस्था की जायें ।

11— वातावरण ऐसा हो, जिसमें साक्षरता महत्वपूर्ण समझी जाये और उसके विकास की गुजाइश हो लोगों को साक्षरता के लिए तैयार किया जा रहा हो।

12— कार्यक्रम की शुरूआत इस प्रकार हो कि शिक्षार्थियों को उसमें अपना हित स्पष्ट दिखाई दें, जैसे — नए हुनर, सीखने से आर्थिक लाभ होगा, राजनीतिक विषयों और परिवार के स्वास्थ्य पर चर्चा के द्वारा जानकारी मिलेगी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकेंगे, इत्यादि ।

13— शिक्षक योग्य, नियमित, जानकार और इच्छा व्यक्ति हो तथा शिक्षार्थियो को छोटा न समझे ।

14— शिक्षण का वातावरण जीता—जागता, दिल खुश करने वाला और आराम देने वाला हो, ऐसे कार्यकलाप, आयोजित किये जाते हों, जो थकान और बोरियत को दूर करने में सहायक हों ।

15— अगर शिक्षार्थी यह समझ जायें कि वे पढ़ना—लिखना सीख सकते हैं, और आगे—आगे प्रगति कर सकते हैं, तो वे अपनी शुरू—शुरू की अरुचि पर काबू पा सकते हैं ।

16— ऐसी व्यवस्था हो कि जो साक्षर बन जायें , वे अपनी शिक्षा आगे जारी रख सकें ।

17— महिलाओं को ऐसा लगे कि साक्षरता कार्यक्रम एक ऐसा साधन है, जो उन्हें एक दूसरे के निकट ला सकता है, एकता पैदा कर सकता है और उनके आत्म—विश्वास और आत्म—छवि को बढ़ा सकता है ।

—00—

पंचम अध्याय

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

(1951–1999)

पंचम अध्याय

प्रौढ शिक्षा की प्रगति

प्रायः संसार के सभी देशों की शैक्षिक व्यवस्था बालकों की शिक्षा को ही आधार मानकर चली है । इसके पीछे सम्भवतः यह मान्यता रही है कि जीवन के प्रारम्भिक दिनों में जब बालक का मन एक कोरे घडे के समान होता है, संसार की विभिन्न वस्तुओं , व्यक्तियों एवं सम्पर्कों की प्रतिकियाएं उसके व्यक्तित्व पर न्यूनतम होती है, उसी समय सामाजिक जीवन के रचनात्मक मूल्यों का समावेश उसके व्यक्तित्व में कर दिया जाए, जिससे कि भावी जीवन में वह एक संगठित समाज का उपयोगी अंग बने । यह मान्यता, बाल मनोविज्ञान एंवं शिक्षा की सहज संप्रेषणीयता की दृष्टि से बालको के लिये सर्वथा उचित भी है, परन्तु उतना ही महत्वपूर्ण यह तथ्य भी है कि यदि बाल जीवन में शिक्षा की पावन धारा में उसे निमज्जित नहीं करा सके तो भावी प्रौढ़ जीवन को शिक्षा की प्रकिया से पूर्णतया अलग कर देना एक नैतिक एवं सामाजिक अपराध सा ही है, क्योंकि शिक्षा मानवीय विचारों एवं व्यवहारों का सृजनात्मक पक्ष है और यह सृजनात्मक पक्ष जब तक समाज में बहुमत के रूप में प्रंकट नहीं होगा, तब तक समाज अव्यवस्थित और विखण्डित ही रहेगा।

हमारी अपनी परम्परा में शिक्षाशास्त्री , विद्वान और चिन्तक इस तथ्य से पूर्णतया अवगत थे । हमारें यहॉं प्राचीन काल से समाज शिक्षा की परम्परा थी, जिसके अन्तर्गत उन्हें केवल साक्षर ही नहीं बनाया जाता था

, वरन् सुनियोजित, सुखी एवं सम्पन्न समाज के लिये उन्हें विचार और व्यवहार के क्षेत्र में भी संस्कारित किया जाता था । तत्कालीन गुरू, ऋषि, मुनि, कथाकार, प्रवचनकर्ता आदि विविध विधियों – प्रवचन, शास्त्रार्थ, कीर्तन, भजन, रासलीला, रामलीला आदि के माध्यम से लोगों को समाजिक व्यवस्था, नैतिकता एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करते रहते थे, समाज–शिक्षा की वे परम्पराएं एवं व्यवस्थाएँ ब्रिटिश प्रयोगो का परीक्षण किया गया ।

ब्रिटिश काल में औपचारिक शिक्षा के साथ ही समाज शिक्षा के भी कुछ कार्य प्रारम्भ किये, किन्तु वे बहुत ही अपर्याप्त थे । कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही प्रौढ़ों के लिए रात्रि स्कूल चलाए गए सत्र 1927–28 में पंजाब में 3,000 रात्रि–स्कूल संचालित किये गये । वर्तमान शताब्दी के प्राम्भ में कर्नाटक (तत्कालीन मैसूर) मे श्री एम० विश्वेश्वरैया ने 7,000 साक्षरता केन्द्र चलाने के साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालयों की भी स्थापना की, किन्तु ये प्रयास बहुत अल्प थें ।

सन् 1937 में विभिन्न राज्यों में लोकप्रिय अन्तरिम सरकारों की स्थापना के पश्चात प्रौढ़ शिक्षा पर बिशेष बल दिया गया । बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डा० सैयद महमूद ने विशेष रूचि लेकर प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को बहुत गतिशील बनाया । मद्रास में श्री सी० राजगोपालाचारी ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया । जामिया मिलिया, नई दिल्ली ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया । इनमें कुछ

बड़ी कमियाँ रही, जैसे — विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि उस समय यह समझा जाता था कि कार्यकर्ताओं में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति आस्था एवं रूचि का होना ही पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त लोगों में अनुवर्ती कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए भी धनाभाव के कारण उसे सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्र के खलित एवं सर्वांगीण विकास हेतु नये सिरे से ध्यान दिया गया तथ वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामुदायिक विकास पर पर्याप्त बल दिया गया इस कार्यक्रम में जना का सक्रिय सहयोग लेने पर विशेष जोर था । दुर्भाग्य से प्रथम पंचवर्षीय योजना (सन् 1951 से 1956) में प्रौढ़ शिक्षा पर जो बल दिया गया, वह पांचवी योजना के आते–जाते कुछ कम होने लगा था, परन्तु छठी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले बजट की स्थिति इस पकार थी — स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम असंगठित और अव्यवस्थित ढंग से चल रहे थे, उन्हें संगठित करने के प्रयास पहली पंचवर्षीय योजना (सन! 1951 से 1956) में आरम्भ किए गए । इस योजना में शिक्षा हेतु 153 करोड़ रूपया था, जिसमें से 5 करोड़ रूपया प्रौढ़ शिक्षा के लिये था, जो कि शिक्षा के कुल बजट का लगभग 3.27 प्रतिशत था। ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (सन् 1956 से 1961) में शिक्षा का बजट 273 करोड़ रूपया था । इसमें प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए 4 करोड़ रूपया था । जो कि शिक्षा के कुल बजट का लगभग 1.47 प्रतिशत रह गया ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (सन् 1961 से 1966) में शिक्षा का कुल बजट 589 करोड़ रूा था इमसें प्रौढ़ शिक्षा के लिये 3 कबरोड़ 50 लाख रूपया था, जो कि शिक्षा के कुल बजट का लगभग 0.59 प्रतिशत ही रह गया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि अन्य की गम्भीर समस्या के कारण विकास विभागों के पुरूष कार्यकर्ताओं, विशेषकर ग्राम विकास अधिकारियों (तत्कालीन ग्राम सेवकों) से यह कहा गया कि वे केवल अन्न उत्पादन पर ही विशेष बल दें। इसके कारण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

चौथी पंचवर्षीय योजना (सन् 1969 से 1974) में शिक्षा का कुल बजट 786 करोड़ रूपया था। इस बजट में प्रौढ़ शिक्षा हेतु 4 करोड़ 50 लाख रूपया था, जो कि शिक्षा के कुल बजट का लगभग 0.57 प्रतिशत ही था। शिक्षा आयोग के सदस्यों ने अनुभव किया कि प्रौढ़ शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने के लिये उसे ऐसा रूप दिया जाये, जिससे व्यक्ति के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार लाया जा सके। यह चिन्तन उपयोगी एवं व्यवहारिक सिद्ध हुआ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (सन् 1974 से 1979) में शिक्षा का कुल बजट 912 करोड़ रूपया था। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के लिए 18 करोड़ रूपये की व्यवस्था थी, किन्तु व्यय लगभग 9 करोड़ रूपये ही हुआ, जो कि कुल बजट का लगभग 0.98 प्रतिशत रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना (सन् 1980 से 1985) में शिक्षा का कुल बजट 2530 करोड़ रूपये था । इामें प्रौढ़ शिक्षा हेतु 224 करोड़ की व्यवस्था थी, जो कुल बजट का लगभग 8.85 प्रतिशत था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पाच पंचवर्षीय योजनाएँ समाप्त हो जानं के उपरान्त यह प्रथम बार अवसर आया था कि जबकि प्रौढ़ शिक्षा के अर्न्तनिहित महत्व को स्वीकार करते हुए उसे ठोस एवं व्यापक आधार देनें की चेष्टा की गई थी ।

सातवी पंचवर्षीय योजना (सन 1985 से 1990) में शिक्षा का सरकार कुल बजट 7,6333 करोड़ रूपया था । इसमें साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के लिये 470 करोड़ रूपये की व्यवस्था थी । जो कि शिक्षा के कुल बजट का लगभग 6.15 प्रतिशत था ।

आठवी पंचवर्षीय योजना (1992 से 1997) में शिक्षा का कुल बजट 19,600 करोड रूपये था । इसमें साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के लिये 1,848 करोड़ रूपये की व्यवस्था थी, जो कि श्क्षिा के कुल बजट का लगभग 9.42 प्रतिशत था ।

नवीं पंचवषीय योजना (1997 से 2002) में श्क्षिाा का कुल बजट 630,39 करोड़ रूपये रखा गया था ।

इन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यो के अतिरिक्त कभी—कभी कुछ विशेष परियोजनायें भी संचालित की गई, जिनका उल्लेख करना असंगत न होगा । सन् 1959 में महाराष्ट्र के सतारा जनपद में "ग्राम शिक्षण मुहिम" परियोजना संचालित की गई और दो वर्ष (1961 से 1963 तक) में राज्य के 25

जनपदों में इसका विस्तार किया गया , जिसमें 14 वर्ष तथा इसके ऊपर आयु वाले लगभग 10 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया इसमें महाराष्ट्र में साक्षरता – प्रतिशत में स्पष्ट वृद्धि हुई । सन् 1961 में वहाँ 34.2 प्रतिशत साक्षरता थी, जो कि 1971 में 44.9 प्रतिशत हो गई , किन्तु बाद में योजना आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार स्पष्ट हुआ कि सुव्यवस्थित अनुवर्ती सेवाओं के न होने के कारण साक्षर बनाये गये व्यक्ति व्यापक पैमाने पर पुनः निरक्षर बन गये । इस परियोजना एवं प्रयास की यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति रही ।

सन् 1967–68 में " किसान व्यवहारिक योजना" का शुभारम्भ हुआ । इस परियोजना के संचालन में भारत के तीन विभाग – शिक्षा , कृषि तथा सूचना सम्बद्ध थे । इसमें शिक्षा विभाग को व्यवहारिक साक्षरता, कृषि विभाग को किसान प्रशिक्षण तथा सूचना विभाग को कृषि प्रसारण का दायित्व सौपा गया था । सन् 1977 –78 में एक समिति द्वारा श्री जे0सी0 माथुर की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया । श्री माथुर इस परियोजना आरम्भ समय से ही इससे सम्बद्ध थे समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता था कि इन तीनों विभागों का समन्वयन बड़ा असन्तोंष जनक रहा , पर्यवेक्षण की व्यवस्था ठीक नहीं थी तथा प्रत्येक में प्रवत्त बजट बहुत अल्प था , तथापि समिति की मान्यता थी कि उक्त परियोजना किसानों के लिये उपयोगी थी । अतएव उसका यथासम्भव विस्तार होना चाहिये तथा अनुवर्ती सेवाओ हेतु व्यवस्था होनी चाहिये ।

सत्र 1975—76 में युवाओ एवं प्रौढ़ो को शिक्षा देने के लिये एक अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । इसका उद्‌देश्य समाज के कमजोर वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना था । इसके अनुसार चयन किये गये प्रत्येक जनपद में सौ केन्द्रो का संचालन किया जाना था । सत्र 1977 — 78 के अन्त तक साठ जनपद इय कार्य क्रम के अन्तर्गत लिये जा चुके थे किन्तु इसके लिये भी आवश्यक वित्तीय व्यवस्था बहुत अपर्याप्त थी । पर्यवेक्षण की व्यवस्था सन्तोषनक नहीं थी तथा अनुश्रवण व मूल्यांकन की भी व्यवस्था अपूर्ण थी सत्र 1953 —54 से ही भारत सरकार का शिक्षा विभाग सरकारी प्रयासों के साथ ही स्वैच्छिक संस्थाओ के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन को प्रोत्साहन देता आ रहा है । इसमें साक्षरता केन्द्रो को संचालन, प्रौढ़ शिक्षा साहित्य का सृजन, अनुवर्ती सेवाओं के अन्तर्गत पुस्तकालय सेवाओ का आयोजन आदि प्रमुख कार्यक्रम है । कुछ स्वैच्छिक संस्थों ने बहुत ही प्रशंनीय कार्य किया किन्तु ऐसी संस्थओं के प्रयास बहुत छिटपुट और विशेष क्षेत्रो तक ही सीमित रहे हैं ।

राष्ट्रीय — स्तर पर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम :

स्वतन्त्रता — प्राप्ति के पश्चात प्रथम बार सन्‌ 1977 में शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने घोषित किया कि प्राथमिक शिक्षा के साथ ही शैक्षिक नियोजन में प्रौढ शिक्षा को उच्च्च प्राथमिकता दी जायेगी । दो वर्षो की अवधि (सन्‌ 1977 से 1979) में "प्रौढ़ शिक्षा के नीति वक्तव्य" को अंतिम रूप दिया गया तदन्तर 2 अक्टूबर, 1978 को राष्ट्र — स्तर पर "प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया गया । छठी पंचवर्षीय योजना

में प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक आधार एवं व्यवस्थित रूप दिया गया था । इस बार राष्ट्रीय = स्तर पर उन कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षित करने का कार्यक्रम रखा गया था, जो अभी तक निरक्षरता के कारण विकास से लाभान्वित नहीं हो सके थे । इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 से 35 वय – वर्ग के लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को पॉच वर्षो की अवधि में शिक्षा की सुविधायें सुलभ करायी जानी थी यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1979 से प्रारम्भ हुआ । इसमें कार्य करते हुए सीखने पर विशेष बल दिया गया था । इस कार्यक्रम में संचालित किये गये प्रौढ़ शिक्षा के पूर्व कार्यक्रमों की कमियों को यथसम्भव दूर करने का प्रयास किया गया तथा अनुवर्ती सेवाओं पर विशेष बल दिया गया । आठवी पंचवर्षीय योजना में भी प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से इसी वर्ग विशेष के जीवन – स्तर को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था ।

देश की त्वरित प्रगति के लिये छः राष्ट्रीय मिशनों – साक्षरता, पेयजल, प्रतिरक्षीकरण, तिलहन, दूर संचार तथा डेरी का शुभारम्भ किया गया है " साक्षरता मिशन का शुभारम्भ 5 मई, 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा किया गया था ।

भारत सरकार ने निरक्षरता के शीघ्र उन्मूलन के लिये "सम्पूर्ण साक्षरता अभियान" प्रारम्भ किया । इस अभियान के अन्तर्गत देश में केरल पहला राज्य है, जहा राज्य सरकार ने इस उपागम को जनवरी 1989 में अपनाया और युद्ध – स्तर

पर कार्य करके पूरे केरल राज्य को सम्पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया । सन् 2001 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता 90.92 प्रतिशत तक पहुँच गयी है ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में नामांकन के बजाय उपलब्धि पर बल दिया गया है । कार्यक्रम क्रियान्वयन की गति और प्रगति का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण प्रत्येक माह, प्रत्येक पखबाड़े, प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक दिन सतत रूप से होता रहता है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सम्बन्ध में आचार्या राममूर्ति समिति ने विशेष बल दिया है कि :—

1— हमें नयी शिक्षा नीति चाहिये, जिसमें " सबके लिये शिक्षा" हो, नाकि कुछ चूने हुए लोगों के लिये हो ।

2— नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकता, निर्धनता उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, छोटे परिवार का मानक, महिला समानता आदि महत्वपूर्ण विषयों को उच्च प्राथमिकता दी जाये ।

5.2 **प्रौढ शिक्षा संचालन का संयत्र :**

प्रौढ़ शिक्षा बहुप्रचलित नाम है । प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर भिन्न —2 कार्यक्रम संचालित किये गये, जो उस काल में उस स्थान के नागरिकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिये आवश्यक प्रतीत हुए । वस्तुतः यह नाम ब्रिटेन में तथा अंग्रेजी भाषा में प्रचलित था, जहां निरक्षरता कोई गम्भीर समस्या नहीं थी । ब्रिटेन में वकर्स एजूकेशनल एसोसियेशन" तथा विश्वविद्यालयो के "एक्स्ट्रा म्युरल

डिपार्टमेन्टस द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के विस्तृत पाठयक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषय यथा साहिज्य , इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, नृत्य, सामाजिक अध्ययन आदि पढ़ाए जाते थे । वहाँ प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उस समय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों में व्यक्तियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना था ।

दूसरी ओर देखें तो भारत अथवा अन्य देशों में, जहाँ निरक्षरता की समस्या गम्भीर थी, प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य सामान्यतः साक्षरता से लिया गया । जिसका कार्य विद्यालय की सामान्य शिक्षा के अभाव की पूर्ति करना था । इसके अन्तर्गत सामान्य पढ़ना –लिखना और साधारण गणित का शिक्षण सम्मिलित किया जाता था । शनैः शनैः आवश्यकतावश यह अनुभव किया जाने लगा कि प्रौढ़ शिक्षा को अब साक्षरता तक ही नहीं सीमित रखना चाहिये, अपितु उसमें स्वास्थ्य, सामाजिक ज्ञान,कृषि , तकनीकी ज्ञान, नागरिकता, उद्योग आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

धीरे–धीरे परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार भारत में प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र विकसित होता गया और जब 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्र 1978 को राष्ट्र स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ तो स्पष्ट रूप से प्रौढ़ शिक्षा में तीन तत्वों – जागरूकता, व्यावहारिकता एवं साक्षरता – का समावेश किया गया, जिसका उल्लेख आगे के अध्यायों में विस्तृत रूप से किया जायेगा ।

समाज शिक्षा :

समाज शिक्षा का नामकरण करने का श्रेय स्वतन्त्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को है । सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में सोशल एजूकेशन शीर्षक के अन्तर्गत लिखा गया है कि "समाज शिक्षा की एक ऐसी परिभाषा, जो साक्षरता प्रसार तक ही सीमित हो,बहुत संकुचित परिभाषा है ।" स्वर्गीय श्री आजाद के मस्तिष्क में जनता के शिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम था, जिसका नाम उन्होंने सोशल एजूकेशन अर्थात् समाज शिक्षा दिया था । कार्यक्रम के निम्नलिखित पॉच उद्देश्य निर्धारित किये गये =

1— आर्थिक सुधार हेतु शिक्षा,

2— नागरिक शिक्षा,

3— स्वास्थय शिक्षा

4— निरक्षरता उन्मूलन तथा

5— मनोरंजन एवं सौन्दर्य बोध शिक्षा ।

उनका प्रयास था कि इन पॉचों उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षण के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संतुलित ढंग से होनी चाहिये

जन शिक्षा :

विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों से चलाए गये शिक्षण आन्दोलन को जन शिक्षा का नाम दिया गया है । इस शिक्षण आन्दोलन का उद्देश्य व्यापक जन निरक्षता का त्वरित उन्मूलन था

इस आन्दोलन के प्रणेता डा0 जेम्स वेन थे, जिन्होंने इसका संचालन विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एवं स्वैच्छिक जन सहयोग से किया था । डा0 वेन विद्यार्थियों के अवकाश एवं शिक्षित व्यक्तियों के खाली समय को दृष्टि में रखकर शिक्षण के इस ऐतिहासिक आन्दोलन को चलाते थे । इस जनान्दोलन में विद्यार्थियों एव दूसरे सहयोगी कार्यकर्ताओं की आन्तरिक प्रेरणा उत्साह एंव सेवा भावना बहुत सराहनीय थी । इस जनान्दोलन से बहुत उपलब्धि हुई ।

सामुदायिक शिक्षा :

अमेरिका के दक्षिणी देशो में सामुदायिक विद्यालयों द्वारा सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है । इन सामुदायिक विद्यालयों में विद्यार्थी उनके अभिभावक और अन्य नागरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करते है । ताकि वे अपना उत्थान एवं समुदाय का विकास कर सकें ।

इन सामुदायिक विद्यालयों का उद्देश्य समन्वय स्थापित करना है समुदाय मे जो घटित हो रहा है वहीं विद्यालयों में पढ़ाया जाए, वह समुदाय में घटित हो । इसके साथ ही समुदाय के अन्य नागरिकों को उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम (शिक्षण एवं प्रशिक्षण) के लिए विद्यालय लया जाए तथा विद्यालय के विद्यार्थियों को उनके उर्पयुक्त कार्यं के सम्पादन हेतु समुदाय में ले जाया जाये । इस तरह विद्यालय एवं समुदाय की समस्याओं का समाधान विद्याथी शिक्षक एवं नागरिक मिलजुलकर संयुक्त रूप से करते हैं । इसमें विद्यालय एवं समुदाय दोनो का हित सन्निहित है ।

जनता शिक्षा :

सन् 1919 में श्री वी0आई0 लेनिन ने अपने देश रूस में निक्षरता उन्मूलन हेतु एक सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये , जिसका उद्‌देश्य शीघ्रातिशीघ्र वहॉं की सम्पूर्ण अशिक्षित जनता को शिक्षत करना था । उस समय रूस में लगभग एक चौथाई नागरिक ही साक्षर थे । इस आदेश के अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक शिक्षित नागरिक (पुरूष एवं स्त्री दोनो) एक अशिक्षित नागरिक को शिक्षित बनाये । इसका परिणाम यह हुआ कि 23 वर्षो की अल्पावधि में वहॉं के सभी नागरिक साक्षर हो गये, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है । आज विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में रूस विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र है जिसका कारण वहॉं की जनता का शिक्षित होना है । वे अपने देश के विकास में सकिय भागीदार बन रहे है ।

<u>बेसिक शिक्षा</u> :

बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन स्वयं महात्मा गॉंधी ने किया था । गॉंधी जी के अनुसार , बेसिक शिक्षा जीवन की बुनियादी बातो की शिक्षा है बेसिक शिक्षा का अर्थ जीवन की सामाजिक , आर्थिक, भौतिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करना है तथा इन समस्याओं के समाधान में ही जीवन का सौन्दर्य भी ढूढँना है ।

बेसिक शिक्षा में किसी व्यवसाय को शिक्षा का केन्द्र माना गया है । हाथो को किसी उत्पादक काम मे लगाइये और उस कार्य के माध्यम से पढ़ाइये , बेसिक शिक्षा की विशेषता है ।

गाँधी जी के अनुसार, शिक्षा का माध्यम मात्र भाषा होना चाहिये । इससे शिक्षार्थी के आन्तरिक गुणों का सम्यक विकास सम्भव हो सकेगा ।

जीवन – पर्यन्त शिक्षा :

शिक्षा के क्षेत्र में जीवन –पर्यन्त शिक्षा कोई बिल्कुल नवीन अवधारण नहीं है । यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित स्थायी शिक्षा को जीवन – पर्यन्त शिक्षा कह सकते है । जीवन पर्यन्त शिक्षा को इस प्रकार समझा जा सकता है =

"मानव के समग्र व्यक्ति के विकास के लिये शिक्षा एक सीखने की रचनात्मक जीवन पर्यन्त प्रकिया है, जिसका उद्देश्य सीखने के समस्त अनुभवों को जोड़ना है । इसके अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवर्तन एवं विकास के साथ तालमेल करने का प्रशिक्षण , उपयोगी साक्षरता, नागरिकता एवं राजनैतिक उत्तरदायित्व आदि विषय आ जाते हैं । आज सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में एक दशक में जितने त्वरित परिवर्तन हो रहे है उतने पहले एक शताब्दी में नहीं होते थे । भविष्य में यह परिवर्तन और द्रुत गति से हो सकते हैं । जिसके लिये व्यक्ति के स्वतः सदा शिक्षित होते रहने की आवश्यकता होगी ।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा के लिये निम्नलिखित दो बातें आवश्यक होती है =

1– सीखने वाले के अन्दर जीवन भर सीखते रहने की आन्तरिक जिज्ञासा बनाये रखना इसके लिये वातावरण भी अनुकूल हो , ताकि एक सामान्य व्यक्ति का स्वतः

शिक्षण होता रहे । इस कार्य हेतु पुस्तकालय , फिल्म , टेलीविजन आदि बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं ।

2—' शिक्षण संस्थाओं का विकास होता रहे , ताकि आवश्यक प्रेरणादायक शैक्षिक कार्यकम आयोजित किये जाते रहे । स्वामी विवेकानन्द ने इसको "मानव —निर्माण शिक्षा" कहा है । वही शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास कर सकती है । जो कि जीवन—पर्यन्त चलती रहती है ।

कार्यात्मक साक्षरता :

पहले साक्षरता शिक्षण के अन्तर्गत सामान्य पढ़ाई, लिखाई एवं गणित का साधारण ज्ञान आता था । ये तीनो योग्यतायें अर्जित कर लेने पर शिक्षार्थी को साक्षर घेाषित कर दिया जाता था किन्तु पढ़ने की सामग्री न उपलब्ध हो पाने के कारण, नव —साक्षर कुछ अवधि के पश्चात प्रायः पुनः निरक्षर हो जाते थे । अतः साक्षरता का मापदण्ड और बढ़ाया गया तथा उसके अन्तर्गत जीवनोंपयोगी विषय सम्मिलित किये गये इस प्रकार, व्यवहारिक साक्षरता को यो समझा जा सकता है — "किसी व्यक्ति को व्यवहारिक साक्षर उस समय कहा जा सकता है, जब वह इतना ज्ञान और कौशल प्राप्त कर ले , जो उसे उसके समाज में समस्त ऐसे कार्य सार्थक तथा यर्थाथ रूप से योग्य बना दे, जिनमें साक्षरता आवश्यक होती है । इस प्रकार, जिसने पढ़ने, लिखने तथा गणित की कला में इतनी व्यवहारिक कुशलता प्राप्त कर ली हो कि इन दक्षताओं से स्वतः अपने एवं समाज के कल्याण को सतत काम ले सके ।" यह परिभाषा अन्तिम नहीं , वरन्‌ विश्लेषण की प्रकिया में है व्यवहारिक साक्षरता की सीमा तक शिक्षा प्राप्त किया हुआ

नव साक्षर उसे कहेंगें, जो शुद्ध उच्चारण के साथ अच्छी तरह समझ कर प्राथमिक स्तर तक की पुस्तके पढ़ ले व्याकरण के अनुसार शुद्ध लेखन में अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कर सके, अपने देश, प्रदेश एवं जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित हो विश्व एवं देश के सामान्य इतिहास की जानकारी रखता हो वह अपने व्यवसाय, जैसे = कृषि, उद्योग आदि से सम्बन्धित सरल भाषा में लिखी पुस्तके समझकर पढ़ने और फिर प्राप्त ज्ञान के अनुसार कार्य करने की क्षमता रखता हो ।

कार्यात्मक साक्षरता का जन – कार्यक्रम :

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक उपागम के रूप में "कार्यात्मक साक्षरता का जन्म – कार्यक्रम" पहली मई, 1986 को आरम्भ किया गया । इस उपागम के अन्तर्गत विश्व विद्यालयों को निर्देशन दिया गया कि वे अपने छात्र/छात्राओ से लम्बी अवधि वाले अवकाशो में स्वयं सेवा के आधार पर "कार्यात्मक साक्षरता का जन – कार्यक्रम" प्रारम्भ कराये । ये छात्र/छात्राये राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र होगे तथा गैर राष्ट्रीय सेवा योजना के भी छात्र/छात्राये हो सकते हैं जिन्हें निरक्षरता – उन्मूलन के कार्य में लगाया जा सकता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था सोची गयी :–

1– सम्बन्धित राज्य संसाधन केन्द्रों से लाभार्थियो को निशुल्क साक्षरता किट उपलब्ध कराना ।

2– विश्व विद्यालयों व महाविद्यालयों के कार्यक्रम समन्वयकों व कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण राज्य संसाधन केन्द्रों के माध्यम से आयोजित करना ।

3– स्वयं सेवक छात्रों द्वारा चयनित सेवा – क्षेत्र का सर्वेक्षण करने, लाभार्थियो की पहचान करने , लाभार्थियों को साक्षर बनने के लिये प्रेरित करने आदि में में सहायता करना ।

4– स्थानीय संगठनों व अभिकरणों का सक्रिय सहयोग पाने का सतत प्रयास करना

5– स्वयं सेवक छात्रो का निरक्षर प्रतिभागियो को साक्षर बनाने के लिये अनुदेशक /स्वयंसेवको के रूप में कार्य करना ।

स्वयं सेवक छात्र/छात्राये हर एक : पढ़ाये एक " के रूप में कार्य कर सकते है । वे एक से अधिक निरक्षर प्रतिभागियो को भी पढ़ा सकते हैं । यह स्वयं सेवक छात्रो/छात्राओ की क्षमता, सामर्थ्य व लगन पर निर्भर करता है ।

श्रमिक शिक्षा :

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षो में सरकार द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा (तत्कालीन समाज शिक्षा) परियोजनायें प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित थी उस समय नगर एवं ओद्योगिक क्षेत्रो के लिये समाज शिक्षा परियोजनाएं संचालित नहीं थी इस अभाव की पूर्ति हेतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा मंत्रालय में नगरवासियों के लाभार्थ वकर्स सोशल एजूकेशन इंस्टीटयूट प्रारम्भ करने की परियोजना बनाई । इस परियोजना को सन् 1957 में "सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकूशेन" ने स्वीकृति प्रदान कर दी । सन् 1960–61 में सर्वप्रथम इन्दौर में "वकर्स सोशल एजूकेशन इंस्टीटयूट" स्थापित हुआ , जिसको शिक्षा मंत्रालय ने आवृति एवं अनावृति के लिये

शत – प्रतिशत अनुदान दिया । पहले इंस्टीटयूट की सफलता को देखते हुए दूसरा नागपुर में सन् 1968 में प्रारम्भ हुआ । इन इंस्टीटयूट का उद्देश्य कार्यकर्ताओ को ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करना, सामान्य शिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सामाजिक एवं नागरिक उत्तरदायित्वो के प्रति उन्हें सचेत करना आदि था । इन इंस्टीटयूट के नियमित कार्यक्रमों में साक्षरता, सतत शिक्षा , अनुवर्ती साक्षरता कार्य, महिलाओं के लिये सिलाई एवं कढ़ाई कक्षायें , बुनाई पाठयक्रम , संगीत कक्षायें पुस्तकालय सेवाये आदि का प्रासंगिक कार्यक्रमों में श्रम – गोष्ठी , भजन, रामायण पाठ, गीता पाठ, नाटक, प्रदर्शनी , महिला संगोष्ठी आदि आते हैं शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा सन् 1967–68 में पहली बार औद्योगिक श्रमिको के लाभार्थ बम्बई (महाराष्ट्र) में एक पाली वेलेन्ट एडल्ट एजूकेशन सेन्टर (श्रमिक विद्यापीठ) स्थापित किया गया । इसके लाभदायक कार्यक्रमों को देखते हुए सन् 1975–76 में दिल्ली, सन् 1976 –77 में अहमदाबाद (गुजरात), सन् 1979 में जमशेदपुर (झारखण्ड) एवं कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) सन् 1979–80 में हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश), गुन्टूर (आन्ध्रप्रदेश) , बंगलौर (कर्नाटक) तथा अजमेर (राजस्थान) सन् 1980–81 में कानपुर (उ0प्र0), नागपुर (महाराष्ट) तथा इन्दौर (म0प्र0), सन् 1981–82 में सूरत (गुजरात), सन् 1982–83 में फरीदाबाद (हरियाणा) मद्रास (तमिलनाडु), राउरकेला (उड़ीसा), तथा कोटा (राजस्थान), सन् 1984–85 में लखनऊ (उ0प्र0), कांचर (असम) नरेन्द्रपुर (पश्चिम बंगाल), बम्बई (महाराष्ट्र) , जयपुर (राजस्थान), राजकोट (गुजरात) कोयम्बटूर (तमिलनाडु), त्रिवेन्द्रम (केरल), विशाखापटनम (आन्ध्रप्रदेश) तथा चण्डीगढ़, सन् 1985–86 में बड़ौदा (गुजरात),

विजयवाड़ा (आन्ध्रप्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट), जोधपुर (राजस्थान) तथा कटक (उड़ीसा) में श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना की गई । अब श्रमिक विद्यापीठों का नाम बदल दिया गया है । इन्हें अब "जन शिक्षण संस्थान" कहा जाता है । सन् 2001 तक देश में 97 जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है । इन संस्थानों के उद्देश्य श्रमिको को विविध व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षणों द्वारा सक्षम बनाना, सामान्य शिक्षण द्वारा श्रमिको के ज्ञान एवं समझ में यथासम्भव वृद्धि कराकर उनके जीवन को समृद्ध करना, औद्योगिक कौशल एवं तकनीकी ज्ञान देकर उनकी उत्पादन क्षमता को विकसित करना, कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति श्रमिको में सही दृष्टिकोण का विकास आदि है ।

मोटे तौर पर दोनो योजनायें सामान्य लक्ष्य – समूहों (नगरवासी एवं औद्योगिक श्रमिक) के लाभार्थ है, किन्तु उनके कार्यकलापों, प्रशासन एवं संगठन के ढंग, कार्यक्रम पर बल देने आदि में कुछ अन्तर है । उदाहरणार्थ – कार्यकर्ता, समाज शिक्षा संस्थान तो साक्षरता, अनुवर्ती सेवाओं, मनोरंजन कार्यक्रमों पर अधिक बल देते हैं जबकि उन शिक्षण संस्थान निरक्षर,साक्षर, कुशल,अकुशल, अर्द्ध कुशल आदि समस्त कार्यकर्ताओं के लाभार्थ विशिष्ट प्रकार के पाठयक्रमो के संचालन की व्यवस्था करते हैं

सतत् शिक्षा :

यो तो अनोपचारिक और औपचारिक विधियों से व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है परन्तु विभिन्न परिस्थितियो – पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आदि = के कारण व्यक्ति की शिक्षा का कम बहुधा टूट जाता है वह अपने व्यवसाय, उत्तदायित्व

और विभिन्न अन्य सीमाओं में रहते हुए शिक्षा का कम जारी रख सके, यही सतत शिक्षा का उद्देश्य है। सतत शिक्षा को कियान्वित करते समय निम्नलिखित दो बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिये =

1— व्यक्ति जहाँ है, वही उसके जीवन एवं शैक्षिक स्तर के साथ शिक्षा को जोड़ा जाये ।

2— शिक्षा का विषय एवं पद्धति ऐसी हो कि व्यक्ति की तत्कालिक आवश्यकताओं एवं अभिरूचियों से मेल खा सके तथा उसके जीवन में उपयोगी सिंद्ध हो सके ।

शिक्षाशास्त्रियों ने सतत शिक्षा की सफलता के लिये कुछ विधियों = प्रविधियों का संकेत भी किया है, जिनके विषय में नीचे लिखा जा रहा है =

क— पत्राचार पाठकम :

यह पाठयकम शिक्षा संस्थाओ, व्यवसायिक संगठनो, विश्व विद्यालयों आदि द्वारा संचालित किये जाते है । इनका क्षेत्र व्यापक है तथा यह बहुत उपयोगी होते हैं । यह पाठयकम प्रतिभागियो के अनुसार होते है जो उन्हें वांछित स्तर तक पहुँचाने में सहायता करते है । यह पाठयकम सुयोग्य शिक्षकों द्वारा ही संचालित किये जाते है ।

ख— महिला संक्षिप्त शिक्षा पाठयकम :

इसके माध्यम से उन महिलाओं को लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होता है जिनकी पढ़ाई किन्हीं कारणों से मान्यता — प्राप्त स्तर तक पहुँचने के पूर्व छूट जाति है यह पाठयकम जरूरतमन्द महिलाओं को मान्यता — प्राप्त स्तर तक शिक्षा

प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने में सहायता करते है ताकि वे अपने जीवन में शिल्प – शिक्षिका, दाई आदि का प्रशिक्षण प्रापत कर जीवन–यापन करने में सक्षम हो सके ।

ग– ग्रीष्मकालीन पाठयक्रम :

कार्यरत शिक्षकों के लाभ के लिये कतिपय विश्वविद्यालय ग्रीष्मकालीन पाठयक्रमो की व्यवस्था करते है, ताकि अवकाश के समय वह निर्धारित स्तर तक योग्यता प्राप्त कर लें और आगे प्रगति कर सकें ।

घ– प्रोग्राम्ड लर्निग कोर्स :

प्रोग्राम्ड लर्निग कोर्स में नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम ही शिक्षा का कार्य करता है । शिक्षार्थी वही सीखता है, जो नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम उसे सीखाता है यह शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षार्थी की आवयकताओं एवं क्षमताओं के आधार पर नियोजित किये है

च– पुस्तकालय सेवा :

सतत शिक्षा के लिये पुस्तकालय सेवा बहुत सशक्त माध्यम है इसमें अचल एवं सचल, दोनों प्रकार के पुस्तकालयों का योगदान हो सकता है । उपलब्ध साधनों , लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अचल तथा सचल पुस्तकालयों की सेवायें नियोजित की जा सकती हैं ।

5.3 समाज शिक्षा के अभियान :

राष्ट्रीय स्तर पर जब समाज शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था, तब साक्षरतोउपरान्त एवं अनुवर्ती कार्यक्रम के लिये 6 विकल्प सुझाये गये थे । 3

किसी को साक्षर बनाना सरल है किन्तु उसकी साक्षरता बनाये रखने एवं उसमें वृद्धि करते रहना कठिन है अतएव अर्जित साक्षरता को बनाये रखने एवं उसे और अधिक बढ़ाने के लिये अनुवर्ती सेवाये उपयोगी ही नहीं, वरन् अनिवार्य है । प्रौढ़ शिक्षा का कार्यकम मूल साक्षरता प्राप्ति के पश्चात समाप्त नहीं हो जाता , अपितु जीवन — पर्यन्त शिक्षा के रूप में चलता रहता है । प्राणों को पढ़ाना, लिखाना , एवं गणित सिखाना, समाज शिक्षा का एक तत्व है । जब प्रौढ़ साक्षर हो जाते है तो उनकी साक्षरता — दक्षता का सदुपयोग होना अतीव आवश्यक है । उचित एवं व्यवस्थित अनुवर्ती कार्यकम के अभाव के कारण समाज शिक्षा केन्द्रो के बहुसंख्यक शिक्षार्थी पुनः निरक्षर हो जाते है । यह जानते हुए भी कि आर्थिक संकीर्णताओं एवं उपयुक्त अनुवर्ती सामग्री की अनुपलब्धता के कारण अनुवर्ती कार्यकम की उपेक्षा होती है । नव साक्षरों की साक्षरता बनाये रखने एवं साक्षरता का जीवन में उपयेग करने तथा समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक दक्षतायें बढ़ाने के लिये अनुवर्ती कार्यकम की समुचित व्यवस्था आवश्यक है । समाज शिक्षा कार्यकम में अनुवर्ती कार्यकम की यह भूमिका है।

समाज शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत अनुवर्ती कार्यकम में निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1— पुस्तकालय की विविध सेवाओं द्वारा नव — साक्षरों के पास सुरचिपूर्ण पूर्ण साहित्य पहुॅचाते रहना ।

2— व्यावसायिक दक्षता विकसित करना एवं शैक्षिणिक योग्यतायें बढ़ाने के लिये अनुकूल कार्यक्रम आयोजित करना ।

3— क्षेत्रीय कार्यकर्ताओ ं की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने के लिये सतत शिक्षा के कार्यकम्र आयोजित करते रहना ।

अनुवर्ती कार्यक्रम एवं सतत शिक्षा निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती है :—

क— समाज शिक्षा केन्द्र के शिक्षार्थियो के लिये ।

ख— समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिये ।

समाज शिक्षा केन्द्र के शिक्षार्थियो के लिये :—

इसके अर्न्तगत नव — साक्षरों को पुनः निरक्षर होने से रोकने के लिये तथा उनकी शैक्षिक कमी को पूर्ण करने के लिये सेवायें उपलब्ध करायी जाती है । नव — साक्षरों को पुनः निरक्षर रोकने के लिये निम्नलिखित कार्य किये जा सकते है =

1— सचल पुस्तकालयों की स्थापना करना, जिनमें घंटी, साईकिल पुस्तकालय, बाजार पुस्तकालय , शिक्षा संस्थाओं एवं युवा संघो के द्वारा संचालित पुस्तकालय आदि प्रमुख है ।

2— नव — साक्षरों के लिये पुस्तक प्रर्दशनियों एवं पुस्तक मेलो का आयोजन करना

3— आवश्यकतानुसार वाचनालयों की व्यवस्था करना ।

4— भीती समाचार पत्र निकालना ।

5– रामायण, बाईकिल , कुरान आदि साहित्य वितरित करना ।

6– पढ़ने – लिखने के काम सौंपना , आदि ।

नव साक्षरों की शैक्षिक कमी को पूर्ण करने एवं उनकी पढ़ने की क्षमता में वृद्धि करने तथा निपुणता से लिखने के लिये निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा सकती है :

क– सतत शिक्षा केन्द्रों का आयोजन करना ।

ख– पत्राचार पाठयक्रम आदि स्वयं सीखने वाले पाठयक्रमों का संचालन करना ।

ग– सचल व्यावसायिक शिक्षा दलों का गठन करना, ट्रैक्टर चलाने एवं उसकी मरम्मत करने , पम्पिंग सेट चलाने व उसकी मरम्मत करने, मुर्गी पालन , गृह– व्यवस्था आदि पाठयक्रमों का आयोजन करना ।

समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिये :–

समाज शिक्षा कार्यकर्ताओ की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम हो सकते है :–

क– विविध स्तरों पर दक्षता – वृद्धि करने वाले अल्पकालीन प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।

ख– रेंडियो, टेलीविजन, स्वयं सीखने वाली शिक्षण – सामग्री द्वारा शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना । इसी संदर्भ में सन् 1979 में श्री जे0पी0 नायक की अध्यक्षता में – ''साक्षरतोपरान्त तथा अनुवर्ती कार्यक्रम '' के लिये बनी समिति ने

अपनी आख्या में 6 प्रकार के विकल्पों का सुझाव दिया था । उन विकल्पों का विवरण निम्नलिखित है :—

विकल्प 1 : ग्राम सतत् शिक्षा केन्द्र :—

यह विकल्प उन परियोजनाओं में, जहाँ पैसठ अथवा उससे कम संख्या में ग्राम हो, पर उनमें सौ समाज शिक्षा केन्द्र चल रहे हो, चलाया जा सकता है । यह विकल्प उन शिक्षार्थियों के लिये है, जो दस माह की अवधि के उपरान्त भी व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके अथवा जिन्हें अभी भी सहायता की आवश्यकता है । यह परियोजना एक सहायक परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में केन्द्र आयोजको द्वारा चलायी जायेगी ।

विकल्प — 2 : समाज शिक्षा केन्द्रो पर सतत शिक्षा :—

इस विकल्प के अनुसार समाज शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक को रूपये 10/— प्रतिमाह अधिक मानदेय देकर पुस्तकालय सेवा चलायी जायेगी ।

विकल्प : 3 सचल पुस्तकालय एवं सतत शिक्षा इकाई :—

इस विकल्प के अन्तर्गत साइकिल सचल पुस्तकालय द्वारा सतत शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा । इस परियोजना का संचालन एक सहायक परियोजना अधिकारी की देख रेख मे होगा, जिसके नियंत्रण में 7 साईकिल सचल पुस्तकालय कार्यकर्ता पुस्तको के वितरण का कार्य करेगें ।

विकल्प 4 :— वर्तमान ग्राम पुस्तकालय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समाज शिक्षा

कार्यक्रम :

यह विकल्प केवल उन पुस्तकालयों के लिये है, जो अपनी पुस्तकालय सेवा ग्रामो में ही चला रहे है, परन्तु पुस्तक वितरण सेवा को बढ़ाने के लिये उनके पास कोई अन्य प्राविधान नही है । पर ये ग्राम पुस्तकालय एक – एक सप्ताह की अवधि के कम से कम 10 व्यवहारिक दक्षता शिविर आयोजित कर सकते है, जो इस विकल्प के अन्तर्गत आते हैं ।

विकल्प 5 : आवश्यकता पर आधारित सतत शिक्षा पाठयक्रम :

इस विकल्प के अनुसार 50/– प्रतिमाह मानदेय पर अनुदेशक शिक्षार्थियो के लिये उनकी आवश्यकता पर आधारित सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करेगें । यह कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के होगें , यथा , प्रौढ़ो को पॉचवी अथवा आठवी कक्षा की परीक्षा दिलाने का दायित्व राज्य के शिक्षा विभाग का होगा । इसके लिये पाठय पुस्तकों की व्यवस्था भी की जायेगी । व्यवसायिक प्रशिक्षणें के अन्तर्गत लघु कालीन प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें इनकी औसत अवधि 30 दिन होगी । इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियो को किसी विशेष व्यवसाय में दक्षता प्रदान करना होगा , ताकि वे अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर सके । इसके अर्न्तगत व्यवसायिक , पर्यावरण अथवा पारिवारिक जीवन – सम्बन्धी कार्यक्रमों के विशेषज्ञो के लिये मानदेय का भी प्रावधान रखा गया है ।

विकल्प 6 : विद्यार्थियो के माध्यम से अनुवर्ती कार्यक्रम :

राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्यालय पर एक पुस्तकालय बनाया जायेगा । पुस्तकें अनुवर्ती कार्यक्रम के लिये शिक्षार्थियो को दी जायेगी । राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले 50 विद्यार्थी तीन घण्टे प्रति सप्ताह के हिसाब से चालीस सप्ताह कार्य करेंगें । प्रत्येक विद्यार्थी बारह परिवारों को प्रतिमाह दो बार सेवा प्रदान करेगा ।

5.4 समाज शिक्षा की संस्थाये नया कार्यकर्ता :

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन :

भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के इतिहास में पहली बार सन् 1978 में राष्ट्रीय स्तर पर देश के विकास के लिये प्रौढ़ शिक्षा के इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारम्भ किया ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कुशल संचालन हेतु शिक्षा विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के गठन के लिए आदेश निर्गत किया, ताकि प्रौढ़ शिक्षा के नियोजन , प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन में वांछित दिशा प्राप्त हो सके ।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मिशन की स्थापना के पश्चात् आशा की कि यह मिशन प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यो में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी ।

तदनुसार यह मिशन =

— भारत सरकार को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त विषयों पर परामर्श देता है ।

— सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यार्थियों एवं अन्य संगठनों के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये व्यवस्था करता है ।

— समस्त सरकारी, एवं गैर सरकारी एजेन्सियों तथा भारत सरकार व राज्य सरकारों के मध्य समन्वयन स्थापित करता है ।

— प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समय–समय पर आकलन एवं मूल्यांकन करता है ।

— प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षरता प्राप्ति के बाद लक्ष्य समूह के लिए अनुवर्ती सेवाओं की व्यवस्था करता है ।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का संगठनात्मक स्वरूप निम्नलिखित है :—

1—	मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2—	सूचना तथा प्रसारण मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
3—	श्रम एवं संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार	,,
4—	कृषि एवं सिंचाई मंत्री, भारत सरकार	,,
5—	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार	,,
6—	उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार	,,
7—	शिक्षा सचिव, भारत सरकार	

8 व 9 लोकसभा के दो सदस्य ,,

10— राज्य सभा का एक सदस्य ,,

11 से 15 विभिन्न राज्यों के पाँच शिक्षा मंत्री ,,

16— केन्द्र शासित क्षेत्रों से एक उप राज्यपाल ,,

17— अध्यक्ष ,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ,,

18— अध्यक्ष , खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ,,

19— अध्यक्ष , खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ,,

20— अध्यक्ष, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ ,,

21— अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ ,,

22 से 30 विभिन्न सरकारी एवं गैर — सरकारी स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओं के नौ प्रतिनिधि ,,

31— संयुक्त सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता तथा महानिदेशक, रा0सा0मि0 , भारत सरकार सदस्य सचिव

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मनोनीत संसद सदस्यों (लोक सभा एवं राज्य सभा) तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों की अवधि दो वर्ष की होती है, किन्तु ये सदस्य दूसरी बार के लिए भी मनोनीत किये जा सकते हैं । मिशन की बैठकें एक वर्ष में दो बार अवश्य होनी चाहिये , किन्तु आवश्यकतानुसार दो से अधिक बार भी हो सकती हैं

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण :

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया है। ताकि प्रौढ़ शिक्षा के इतने बड़े कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करके वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नियोजन, उसके संचालन, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य समन्वयन, उसके अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, अनुवर्ती सेवाओं आदि के व्यवस्थित ढंग से आयोजन के लिये सहयोग करना है। उत्तर प्रदेश में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का स्वरूप निम्नलिखित है :—

1—	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2—	शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	कार्यकारी अध्यक्ष
3—	मंत्री स्तर का नामित व्यक्ति	उपाध्यक्ष
4—	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
6—	सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	”
7—	सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	”
8—	सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार/ आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	”
9—	सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	”

10— संयुक्त सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता, „
भारत सरकार

11— विशेष सचिव, प्राम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता,
उत्तर प्रदेश सरकार „

12— शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश „

13— शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश „

14— निदेशक राज्य संसाधन केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ „

15— अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ „

16 से 18 विधानसभा के तीन सदस्य „

19 व 20 विधान परिषद के दो सदस्य „

21 से 40 विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक
शिक्षा संस्थाओं के बीस प्रतिनिधि „

41— अनौपचारिक शिक्षा निदेशक, वैकल्पिक शिक्षा एवं साक्षरता, सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश ।

राज्य साक्षरता सदस्य सचिव मिशन प्राधिकरण की बैठकें एक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होनी चाहिये ।आवश्यकता होने पर दो से अधिक बार भी हो सकती है ।

<u>जिला साक्षरता समिति</u> :

जिला साक्षरता समिति का स्मृति पत्र एवं नियमावली निम्नलिखित है, जो उत्तर प्रदेश शासन के अ0शा0प0सं0 974/15—13—92—1 (16) /92 दिनांक 8 मई, 1992 द्वारा अनुमोदित है । इसे ज्यों का त्यों ले लिया गया है ।

जिला साक्षरता समिति

का स्मृति पत्र

(मेमोरंडम ऑफ एसोसियेशन)

01. (क) समिति का नाम — जिला साक्षरता समिति

(ख) पंजीकृत कार्यालय — समिति का पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है

(ग) समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद ....

(घ) उद्देश्य

01— जनपद .... में .... वय वर्ग से निरक्षरता उन्मूलन अभियान में संलग्न सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों का समन्वय और सहयोग प्राप्त करना ।

02— साक्षरता अभियान में अन्य सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों को सहभागी बनाकर कार्यक्रम के आधार को व्यापक और सुदृढ़ करना ।

03— जनपद .... में निरक्षरता उन्मूलन अभियान को सफल बनाने में निरक्षर वर्ग एवं साक्षर वर्ग को भागीदार बनाने हेतु अभिप्रेरित करना ।

04— साक्षरता के सघन अभियान के दौरान तथा उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के चरण में साक्षरता प्रयासेां को विकास कार्यक्रमों और सामुदायिक गतिविधियों से समन्वित करना और अभियान में समुदाय की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना ।

05— साक्षरता कौशल को बनाये रखना और उसे सुदृढ़ करने हेतु उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के कार्यक्रम बनाना ।

02— **समिति के कार्य** :

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति निम्नलिखित में से कोई या सभी कार्य करेगी :—

1— निरक्षर व्यक्तियों को अभिप्रेरित करके उन्हें साक्षर बनाने हेतु स्वयं सेवकों को तैयार करेगी और साक्षरता कार्यक्रमों का नियोजन करेगी ।

2— साक्षरता कार्यक्रमों का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगी ।

3— साक्षरता अभियान के सम्बन्ध में सूचना केन्द्र की भूमिका निभायेगी ।

4— सरकारी गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों के मध्य उचित तालमेल स्थापित करेगी ।

5— साक्षरता अभियान की अवधि के बाद उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की व्यवस्था करेगी ।

6— आवश्यकतानुसार ग्राम/न्याय पंचायत/विकास खंड/तहसील स्तर पर साक्षरता समितियों/उप समितियों का गठन करेगी ।

7— कोई अन्य कार्य, जो उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक होगा, समिति करेगी ।

03— संस्था की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय

क्र0सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
01	02	03	04	05
01—	पदेन	जिलाधिकारी	सभापति	=
02—	पदेन	अध्यक्ष, जिला परिषद द्वारा नामित सदस्य	सदस्य	=
03—	पदेन	मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/ जिला विकास अधिकारी	सदस्य	=
04—	पदेन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	=
05—	पदेन	जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला अनौपचारिक शिक्षा.अधिकारी	सदस्य	=
06—	पदेन	अनुसूचित जाति/जनजाति के दो ब्लाक	सदस्य	=

		प्रमुख या वरिष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख (देवनागरी लिपि के कमानुसार)		
07—	पदेन	दो महिला ब्लांक प्रमुख या वरिष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख (देवनागरी लिपि के कमानुसार)	सदस्य	=
08—	पदेन	दो शिक्षाविद् (डीन /विभागाध्यक्ष/ प्राचार्य, महाविद्यालय और विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान में से)	सदस्य	=
09—	पदेन	स्वैच्छिक संस्था के चार सदस्य (अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति द्वारा नामित	सदस्य	=
10—	पदेन	कोषाधिकारी	कोषाध्यक्ष	=
11—	पदेन	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव	=

04— हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधिनियम इक्कीस के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है ।

हस्ताक्षर 1— 2— 3—

जिला साक्षरता समिति .... की नियमावली

1— लघु शीर्षक — यह नियमावली जिला साक्षरता समिति की नियमावली कही जायेगी ।

2— परिभाषा — इन नियमों में प्रयुक्त शब्द जब तक इनके विपरीत इंगित न किये जाए —

क— समिति का आशय है — जिला साक्षरता समिति .... ।

ख— साधारण सभा का आशय — जिला साक्षरता समिति........ की साधारण सभा ।

ग— अध्यक्ष — अध्यक्ष का आशय है — जिला साक्षरता समिति की साधारण सभा का अध्यक्ष ।

घ— सभापति — सभापति का आशय है — जिला साक्षरता समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष ।

ड— कार्यकारिणी समिति — कार्यकारिणी समिति का आशय है — जिला साक्षरता समिति की कार्यकारिणी समिति ।

च— सचिव — सचिव का आशय है — जिला साक्षरता की साधारण सभा का सचिव ।

छ— सदस्य सचिव — सदस्य सचिव का आशय है — जिला साक्षरता समिति की कार्यकारिणी का सदस्य सचिव ।

ज— कोषाध्यक्ष – कोषाध्यक्ष का आशय है – जिला साक्षरता समिति की कार्यकारिणी का कोषाध्यक्ष ।

झ— जनपद – जनपद का आशय है — जनपद ....

ट— राज्य सरकार – राज्य सरकार का आशय है – राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश ।

3— समिति का पंजीकृत कार्यालय .... में है ।

4— समिति का कार्य–क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद .... है ।

5— समिति के उद्देश्य निम्नलिखित है :—

01— जनपद .... में .... वयस्कों से निरक्षरता उन्मूलन अभियान में संलग्न सभी सरकारी और गैर सरकारी साक्षरता प्रयासों का समन्वयन और सहयोग प्राप्त करना ।

2— साक्षरता अभियान में अन्य सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों को सहभागी बनाकर कार्यक्रम के आधार को व्यापक और सुदृढ़ करना ।

3— जनपद .... में निरक्षरता उन्मूलन अभियान को सफल बनाने में निरक्षर वर्ग तथा साक्षर वर्ग को भागीदार बनने हेतु अभिप्रेरित करना ।

4— साक्षरता के सघन अभियान के दौरान तथा उत्तर साक्षरता

और सतत् शिक्षा चरण में साक्षरता प्रयासों को विकास कार्यक्रमों और सामुदायिक गतिविधियों से समन्वित करना तथा अभियान में समुदाय की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना ।

5— साक्षरता कौशल को बनाये रखने और उसे सुदृढ़ करने हेतु उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा के कार्यक्रम बनाना ।

06— समिति के तंत्र

समिति के निम्नलिखित तंत्र होंगे :—

क— साधारण सभा

ख— कार्यकारिणी समिति

07— साधारण सभा के अधिकार, शक्ति एवं दायित्व

7.1 समस्त चल, अचल एवं किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति साधारण सभा की होगी

7.2 समिति के समस्त व्यापार और गतिविधियों का क्रियान्वयन और प्रबन्ध

7.3 समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति और उन्हें सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक और समीचीन सभी कार्यो के निष्पादन की शक्ति साधारण सभा में निहित होगी और वह उन कार्यो को सम्पादित करेगी

7.4 उपर्युक्त प्रावधानों की सामान्यता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के साधारण सभा को निम्नलिखित अधिकार होंगे :

7.4.1 भूमि, भवन तथा चल व अचल सम्पत्ति को उपहार, कय, विनिमय या अन्य आम तरीके से स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार ।

7.4.2 समिति की स्थापना, विकास तथा इसके प्रबन्धन और प्रशासन हेतु विस्तृत

7.4.3 भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अथवा किसी अन्य अभिकरण से सहायता अनुदान अन्य अनुदान उपहार,दान को नकद, वस्तु, सिक्योरिटी या शुल्क के रूप में प्राप्त करना तथा एतदर्थ अनुबन्ध करना ।

7.4.4 समिति द्वारा की गई सेवाओं के बदले शुल्क निर्धारित करना और वसूल करना तथा समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक और उचित कोष की स्थापना ।

7.4.5 समिति की वार्षिक आख्या, वित्तीय विवरण तथा वित्तीय अनुदान तैयार करना ।

7.4.6 समिति के पक्ष में और समिति की ओर से अनुबन्ध करना ।

7.4.7 समिति की सम्पत्ति अथवा समिति के कार्यकलाप के प्रबन्धन के लिए आवश्यक तथा उचित सभी दस्तावेजों को तैयार करना, हस्ताक्षरित करना और कियान्वित करना ।

7.4.8 समिति के कार्यो और सम्पत्ति के समुचित प्रबन्धन हेतु सभी आवश्यक कार्यों का संपादन

7.4.9 समिति के लिए सम्परीक्षकों का चयन करना ।

7.4.10 यथावश्यक समिति के कियाकलापों के प्रबन्धन हेतु विनियमों को तैयार करना ।

7.4.11 साधारण सभा कार्यकारिणी समिति को, अध्यक्ष को या सचिव को आवश्यक समझे गये अधिकारों दायित्वों और शक्तियों को प्रतिनिधायित कर सकेगी और ऐसे कार्यो और दायित्वों को सौंप सकेगी ।

08— साधारण सभा की बैठकें :

साधारण सभा की आम बैठक प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

09 — साधारण सभा की विशेष बैठक :

साधारण सभा के अध्यक्ष किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने हेतु या अत्यन्त आवश्यक होने पर या साधारण सभा के कम से कम 10 सदस्यों की लिखित अधिपात्रता पर विषय – विशेष का उल्लेख करते हुए साधारण सभा की विशेष बैठक आहूत करेंगे ।

10— **बैठक की सूचना** :

साधारण सभा की आम बैठक की सूचना सचिव के हस्ताक्षर से बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व निर्गत की जायेगी किन्तु विशेष बैठकों के लिए सूचना विशेष बैठक के लिए निर्धारित तिथि के 7 दिन पूर्व भी निर्गत की जा सकेगी ।

11— गणपूर्ति :

साधारण सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिये अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों की संख्या साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग के बराबर होना अनिवार्य होगा, किन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक पर उसी कार्य सूची के लिए बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा

12— साधारण सभा की अध्यक्षता :

साधारण सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता, उपस्थित रहने पर, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । अध्यक्ष के उपस्थित न रहने पर सदस्यगण उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये समिति के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को चुनेगें

13— मतदान :

बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किसी मुद्दे पर मत विभिन्नता होने पर बहुमत का निर्णय मान्य होगा, किन्तु मत समान होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा ।

14— साधारण सभा का गठन :—

समिति की साधारण सभा के निम्नलिखित संदस्य होगें :—

1—	जनपद से सम्बन्धित मंडल के माननीय प्रभारी मंडलीय मंत्री	पदेन अध्यक्ष
2—	महापौर (यदि नगर महापालिका हो)	सदस्य
3—	अध्यक्ष, जिला परिषद	सदस्य
4—	अध्यक्ष (समस्त नगर महापालिका एवं नगर क्षेत्र तथा छावनी क्षेत्र)	सदस्य
5—	माननीय समस्त सांसद	सदस्य
6—	माननीय समस्त विधायकगण	सदस्य
7—	जिलाधिकारी	सदस्य
8—	जनपद के समस्त ब्लॉक प्रमुंख	सदस्य

9—	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के एक—एक प्रतिनिधि	सदस्य
10—	जनपद की प्रत्येक तहसील से कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य
11—	सभी महिला विद्यालयों एवं बालिका माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्या	सदस्य
12—	मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष	सदस्य
13—	शिक्षकों के एक प्रतिनिधि	सदस्य
14—	श्रमिक संगठनों के एक प्रतिनिधि	सदस्य
15—	औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सदस्य (अधिकतम पाँच)	सदस्य
16—	जनपद के लीड बैक के प्रतिनिधि	सदस्य
17—	सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
18—	चीफ वार्डन, नागरिक सुरक्षा	सदस्य
19—	नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक	सदस्य
20—	ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्	सदस्य
21—	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
22—	पेन्शनर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि	सदस्य
23—	भूतपूर्व सैनिको के संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

24— जनपद की स्वैच्छिक सस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य
(अधिकतम दस) — अध्यक्ष द्वारा नामित

25— मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी
(विकास)/अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/
जिला विकास अधिकारी सदस्य

15— कार्यकारिणी समिति के अधिकार, शक्ति और दायित्व :

15.1 कार्यकारिणी समिति जिला साक्षरता समिति की गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी होगी ।

15..2 समिति के कार्यो के सम्पादन हेतु कर्मियों की नियुक्ति जनपद के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में से एक निश्चित समय के लिये प्रतिनियुक्ति पर लेकर करेगी । पदों का सृजन राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार करेगी ।

15.3 समिति के कर्मियों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें अनुशासित रखेगी

15.4 साधारण सभा के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करेगी ।

15.5 समिति का वार्षिक बजट तैयार करेगी और उसे स्वीकृति हेतु विचारार्थ साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करेगी ।

15.6 राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से कार्यकारिणी समिति इस नियमावली के नियमों और विनियमों में संशोधन प्रस्तावित करेगी और उन्हें स्वीकृति हेतु साधारण सभा में प्रस्तुत करेगी

15.7 समिति के लिए साधारण सभा द्वारा आय–व्यय प्रावधानों की सीमा के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं का क्रय करेगी, जो समिति के लिए आवश्यक हो ।

15.8 समिति के आय–व्यय लेखा सम्बन्धी अभिलेखों का उचित रख–रखाव करेगी । लेखा वाउचरों पर आधारित होगा ।

15.9 साधारण सभा द्वारा नियुक्त सम्परीक्षकों द्वारा समिति के लेखा का वार्षिक सम्परीक्षण करायेगी ।

15.10 समिति के कार्यकलापों और सम्परीक्षित लेखों के सम्बन्ध में साधारण सभा के विचारार्थ वार्षिक आख्या प्रतिवर्ष तैयार करेगी ।

15.11 समिति की ओर से, आवश्यकता पड़ने पर , वाद दायर करेगी तथा समिति के ऊपर दायर किये गये वादों का प्रतिवाद करेगी ।

15.12 साधारण अभियान का नियमित आवधिक (पीरियाडिकल) अनुश्रवण करेगी तथा प्रतिभागियो (लर्नर्स) एवं कार्यक्रम का मूल्यांकन करेगी

15.13 ऐसे सभी विधियुक्त कार्यो को करेगी, जो समिति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उपयुक्त हो । इनमें यदि असाधारण आवश्यक व्यय भी सम्मिलित है, तो उन्हें बाद में साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करा लिया जाये ।

15.14 समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति उप समितियों का गठन करेगी और उन्हें उचित अधिकार और दायित्व

सौंपेगी । इन उप समितियों को समाप्त करने का अधिकार भी कार्यकारिणी को होगा ।

15.15 ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वाह करेगी, जो साधारण सभा द्वारा समय—समय पर कार्यकारिणी को प्रतिनिधायित किये जायेगें

16— कार्यकारिणी समिति की बैठक :

कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी । विशेष बैठक समापति की अनुमति से कभी भी आहूत की जा सकेगी ।

17— गणपूर्ति :

गणपूर्ति के लिये कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई संख्या के बराबर उपस्थिति आवश्यक होगी,किन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक को उसी कार्य सूची के लिये पुनः आहूत किये जाने पर गणपूर्ति का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।

18— कार्यकारिणी समिति का गठन :

01— जिलाधिकारी (पदेन) सभापति

02— अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य सदस्य

03— मुख्य विकास अधिकारी /अपर जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी सदस्य

04— मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य

05— जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक
शिक्षाधिकारी /जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी सदस्य

06— दो अनुसूचित जाति, जनजाति के ब्लाक प्रमुख/
वरिष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख
(देवनागरी लिपि के क्रमानुसार) सदस्य

07— दो शिक्षाविद् (डीन/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य सदस्य
महाविद्यालय और विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान में से)

08— स्वैच्छिक संस्था के चार सदस्य—जिला साक्षरता
समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य

09— जिला कोषाधिकारी कोषाध्यक्ष

10— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य सचिव

19— साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति की सदस्याता :

निम्नलिखित स्थितियों में साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

1— पदेन सदस्यों की स्थिति में उस पद से हटने पर ।

2— गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता की अवधि 3 वर्ष के लिये होगी, जो पुनः नामित किये जा सकेंगे ।

3— लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।

4— आपराधिक मामलों या नैतिक अद्यः पतन के कारण न्यायालय में दंडित होने पर

5— त्याग पत्र देने और उसके स्वीकृत हो जाने पर ।

20— **समिति के अधिकारियों के दायित्व,शक्ति और अधिकार** :

20.1 अध्यक्ष :

20.1.1 उपस्थित रहने पर साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करना ।

20.1.2 समिति के विकास हेतु साधारण सभा के सदस्यों के प्रयासों का समन्वयन करना ।

20.1.3 ऐसे सभी प्रकरणों पर निर्णय लेना, जिनके सम्बन्ध में यह आशा हो कि उनका अनुमोदन साधारण सभा से प्राप्त हो जायेगा और उनकी दृष्टि में ये प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हो और उनके अधिकारों के प्रयोग हेतु हों ।

20.1.4 ऐसे किसी प्रकरण पर जिस पर पक्ष और विपक्ष का मत समान हो, वहाँ अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा ।

20.1.5 आपातकालीन परिस्थिति में अल्प सूचना पर साधारण सभा की विशेष बैठक आहूत करने का निर्देश सचिव को देना ।

20.1.6 साधारण सभा की सभी बैठकों में डाले जाने वाले मतों पर निर्णय करने हेतु अध्यक्ष एकाकी और पूर्ण प्राधिकारी होगा ।

20.2 सचिव

20.2.1 अध्यक्ष के निर्देशानुसार साधारण सभी की बैठक आहूत करने हेतु सूचना निर्गत करना ।

20.1.2 साधारण सभा की बैठक का कार्य वृत्त तैयार करना तथा उसे अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त सभी सदस्यों को प्रस्तुत करना ।

20.1.3 साधारण सभा की बैठक में समिति की वार्षिक आख्या प्रस्तुत करना ।

20.1.4 कार्यकारिणी द्वारा तैयार किये गये बजट प्रस्ताव साधारण सभा में प्रस्तुत करना ।

20.3 सभापति :

20.3.1 उपस्थित रहने पर कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना ।

20.3.2 समिति के विकास हेतु कार्यकारिणी समिति तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उप समिति के सदस्यों के प्रयासों का समन्वयन् करना

20.3.3 ऐसे सभी प्रकरणों पर निर्णय लेना, जिनके सम्बन्ध में यह आशा हो कि उसका अनुमोदन कार्यकारिणी से प्राप्त कर लेगें और उनकी दृष्टि में ये प्रकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो और उनके अधिकारो की शक्तियों के प्रयोग हेतु हो । ऐसे सभी निर्णय कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायेगें ।

20.3.4 आपात कालीन स्थिति में समापति सदस्य सचिव को निर्देश देगें कि वे अल्प सूचना पर कार्यकारिणी की बैठक आहूत करें ।

20.3.5 ऐसे सभी विधियुक्त कार्यो को करना, जो समिति के लक्ष्यों की प्राप्ति के आवश्यक हो तथा जिनका साधारण सभा से अनुसमर्थन प्राप्त जाए ।

20.4 सदस्य सचिव

20.4.1 स्टाफ का प्रबन्धन करना और निर्देशन देना ।

20.4.2 सभापति के निर्देशानुसार कार्यकारिणी के दिन प्रतिदिन के दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होना ।

20.4.3 सभी देयकों को कोषाध्यक्ष को भुगतान हेतु देने के पूर्व प्रमाणित करना तथा उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित करना ।

20.4.4 कार्यकारिणी समिति की बैठकों (विशेष बैठकों सहित) को आहूत करने की सूचना निर्गत करना ।

20.4.5 कार्यकारिणी समिति की बैठकों का कार्य वृत्त तैयार करना और उन्हें प्रसारित करना ।

20.4.5 समिति की ओर से किये जाने वाले अनुबन्ध करना और समिति की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

20.4.7 वाद की स्थिति में समिति की ओर से वाद दायर करना और समिति के ऊपर दायर वादों का प्रतिवाद करना ।

20.4.8 समिति की वार्षिक आख्या तैयार करना और कार्यकारिणी से अनुमोदित कराकर साधारण सभा के सचिव. को उपलब्ध कराना ।

20.4.9 समिति के कार्यो की कार्य योजना तथा बजट तैयार करना और

कार्यकारिणी के अनुमोदन के उपरान्त साधारया सभा में प्रस्तुत करने हेतु सचिव को उपलब्ध कराना ।

20.4.10 ऐसे किसी भी दस्तावेज या कार्य–वृत्त पर हस्ताक्षर करना, जो समिति के पक्ष में या समिति की ओर से तैयार किये जाने हैं ।

20.4.11 सदस्य सचिव समिति की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा और समिति के ऊपर लागू सभी विधायी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा

20.5 कोषाध्यक्ष

20.5.1 समिति की निधियों पर पूर्ण नियंत्रण करना तथा समिति द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप वित्तीय प्रबन्ध करना ।

20.5.3 साधारण सभा द्वारा नियुक्त सम्परीक्षक से संस्था की लेखा पुस्तकों/ वाउचर का सम्परीक्षण करवाना और आख्या कार्यकारिणी के सम्मुख करना ।

5.5 जनसंख्या में साक्षर प्रौढ़ो का प्रतिशत :

चूँकि साक्षरता दर की संगणना 7 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग की जनसंख्या के लिए की गई है अतः औपचारिक शिक्षा प्रणाली के तहत इसकी तुल्य कक्षा –11 होगी । वस्तुतः एन एस एस ओ के ऑकड़ों से यह भी पता चलता है कि 7 वर्ष से कम आयु के भी कुछ बच्चे साक्षर है (एन एस एस ओ 1991) फिर भी बीच में पढ़ाई छोड़ देने के उदाहरण बहुत ज्यादा है और शिक्षार्थियों का

उपलब्धि स्तर भी बहुत कम है (एन0सी0ई0आर0टी0 1998 अ) इस कारण कक्षा 1 के विद्यार्थियों को साक्षर नहीं माना । दो राज्यों, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश में दोंनो ही आकलन एक जैसे थे और इससे पता चलता कि 1997 से 2001 के बीच यहाँ कोई प्रगति नहीं हुई जो संभव है सच न हो । दूसरी तरफ 19 राज्यों में एन एस एस ओ के 1997 के साक्षरता दर जनगणना 2001 की साक्षरता दर से ज्यादा थी और इससे एन एस ओ ओ की कम से कम राज्य स्तरीय साक्षरता दर की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता हे कुछेक छोटे राज्यों मसलने अंडमान–निकोबार, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पांडिचेरी तथा सिक्किम के संदर्भ में एन एस एस ओ साक्षरता दर, जनगणनाधारित आंकलन की तुलना में बहुत ज्यादा थी । असम में दोनों आकलनों के बीच 11 प्रतिशत का अन्तर था । केरल में भी एन एन एस ओ का आकलन साक्षरता दर 93 प्रतिशत बता रहा था जबकि जनगणना 2001 का आकलन 91 प्रतिशत ।

दूसरी तरफ कुछेक राज्य ऐसें भी हैं जहाँ जनगणना 2001 की तुलना में एन एस एस ओ का साक्षरता दर विषयक आकलन (1997) कम रहा और यह संभव है । कुछेक ऐसे राज्य है – आंध प्रदेश्न, कनार्टक, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान, इनमें से अधिकांश ने 1991 से 2001 के बीच महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है । इन सभी राज्यों में एन एस एस ओ द्वारा आकलित पुरूष और महिला विषयक साक्षरता दर जनगणनाधारित साक्षरता दर की तुलना में कम है इससे पता चलता है कि या तो साक्षरता दर का आकलन बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है

अथवा 1997 से 2001 के बीच उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मामले में दोनों ही आकलनो में समधर्मिता है परन्तु इससे यह कहने की संभावना भी पैदा होती है कि इन राज्यों में 1997 से 2001 के बीच साक्षरता की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई जो कि असंभव है ।

उपरोक्त विश्लेषण इस बात का संकेत करता है कि अखिल भारतीय स्तर पर एन एस एस ओ का आकलन ,जनगणनाधारित आकलन का समधर्मी है परन्तु राज्य स्तर की साक्षरता दर के मामले में यह बात सच नहीं है मात्र दो राज्यों में इन आकलनो के निष्कर्ष संगत बैठते है अन्यथा दूसरे राज्यों में साक्षरता दर या तो वास्तविक आकलन से बहुत ज्यादा है अथवा कम । छोटे राज्यों के मामलों में एन एस एस ओ का आकलन बिल्कुल ही तुलनीय नहीं है । एन एस एस ओ को चाहिए कि वह अपने नमूना सम्बन्धित कियाविधि का पुनरीक्षण करें ।

षष्ठ अध्याय

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन प्रविधि

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन प्रविधि

6.1 पाठ्यक्रम क्या हो ?

हमारे देश में विगत वर्षो में प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम संचालित किए गए, उनमें वांछित सफता न मिलने के का एक प्रमुख कारण यह भी है कि शिक्षार्थियो की आवश्यकाओं, अभिरुचियों एवं अपेक्षाओं के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित नहीं किए गए । उन पाठ्यक्रमों में कुछ विशेष कमियाँ थीं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित थीं–

1– परम्परागत साक्षरता, जिसमें पढ़ना, लिखना और गणित शामिल है, पर ही विशेष बल दिया जाता था ।

2– पाठ्यक्रम के विषयों में एकरूपता होती थी, जो कि अलग–अलग स्थान के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की दृष्टि से अप्रासंगिक होती थी ।

3– उनके पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनमें व्यावहारिक क्षमता बढ़ाने के लिए अनुपयुक्त होते थे ।

4– पाठ्यक्रमे विषय शिक्षार्थियों के पर्यावरण से असम्बद्ध होते थे ।

5– अन्य किसी विभागों का सक्रिय सहयोग नहीं लिया जाता था ।

शिक्षार्थियों की शिक्षण–प्रक्रिया में भी कुछ दोष होते थे । मुख्य दोष निम्नलिखित थे–

1– शिक्षण–प्रक्रिया अनुदेशक केन्द्रित होती थी ।

2– शिक्षण–प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भागीदारी की उपेक्षा होती थी ।

3– दृश्य–श्रव्य साधनों का बहुत कम उपयोग किया जाता था ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करना उपयोगी ही नहीं, वरन् आवश्यक है, क्योंकि कार्यक्रम के अन्य पक्षों– कार्यकर्ता प्रशिक्षण, शिक्षण – सामग्री निर्माण, मूल्यांकन आदि का पाठ्यक्रम से सीधा सम्बन्ध होता है–

सामान्यतः पाठ्यक्रम निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं–

01– निर्धारित पाठ्यक्रम :

यह पाठ्यक्रम किसी केन्द्रीय संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे– राज्य शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देशित प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा के लिए भले ही ठीक कहे जा सकते हों, किन्तु प्रौढ़ शिक्षा के लिए कदापि उपयुक्त नहीं हो सकते । यद्यपि अब औपचारिक शिक्षा में भी इसे अधिक उपयुक्त नहीं कहा जा रहा है।

02– रूपान्तरित पाठ्यक्रम :

यह पाठ्यक्र पूर्व निर्धारित तो होता है, किन्तु अनुदेशक को उसे शिक्षार्थियों के अनुकूल रूपान्तरित करने की छूट होती है ।

03– विकेन्द्रित पाठ्यक्रम :

यह पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओ, अभिरुचियों एवं अपेक्षाओं के आधार पर अलग–अलग विकसित किया जाता है ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विकेन्द्रित पाठ्यक्रम को ही उपयुक्त समझा गया है। विकेन्द्रित पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएँ हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम विकसित करने वाले कार्यकर्ताओं को भली–भाँति समझ लेना चाहिए । विकेन्द्रित पाठ्यक्रम में गतिशीलता और लचीलेपन पर विशेष बल दिया जाता है, ताकि शिक्षार्थी कार्यक्रम से लाभान्वित होने के लिए सक्रिय भागीदार बन सकें। शिक्षार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके पाठ्यक्रम में नदी के प्रवाह

जैसी गतिशीलता होनी चाहिए, ताकि उनमें उनकी आवश्यकताओं,उनकी अभिरुचियों, उनकी अपेक्षाओं, उनके पर्यावरण आदि की विभिन्न धाराओं का सम्यक् समावेश होता रहे ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तीनों मुख्य तत्वों को पाठ्यक्रम में इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थियों की स्थानीय विशेषताओं एवं वैयक्तिक क्षमताओं को विकसित एवं प्रदर्शित होने का समुचित अवसर प्राप्त हो सके । उनमें जितनी जागरूकता आती है, जितनी व्यावहारिक दक्षता बढ़ती है तथा साक्षरता में जो उपलब्धि होती है, पाठ्यक्रम उसी सन्दर्भ में बनाया जाना चाहिए, ताकि उस पाठ्यक्रम में उन तत्वों को देखा जा सके । अपनी समस्याओं को ढूँढ़ना, उनके कारणों पर चर्चा करना, समाधान खोजना तथा उन समाधानों को अपने जीवन के आस–पास की समस्याओं के साथ जोड़ना– यही तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, विकेन्द्रित पाठ्यक्रम ।

विकेन्द्रित पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उस शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है, जो पाठ्यक्रम के विकास में सहायक होती है । शब्दावली नीचे दी जा रही है–

समस्या :

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक आदर्श व्यक्ति तक पहुँचने की कल्पना होती है, किन्तु उसका वर्तमान कुछ और ही होता है । आदर्श और वर्तमान जीवन के बीच की बाधाओं को ही समस्या कहा जाता है ।

शिक्षार्थियों का पाठ्यक्रम विकसित करते समय इन समस्याओं को समझ लेना परम आवश्यक है, अन्यथा शिक्षार्थी की शिक्षा उसके जीवन, रुचियों और आवश्यकताओं पर निर्भर न होकर कुछ और ही हो जाएगी, जो उसके लिए बहुत सार्थक न होगी । अतएव

शिक्षार्थियों की समस्याओं का सम्यक् ज्ञान कर लेना पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए परम आवश्यक है ।

कारण :

प्रत्येक समस्या का कोई न कोई एक मूल कारण अथवा अन्य अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे– आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक आदि । हमें मुख्य कारण अथवा कारणों के मूल में जाए बिना समस्या का स्रोत या बीज नहीं मिल पाएगा और यदि बीज नष्ट न हुआ, तो समस्या सदैव बनी रहेगी ।

समाधान :

समस्या और उसके कारण कई दृष्टिकोणों से जानने चाहिए– शिक्षार्थियों की ओर से , अपनी ओर से सामाजिक मान्यता, व्यवस्था अथवा शासन की ओर से। सम्भव है कि शिक्षार्थी के मन में उसकी समस्या का कोई न कोई समाधान हो । वह समाधान उपयुक्त भी हो सकता है और अनुपयुक्त थी, किन्तु पाठ्यक्रम बनाते समय उसको जानना आवश्यक है । इसी प्रकार, शासन की ओर से भी शिक्षार्थियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु कुछ व्यवस्थाएँ एवं प्रावधान हो सकते हैं, जिनको जानना पाठ्यक्रम विकसित करने वाले के लिए आवश्यक है।

पाठ्यक्रम के विषय :

वस्तुतः समस्या के मूल कारण तथा उसके समाधान में से ही पाठ्यक्रम के विषय अथवा शैक्षिक इकाईयाँ निर्धारित होती हैं । विषय–निर्धारण से पहले पाठ्यक्रम विकसित करने वालों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि शिक्षार्थी को इस विषय से सम्बन्धित कितना ज्ञान पहले से है एवं कितना और देना उपयुक्त होगा, जिससे कि उस विषय का ज्ञान प्राप्त करके वह अच्छे समाज के निर्माण में सफलतापूर्वक भागीदारी निभा सके ।

शिक्षण विधियाँ :

कौन सा विषय किस शिक्षण—विधि से पढ़ाना अधिक उपयुक्त होगा, यह पाठ्यक्रम में ही इंगित होना चाहिए ।

सामाजिक विषयों के लिए भावनात्मक विधाएँ— कहानी, नाटक, कविताएँ आदि— अधिक उपयुक्त होती हैं तथा तकनीकी विषयों के लिए प्रदर्शन, परिभ्रमण, विषय परिचय पत्र, अवलोकन आदि का अधिक महत्व है।

वे शिक्षण विधियाँ अधिक उत्तम मानी जाती है, जिनमें शिक्षार्थी प्रक्रिया में अधिक से अधिक भाग लेते हैं ।

सामयिकता

शिक्षण—काल से पूर्व जब समस्या अधिकतम अनुभूत हो, उसी समय शिक्षण कार्यक्रम नियोजित करना प्रभावी होता है । इसी को सामयिकता कहते हैं ।

मूल्यांकन :

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य चारों तत्वों— जागरूकता, व्यावहारिकता, साक्षरता और राष्ट्रीय मूल्य— में से किस तत्व की कितनी प्राप्ति होती है, यह पाठ्यक्रम में इंगित होना चाहिए । निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है अथवा नहीं, यदि हो रही है, तो किस स्थिति तक हुई है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, आदि बातें जानना मूल्यांकन से ही सम्भव हैं ।

अनुवर्ती कार्यक्रम :

निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा व्यक्ति अथवा समाज के व्यवहार में जब तक वांछित स्थिति तक परिवर्तन न हो, तब तक शैक्षिक

इकाई के आयोजन के उपरान्त भी आवश्यक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहने चाहिए, ताकि लगाया गया श्रम, समय, शक्ति व्यर्थ न हो । यह अनुवर्ती कार्यक्रम कहलाता है।

प्रौढ़ शिक्षा में भिन्न–भिन्न शिक्षार्थियों के लिए भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रम होना चाहिए, जैसे–

1– कृषकों के लिए पाठ्यक्रम ।

2– गृहिणियों के लिए पाठ्यक्रम ।

3– भूमिहीन मजदूरों के लिए पाठ्यक्रम ।

4– औद्योगिक श्रमिकों के लिए पाठ्यक्रम ।

5– पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम ।

6– आदिवासी क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम ।

7– सरकार की अलग–अलग विकास योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम, जैसे– राष्ट्रीय रोजगार योजना ।

8– अनुसूचित जनजातियों के लिए पाठ्यक्रम ।

9– अनूसूचित जातियों के लिए पाठ्यक्रम, आदि ।

इसी प्रकार, भिन्न–भिन्न स्थानों की परिस्थितियों एवं भिन्न–भिन्न स्तरों के शिक्षार्थियों के लिए भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए ।

परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत पर्यवेक्षकों/प्रेरकों की सहायता से सर्वेक्षण द्वारा शिक्षार्थियों के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं कोएकत्रित एवं विश्लेषित करके शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए ।

सर्वेक्षण की उपयोगिता न केवल पाठ्यक्रम में है, वरन् प्रौढ़ शिक्षा की अन्य गतिविधियों के लिए भी है । पाठ्यक्रम बनाने के उपरान्त कक्षाओं के आयोजन तथा प्रतिभागियों

के बीच सह सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थान विशेष की जातियों, उनके व्यवसाय, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी के लिए भी यह सर्वेक्षण उपयोगी होता है । इतना ही नहीं, जब इन प्रतिभागियों के लिए साक्षरता एवं पूरक सामग्री का निर्माण किया जाता है, तब भी इस सर्वेक्षण से महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं ।

आगे दृष्टांत के रूप में आर्थिक समस्याओं में से 'कृषि' के क्षेत्र में 'कम पैदावार' तथा 'सामाजिक कुरीतियों' के क्षेत्र में 'दहेज' पर दो पाठ्यक्रमों का नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है—

6.2 शिक्षण विधि के सोपान :

किसी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने, वर्तमान अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने तथा दक्षताओं में विकास करने के लिए प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण से कार्यकर्ता की अंतर्निहित शक्ति विकसित होती है । उसमें नई दक्षता, नए मूल्य, नए विचार विकसित होते हैं । संक्षेप में, प्रशिक्षण के तीन उद्देश्य हैं— पहला, कार्यकर्ता को उसके कार्य के बारे में पूरी जानकारी देना, दूसरा, कार्यकर्ता में उसके विभिन्न दायित्वों के प्रति एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, एवं तीसरा, उसमें सम्प्रेषणीयता की योग्यता बढ़ाना ।

कोई भी कार्यकर्ता या तो कुछ पूर्व अनुभव लेकर कार्य करने आता है या कार्य के लिए नया होता है । अतएव जब वह किसी कार्यक्रम में कोई उत्तरदायित्व लेकर कार्य प्रारम्भ करता है, उसके लिए प्रशिक्षण नितान्त आवश्यक हो जाता है, ताकि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकने में सक्षम हो सके । कार्य प्रारम्भ करने के पहले दिए जाने वाले प्रशिक्षण को सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं । ऐसे प्रशिक्षण में विशेष बल इस बात पर दिया जाता है कि कार्यकर्ता को कार्यक्रम के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों का ज्ञान प्राप्त हो जाये,

उसमें स्वयं सीखने तथाअपने व्यक्तित्व को स्वयं विकसित करने की अभिरुचि एवं अभिवृत्ति उत्पन्न हो सके और उसमें इतनी दक्षता विकसित हो जाये कि वे अपने अनुभव एवं अन्तर्निहित योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण में प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञान एवं व्यावहारिक दक्षता का लाभ कार्यक्रम के समय लक्ष्य—समूह को दे सके ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा करने एवं कार्यक्रम का कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद दिये जाने वाले प्रशिक्षण को सेवारत प्रशिक्षण कहते हैं ।

प्रशिक्षण तभी उपयोगी और प्रामाणिक सिद्ध होता है, जबकि उस कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को अपने आप ज्ञानार्जन करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहे, साथ ही प्रशिक्षणार्थियों में स्वस्थ प्रजातान्त्रिक भावना विकसित की जा सके । पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उनमें परस्पर सम्मान की भावना जागृत हो सके ताकि वह एक—दूसरे को समझ सकें, रह सकें, साथ कार्य कर सकें ।

प्रशिक्षण की व्यवस्थाएँ :

प्रशिक्षणार्थियों की विविधता, उसके भिन्न—भिन्न उत्तरदायित्व, उपलब्ध साधन एवं प्रशिक्षण काल के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी भिन्न—भिन्न होंगे । एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विशिष्टताएँ होनी चाहिए —

1— सहभागिता :

प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने व उसका सचालन करने में प्रशिक्षक, आयोजक एवं प्रशिक्षणर्थियों में सहभागिता होना एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहचान है, जहाँ तक सम्भव हो सके, प्रत्येक प्रशिक्षाणार्थी को प्रश्क्षिण के उदे्श्यों से सम्बन्धित साहितत्य पहले से ही करा दिया जाना चाहिए । ताकि वह प्रशिक्षण प्राप्त होते ही सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधियों से अपना, तादातम्य स्थापित कर सके ।

2 विचार–विमर्श :

प्रशिक्षण के विषयों को आवश्यकतानुसार व्याख्यान अथवा भाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है । परन्तु इसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विचार–विमर्श द्वारा प्रश्नोंत्तर अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहे । जितना अधिक पारसपरिक विचार–विमर्श होगा, उतना ही अधिक सम्बन्धित विषय सुस्पश्ट एवं बहुत बौधगम्य होगा ।

3 पारस्परिक ज्ञान–प्राप्ति का साधन :

प्रतयेक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो प्रशिक्षार्थी आते हैं, वे भिन्न कार्यो एवं व्यवसायों में दक्ष तथा निपुण होते है कभी–कभी इस निपुणता एवं दखता का प्रयोग नवीन निपुणता एवं दक्षता को विकसित करने में लाभदायक सिद्ध होता है । उनको अर्जित जानकारी एवं प्राप्त ज्ञान का लाभ अन्य प्रशिक्षणार्थीयों को मिलना चाहिए । इस प्रकार प्रशिक्षार्थी में आत्म–विश्वास की भावना बढ़ेगी । इस विशिष्टता के उपयोग से उनमें एक नई अभिवृत्ति उत्पन्न होगी ।

4. अनुभवों पर आधारित :

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पारस्परिक व्यवहार ऐसा हो, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं निष्कर्ष निकालने के अवसर उपलब्ध हों, जिससे कि समस्त प्रशिक्षणार्थी अपने–अपने अनुभवों से एक–दूसरे को लाभान्वित कर सकें । अनुभवों पर आधारित ज्ञान ठोस एवं व्यावहारिक होता है एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बताने पर एक–दूसरे को प्रभावित करता है। इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों में सन्तुलन बना रहता है । इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि प्रशिक्षणार्थी अपने समूह के दूसरे सदस्यों के अनुभवों को शीघ्र स्वीकार करता है, किन्तु उसी अनुभव को यदि प्रशिक्षक बताए तो प्रशिक्षणार्थी शंकालु रह सकता है।

2 विचार–विमर्श :

प्रशिक्षण के विषयों को आवश्यकतानुसार व्याख्यान अथवा भाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है । परन्तु इसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विचार–विमर्श द्वारा प्रश्नोंत्तर अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहे । जितना अधिक पारसपरिक विचार–विमर्श होगा, उतना ही अधिक सम्बन्धित विषय सुस्पश्ट एवं बहुत बोधगम्य होगा ।

3 पारस्परिक ज्ञान–प्राप्ति का साधन :

प्रतयेक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो प्रशिक्षार्थी आते हैं, वे भिन्न कार्यो एवं व्यवसायों में दक्ष तथा निपुण होते है कभी–कभी इस निपुणता एवं दखता का प्रयोग नवीन निपुणता एवं दक्षता को विकसित करने में लाभदायक सिद्ध होता है । उनको अर्जित जानकारी एवं प्राप्त ज्ञान का लाभ अन्य प्रशिक्षणार्थीयों को मिलना चाहिए । इस प्रकार प्रशिक्षार्थी में आत्म–विश्वास की भावना बढ़ेगी । इस विशिष्टता के उपयोग से उनमें एक नई अभिवृत्ति उत्पन्न होगी ।

4. अनुभवों पर आधारित :

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पारस्परिक व्यवहार ऐसा हो, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं निष्कर्ष निकालने के अवसर उपलब्ध हों, जिससे कि समस्त प्रशिक्षणार्थी अपने–अपने अनुभवों से एक–दूसरे को लाभान्वित कर सकें । अनुभवों पर आधारित ज्ञान ठोस एवं व्यावहारिक होता है एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बताने पर एक–दूसरे को प्रभावित करता है। इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों में सन्तुलन बना रहता है । इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि प्रशिक्षणार्थी अपने समूह के दूसरे सदस्यों के अनुभवों को शीघ्र स्वीकार करता है, किन्तु उसी अनुभव को यदि प्रशिक्षक बताए तो प्रशिक्षणार्थी शंकालु रह सकता है।

'सेवा पूर्व प्रशिक्षण', का कम अवधि का होना लाभदायक है। अधिक अवधि का प्रशिक्षण आयोजित करने से अधिक उपयोगी यह होगा कि उन्हें कार्य क्षेत्र में लगा दिया जाए। कुछ काल तक कार्य करने के उपरान्त जो अनुभव प्राप्त हों, उनकी पृष्ठभूमि में 'सेवारत प्रशिक्षण' आयोजित करना अधिक तर्कसंगत है। इसमें दूसरे कार्यकर्ताओं के अनुभव एवं विचार सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त हो जाते हैं । इससे कार्यकर्ताओं में सकारात्मक एवं आत्म–विश्वासपरक धारणाएँ पुष्ट होती हैं । परम्परागत रूढ़िवादी सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के स्थान पर व्यावहारिक एवं अनुभवों से पोषित प्रशिक्षण अधिक प्रभावी होगा।

05. वास्तविक :

मानव–प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि हम सब सुविधा चाहते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुविधा के नाम पर कृत्रिम स्थिति में नहीं आयोजित किया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सके, प्रशिक्षणार्थी वास्तविक स्थिति में आयोजकों के नेतृत्व में कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकें, तभी प्रशिक्षणोपरान्त वे अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर सफलतापूर्वक कार्य कर सकने में समर्थ हो सकेंगे । प्रशिक्षण की अवधि में क्षेत्र निरीक्षण में वास्तविक स्थिति देखकर जो अनुभव हो, उसके आधार पर प्रशिक्षकों को अपने कार्यक्रम सुधारने एवं प्रभावी दर से संवलित करने का प्रयास करना चाहिए । अतः प्रभावी प्रशिक्षण, वास्तविक स्थिति के चयन, प्रशिक्षण के संसाधन, प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम, आदि सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित है।

प्रशिक्षण पद्धतियाँ :

सीखने एवं सिखाने की स्थिति में तीन प्रमुख तत्व होते हैं– सीखने वाला, सिखाने वाला तथा शिक्षण–सामग्री । इन्हीं तत्वों के पारस्परिक संयोजन से सीखों की स्थिति उत्पन्न होती है ।

सामान्यतया पूर्वानुकूलन (Conditioning) के कारण शिक्षा जगत में शिक्षक को ही केन्द्र बिन्दु मानकर शब्दों को चयन किया जाता रहा है, यथा– सिखाना वार्ता देना, पढ़ाना, आदि । यह स्थिति इसलिए चली आ रही है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने वाला अल्पायु का बालक अथवा किशोर ही होता है । बालक अथवा किशोर तो लगभग कोरे कागज के समान होता है, किन्तु प्रौढ़, जो अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति होते हैं, चाहे साक्षर न हों, चाहे अपने व्यवसाय अथवा कार्य में दक्ष न हों, परन्तु फिर भी वे कुछ अनुभव रखते हैं । अतएव प्रौढ़ों के पूर्वानुभावों आदि की जानकारी का लाभ शिक्षण विधि के चुनाव एवं प्रयोग में उठाना चाहिए ।

प्रशिक्षण काल में प्रयुक्त विधियों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थियों में जो कुछ भी ज्ञान, अभिवृति एवं दक्षता विकसित करनी है, वह उनमें सही रूप में विकसित हो जाए ।

प्रशिक्षण काल में उन विधियों का प्रयोग महत्त्वूपर्ण है, जिनकी सहायता से प्रशिक्षणार्थियों की समस्या सुलझाने तथा निर्णय लेने की विद्या सिखायी जा सके, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षणार्थियें को सहयोगी बनने के साथ ही उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। कभी–कभी समस्या को सुलझाना प्रशिक्षण की प्रक्रिया के रूप में सम्भव नहीं होता ।ऐसी दशा में किसी ऐसी कृत्रिम समस्या पर चिन्तन नहीं करना चाहिए , जो उसके जीवन सहित सम्बन्धित न हो । जो समस्यायें यथार्थ के अधिक निकट होती हैं , वह प्रभावी हो पाती है।

सामान्यतः प्रशिक्षण–पद्धतियों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है–

1– श्रुति एवं वाचित पद्धति,

2– स्व–प्रयास सीखना पद्धति,

3– क्रिया – प्रधान पद्धति

4– मिश्रित पद्धति :

पहले शीर्षक समूह के प्रशिक्षणार्थियों का परस्पर मिलकर सीखना, दूसरे में प्रशिक्षणार्थियों का व्यक्तिगत सीखना, तीसरे में पुनः समूह के प्रशिक्षणार्थियों को परस्पर मिलकर सीखना तथा चौथे में विभिन्न पद्धतियों का मिश्रित प्रयोग रखा गया है।

1– श्रुति एवं वाचित पद्धति –

इसमें जो विधियाँ आती हैं उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं :–

(क) वार्ता :

किसी विषय से सम्बन्धित पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए वार्ता एक विधि है । इसके पश्चात अन्य विधियों से इसकी पृष्ठभूमि को सजाया–सवांरा जाता है। जीवन में पूर्व अर्जित समझ का सही उपयोग करके तैयार की गई वार्ता उत्साह पूर्वक हो सकती है । यह शिक्षण की पुरानी विधि है, जिसकी कमियों से सभी परिचित हैं । प्राणों के प्रशिक्षण में सहभागिता पर बल देना होता है, अतएव इस विधि का कम से कम उपयोग करना चाहिए ।

(ख) सिम्पोजियम :

इस विधि के अन्तर्गत किसी एक विषय के विभिन्न पक्षों पर एक–दूसरे के पूरक के रूप में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षणार्थियें के समक्ष वार्ता के रूप में विचार प्रस्तुत किये जाते है । इससे प्रशिक्षणार्थी को एक स्पष्ट रूपरेखा प्राप्त हो जाती है ।

(ग) पैनल डिस्कशन :

इस विधि के अन्तर्गत विषय की सम्यक् जानकारी के लिए विशेषज्ञों का दल अपने–अपने विचार प्रशिक्षणार्थियों के सम्मुख आपसी चर्चा के रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को विषय–विशेष से सम्बन्धित विभिन्न विचारों की जानकारी मिल जाये । इस

विधि के उपयोग में इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी सक्रिय सहभागी बन सके ।

(घ) पूर्ण कहानी :

इसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को उद्देश्यपूर्ण कहानी सुनाई जाती है, तदनन्तर उनके विचारों को आमंत्रित किया है। ये विचार उनके पूर्व अनुभवों एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार भिन्न--भिन्न होते है। इन विचारों का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विश्लेषण किया जाता है तथा उसी चर्चा के आधार पर समूह अपना एक निश्चित दृष्टिकोण बनाता हैं

(ङ) अपूर्ण कहानी :

इसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को सामाजिक समस्याओं यथा. दहेज विधवा विवाह बाल विवाह आदि से ,सम्बन्धित भाव विधान अपूर्ण कहानी सुनाई जाती है कहानी पूर्ण करने के लिए विभिन्न विकल्प हो सकते है प्रशिक्षणार्थी थोडे समय में शेष कहानी को अलग अलग पूर्ण करते हैं और लिखी गई कहानी का अंश सबको सुनाते हैं पूर्ण कहानी के लिखित अंश सबको सुनाते हैं। पूर्ण कहानी के लिखित अंश में निहित भावना भाग्यवाद कर्मवाद आदि का विश्लेषण किया जाता हैं। जिससे प्रशिक्षणार्थियों की नजर में स्वनिर्णय के आधार पर वांछित परिवर्तन आता हैं।

(च) ब्रेन स्टार्मिग :

औसबर्न दारा उल्लिख्ति इस विधि में नए विचारों को प्रतिपादित करने की प्रेरणा दी जाती हैं। इसके अप्तर्गत किसी समस्या के समाधान हेतु प्रशिक्षणार्थियों के सभी विचारों को नोट कर लिया जाता हैं । नोट किए हुए विचारो का बाद में सामुहिक रूप से विश्लेषण किया जाता हैं तथा आवश्यकतानुसार सही निर्णय लिए जाते हैं।

(छ) बज सेशन :

किसी विशेष समस्या पर प्रेशिक्षणार्थियों के विचार को प्राप्त करने के लिए उन्हें खुले सत्र में समस्या बता दी जाती हैं। फिर उन्हें छोटी .छोटी टोलियों में विभक्त करके लगभग चार पॉच मिनटमें समस्या के निदान हेतु उसके विभिन्न पक्षों को विचार बिन्दुओं के रूप में रखने को कहा जाता है, जिन पर फिर खुले सत्र में चर्चा की जाती है तथा उपयोगी विचारों को समस्या समस्या समाधान के लिए चुना जाता हैं।

(ज) क्विज सेशन :

किसी एक विषय पर प्रशिक्षणार्थियों को विविध प्रश्न दे दिए जाते हैं फिर प्रशिक्षणार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभक्त कर दिया जाता है। वे छोटे.छोटे समूह चार पॉच मिनट की अल्पावधि में उन प्रश्नों से सम्बन्धित लिखित विचार– बिन्दू प्रस्तुत करते हैं। इन प्रस्तुत विचार बिन्दुओं पर खुले सत्र में चर्चा होती हैं। लाभप्रद विचारों का प्रयोग करने के लिए चयन कर लिया जाता हैं।

(झ) चर्चा :

वार्ता या प्रश्नोत्तर तथा चर्चा में अन्तर है। द्विपक्षीय होती हैं जबकि वार्ता एकपक्षीय प्रश्नोत्तर में भी अधिक भाग उत्तरदाता प्रशिक्षक यथासम्भव कम बोलता है। प्रशिक्षणार्थियों को अधिक से अधिक बोलने के लिए अनुंप्रेरित किया जाता है। इसके लिए समस्या से सम्बन्धित पोस्टरों . तस्वीर आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। सजीव चर्चा के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को वही आदर दे जो वह प्रशिक्षणार्थियों समूह से अपने लिए अपेक्षा करता हैं । इस तरह की स्थिति में प्रशिक्षक व्याख्याता कम व प्रेरक संचालक तथा चर्चा को संतुलित करने वाला अधिक हो जाता है।

02– स्व–प्रयास सीखना पद्धति :

सीखने के कई पक्ष होते हैं जिनमें प्रशिक्षणार्थी का व्यक्तित्व एवं निजी प्रयास आवश्यक होता है । व्यक्तिगत प्रयास से किसी प्रकार की लिखित सामग्री पढ़ने पर सरलता से समझ में आ सकती है । प्रशिक्षणार्थी स्वयं पढ़े गये विषय से चिन्तन एवं मनन करें तथा उसके आधार पर सीखता रहे ।क्षेत्रीय कार्य एवं अवलोकन से व्यक्तिगत प्रयास द्वारा सीखा जा सकता है । इसके अन्तर्गत निम्नलिखित विधियाँ प्रमुख हैं –

(क) स्वाध्याय :

वांछित विषय से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन द्वारा विषय को स्वयं सीखा जा सकता है।

(ख) प्रयोग :

प्रशिक्षणार्थी प्रयोग–विधि द्वारा स्वयं कार्य करके सीखता है । इस विधि में वह अवलोकन एवं अध्ययन दोनों माध्यमों से सीखता है।

(ग) प्रोग्राम्ड लर्निंग :

यह विधि प्रसिद्ध शिक्षाविद् स्किनर द्वारा प्रतिपादित है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान, अभिवृत्ति एवं अनुभव का एक स्तर मान लिया जाता है अथवा यों कहें कि प्रशिक्षणार्थियों का एक स्तर का होना अधिक वयावहारिक होता है। बौद्धिक आधार पर प्रशिक्षणार्थी से प्रश्नावली के माध्यम से क्रमशः प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सही उत्तर एक तरफ हाशिए पर लिखा होता है। किन्तु इस उत्तर का प्रयोग प्रशिक्षणार्थी सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रेरणा द्वारा सीखने के लिए अपनी बुद्धि द्वारा दिए गए उत्तर के मिलान के लिए ही करता है। इस प्रकार प्रशिक्षणार्थी क्रमशः एक स्थिति से दूसरी स्थिति को ओर बढ़ाता जाता है।

(घ) पत्राचार शिक्षण :

इस विधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर इकाईयाँ तैयार की जाती है। इन इकाईयों के आधार पर लेख अथवा लघु पुस्तिकाएँ की जाती है। यह शिक्षण सामग्री प्रशिक्षणार्थी को उसके निवास स्थान पर डाक द्वारा भेज दी जाती है।

प्रशिक्षणार्थी इसको पढ़कर इसके अन्त में दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं या लघु पुस्तिका में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर लिखकर डाक द्वारा प्रशिक्षक को भेजता है। प्रशिक्षक इनको जाँचकर फिर प्रशिक्षणार्थी को सकारात्मक अथवा नकारात्मक पुनर्निवेशन देता है ।प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार इस विधि से लाभ उठाने हुए अपने क्षेत्रीय अनुभव को आगे अध्ययन से जोड़ सकता है। यह भी सम्भव हो सकता है कि प्रशिक्षणार्थी समय–समय पर परस्पर मिलते–जुलते रहें, ताकि चर्चा करके वे अपनी–अपनी व्यक्तिगत समस्याएँ सुलझाकर प्रगति करते रहें ।

03– क्रिय–प्रधान पद्धति =

इसके अन्तर्गत आने वाली विधियों में प्रशिक्षणार्थियों को टोलियों में अथवा व्यक्तिगत कार्य में लगातार सक्रिय सहभागी बनाया जाता है ।ऐसा करने से प्रशिक्षणार्थियों के अनुभवों का उपयोग उन्हीं को प्रशिक्षित एवं शिक्षित करने में होता है। इन विधियों के प्रयोग में प्रशिक्षणार्थियों तथा प्रशिक्षकों को नई–नई बातें करनी पड़ती हैं, नई–नई योजनाएँ बनानी पड़ती हैं फिर वे मिल–जुलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं ।क्रिया–प्रधान पद्धति के अन्तर्ग निम्नलिखित विधियाँ प्रमुख हैं–

(क) प्रदर्शन–

किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रदर्शन उपयोगी विधि है। इसमें ऐसे संकेत मिल जाते हैं, जिनको समझना शब्दों की अपेक्षा अधिक सरल होता है ।इस विधि में

छोटे–छोटे दलों में कार्य एव व्यक्तिगत परियोजनाएँ, चर्चा आदि सम्मिलित की जाती है, ताकि प्रशिक्षणार्थी सक्रिय सहभागी बने रहें । इस विधि में दृश्य–श्रव्य साधनों का प्रयोग करने से प्रदर्शन बहुत प्रभावी हो जाते हैं ।

(ख) क्षेत्र परिभ्रमण–

शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्षेत्र परिभ्रमण आयोजित किया जाता है। इसकी सफलता के लिए क्षेत्र परिभ्रमण से पूर्व उसके उद्देश्यों के आधार पर अवलोक–पत्र तैयार कर लिया जाता है, ताकि प्रशिक्षणार्थी उसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर सकें । क्षेत्र परिभ्रमण के समय प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के साथ भी रह सकता है, अथवा प्रशिक्षणार्थी क्षेत्र में टोलियो में विभक्त होकर अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। क्षेत्र परिभ्रमण के तैयार प्रतिवेदन पर पुनः चर्चा होती है तथा प्रशिक्षणार्थियों के साथ बातचीत करके आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं ।

(ग) सर्वेक्षण–

क्षेत्रीय स्थितिका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है । सर्वेक्षण के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त साधनों एवं समय की आवश्यकता होती है। इसी को सरल बनाने के लिए द्रुत सर्वेक्षण की विधि प्रायः अपनानी पड़ती है। द्रुत सर्वेक्षण में प्रशिक्षणार्थी प्रत्येक परिवार अथवा व्यक्ति के पास नहीं आता, बल्कि टोले अथवा मोहल्ले के जागरूक व्यक्तियों से वांछित एकत्र कर लेता है। इन्हीं आकड़ों के आधार पर प्राप्त जानकारी से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले क्षेत्र–कार्य में सुविधा होती है ।

(घ) केस स्टडी–

इसके अन्तर्गत किसी एक व्यक्ति अथवा स्थिति का गहराई के साथ अध्ययन

किया जाता है । उससे सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसी के आधार पर पूर्ण समुदाय अथवा समग्र स्थिति को समझा जाता है।

(ङ) इन वास्केट टेक्नीक–

जब प्रशिक्षण अवधि में समय, साधनों के अभाव अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक स्थिति का अनुभव नहीं कराया जा सकता है, तो प्रशिक्षण आयोजक वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित मूल सामग्री को एक केस का रूप देकर प्रशिक्षणार्थियों को उस सामग्री की सहायता से आगामी चरणों में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव देने की स्थिति तैयार करता है। प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण काल में ही उस सामग्री द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणोपरान्त अपने–अपने कार्य क्षेत्र भेजकर वहाँ की वास्तविक स्थिति को अध्ययन कर वांछित दिशा में कार्य करने लगते हैं ।

(च) सिमुलेशन गेम्स–

नवीन परिस्थितियों में प्रशिक्षणार्थियों में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने, उनकी अभिवृत्ति बदलने एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षक द्वारा कल्पित खेल तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के सिमुलेशन गेम्स प्रशिक्षणार्थियों को कार्य में लिप्त करने में बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं । इससे प्रशिक्षणार्थी सुखद अनुभव के साथ मनोरंजन करते हुए सीखते हैं।

(छ) रोल प्ले –

इसके अन्तर्गत प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को किसी प्रक्रिया यथा सामाजिक अन्याय, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का आयोजन आदि, से सम्बन्धित व्यक्तियों का अभिनय कराते हुए वास्तविक स्थिति का अनुभव कराते हैं तथा फिर उस पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं इस प्रक्रिया में संलग्न भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को अनुभव होने वाली समस्याओं का रोल प्ले द्वारा

प्रशिक्षणार्थियों को अनुभव कराते हैं । उस अनुभव के आधार पर समाधान सोचते हैं तथा अपने आचरण में परिवर्तन करते हैं ।

(ज) शैक्षिक खेल–

खेल द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति कार्य करने के ढंग तथा मूल्यों में परिवर्तन लाया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों से पूछा जाता है कि क्या वे अपने व्यावहारिक जगत में इस खेल को प्रतिबिम्बत देखते हैं? यदि हाँ, तो किन दशाओं में ?

04– मिश्रित पद्धति :

विशेष उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए एक से अधिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है, जो सीखने में लाभदायक होता है । मिश्रित पद्धति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है–

(क) द्वशय–श्रव्य साधन –

द्वशय–श्रव्य साधन वे उपकरण हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति एवं समूह के बीच विचारों का संचार होता है। ये साधन विषय की अवधारणा स्पष्ट करने में बड़ी सहायता करते हैं। उपयोग की दृष्टि से दृश्य–श्रव्य साधनों को तीन वर्गो में विभाजित कर सकते हैं–(अ) प्राक्षेपित साधन, जैसे–चलचित्र, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ओवर हेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन आदि, जो विद्युत अथवा वैटरी से परिचालित होते हैं । (ब) अप्राक्षेपित साधन, जैसे–श्यामपट्ट, मानचित्र, ग्लोब, मॉडल, फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुंक, बुलेटिन बोर्ड, खद्दरग्राफ, कठपुतली नाटक, भीति समाचार पत्र आदि । (स) श्रव्य साधन, जेसे– ग्रामोफोन रिकॉर्ड, टेप रिकार्डर, रेडियो आदि।

(ख) सेमिनार एवं वर्कशॉप=

किसी विशेष विषय पर विचारों को स्पष्ट करने के लिए प्रतिवेदन अथवा संस्तुतियों

प्रस्तुत करने हेतु सेमिनार आयोजित किया जाता है, जबकि वर्कशॉप क्षेत्र में अनुभूत समस्या के लिए कोई सामग्री अथवा यंत्र तैयार करने के लिए आयोजित किया जाता है। यही दोनों विधियों के लक्ष्य में अन्तर होता है। इन विधियों में पहले किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा एक कार्य–पत्रक तैयार किया जाता है । कार्य–पत्रक के आधार पर खुले सत्र में प्रशिक्षणार्थी समस्या के समस्त पक्षों पर चर्चा करते हैं और फिर आवश्यकतानुसार छोटी–छोटी टोलियों में विभाजित हो जाते हैं। टोलियाँ अपने द्वारा तैयार प्रतिवेदन व संस्तुतियाँ, सामग्री अथवा यंत्र के रूप में खुले सत्र में प्रस्तुत करती हैं । फिर उस पर खुले सत्र में चर्चा होती है और अन्त में समस्या के समाधान के लिए समस्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रतिवेदन,सामग्री अथवा यंत्र को अन्तिम रूप दिया जाता है। वर्कशॉप में विषय विशेष पर सामग्री तैयार करने के लिए सैद्धान्तिक पक्ष पर थोड़ी चर्चा अवश्य होती है, परन्तु विशेष बल व्यावहारिक पक्ष पर दिया जाता है ।

(ग) आवासीय प्रशिक्षण–

आजकल आवासीय प्रशिक्षणों पर अधिक बल दिया जा रहा है। कभी–कभी आवासीय प्रशिक्षण आवश्यक हो जाते हैं, ताकि प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्तियों एवं मूल्यों को समझने तथा उनमें परिवर्तन करने में सुविधा हो सके । इनमें अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है इसमें प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी समान रूप से भागीदार बनते हैं। वे अपने रहन–सहन में सहभागिता एवं सम्मिलित उत्तरदायित्व व्यवहार में लाते हैं ।

(घ) प्रोजेक्ट विधि–

किल पैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि में वे उद्देश्यपूर्ण कार्य आते हैं, जो पूर्ण संलग्नता एवं सहृदयता से सामाजिक पर्यावरण में किए जाते हैं। अनुभव पर आधारित एवं प्रबल इच्छा से प्रेरित योजनाबद्ध प्रयोग ही प्रोजेक्ट विधि का आधार है। उद्देश्यपूर्ण होना, क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता एवं स्वतंत्रता इसकी विशिष्टताएँ है। इस विधि में

कार्यकर्ता स्थानीय व्यक्तियों से विषय एवं समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करते हैं तथा उन्हें पाठ्य सामग्री के रूप में विकसित करते हैं । किसी भी परियोजना के तीनों सोपानों नियोजन, संचालन एवं उपलब्धि में प्रशिक्षणार्थियों का सक्रिय रूप से सहभागी होना आवश्यक है।

(ङ) फील्ड ऑपरेशनल सेमिनार :

इनमें प्रशिक्षणार्थियों को नियंत्रित परिस्थितियों में क्षेत्रीय परियोजनाओं में लगाया जाता है । इसमें वर्कशॉप, सेमिनार आदि विधियाँ साथ–साथ प्रयोग में लाई जाती है, जिनसे प्राप्त अनुभवों का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसमें क्षेत्रीय अनुभवों को सेमिनार विधि से सम्बन्धित किया जाता हैं।

वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन विधियों का मिश्रित रूप में प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है। देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

6.3 शिक्षण मूल्यांकन :

प्रौढ़ शिक्षा एक देशव्यापी वृहद् कार्यक्रम है। यह विकास कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है और इस काल कार्यक्रम पर व्यय किया जाने वाला धन, व्यय नहीं, अपितु पूँजी–निवेश समझा जा रहा है। यूँ तो मूल्यांकन सभी प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध रहा है, किन्तु प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में मूल्यांकन की महत्ता बहुत बढ़ गई है । मूल्यांकन सभी विकास पूरक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बना हुआ है, और चूँकि प्रौढ़ शिक्षा एक विकासशील कार्यक्रम है, अतएव मूल्यांकन इस कार्यक्रम का भी एक अपरिहार्य अंग हो गया है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है, मूल्यांकन कौन करता है, मूल्यांकन कब किया जाना

चाहिए, आदि कतिपय ऐसे प्रश्न है, जिनके उत्तर खोजने के प्रयास से ही इस प्रक्रिया को समझना सरल एवं सम्भव हो सकेगा ।

मूल्यांकन एक ऐसी अन्तर्निहित और सतत् प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी कार्यक्रम के परिणामों का मूल्य उसके उद्‌देश्यों के सन्दर्भ में आँका जाता है। मूल्यांकन, चल रहे कार्यक्रम का मात्र विश्लेषणात्मक अध्ययन ही नहीं है, अपितु उस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने तथा आगामी कार्यक्रम का सम्यक् नियोजन करने में भी दिग्दर्शक का कार्य करता है। मूल्यांकन उन विभिन्न दशाओं तथा स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, जो कि कार्यक्रम चलाने के पूर्व, कार्यक्रम चलाने की अवधि में तथा कार्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात् भी विद्यमान रहते हैं ।

किसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समय आने वाली कठिनाईयों की जानकारी करने, ज्ञात की गई कठिनाईयों एवं समस्याओं को दूर करने तथा कार्यक्रम को अधिक सबल एवं प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया, कार्यक्रम के संचालक को एक ठोस एवं विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। जो मूल्यांकन कार्यक्रम के संचालक द्वारा स्वयं अपने माध्यम से तथा अपनी व्यवस्था से किया जाता है, उसे आन्तरिक मूल्यांकन कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक पर्यवेक्षक/प्रेरक तीस प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करता है । यदि वह अपने पर्यवेक्षण में चल रहे तीस प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का मूल्यांकन अनुदेशकों के सहयोग से स्वयं करता है, तो वह आन्तरिक मूल्यांकन कहा जाएगा । इसके विपरीत यदि वह पर्यवेक्षक/प्रेरक अपनी परियोजना के दूसरे प्रक्षेत्र के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का मूल्यांकन करता है और दूसरे प्रक्षेत्र का पर्यवेक्षक/प्रेरक उसके केन्द्रों का मूल्यांकन करता है, तो उन प्रक्षेत्रों का पर्यवेक्षक/प्रेरक के स्तर पर बाह्यय मूल्यांकन माना जाएगा । परन्तु परियोजना–स्तर (जिसमें तीन सौ केन्द्र चल रहे हों और दस पर्यवेक्षक/सैंतीस प्रेरक कार्यरत

हों) इस प्रकार किया गया बाह्य मूल्यांकन भी आन्तरिक मूल्यांकन समझा जाएगा । इसी प्रकार, एक जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी दूसरे जिले के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का मूल्यांकन करें, तो जिला स्तर पर वह बाह्य मूल्यांकन हुआ, किन्तु राज्य स्तर पर यह मूल्यांकन भी आन्तरिक मूल्यांकन ही समझा जाएगा । आन्तरिक मूल्यांकन में विषयनिष्ठ होने की संभावना रहती है। फिर भी आन्तरिक एवं बाह्यय दोनों मूल्यांकनों का अपने–अपने स्थान पर महत्व है । दोनों का सम्यक् प्रयोग वांछनीय है।

जिस मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा ऐसी सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं, जिनका उपयेाग कार्यक्रम के नियोजन एवं प्रभावी संचालन के लिए तथा उसके विकास में किया जाता है, उसे रचनात्मक मूल्याकन कहते हैं । जिस मूल्यांकन से कार्यक्रम के अन्त में सूचनाएँ प्राप्त होती हैं और जिसके आधार पर उच्च–स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, उसे आकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं । इस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग केवल भविष्य के नियोजन के लिए किया जा सकता है । इससे उस कार्यक्रम को लाभ नहीं मिलता, जिसका आकलनात्मक मूल्यांकन किया गया है, क्योंकि वह कार्यक्रम समाप्त हो चुका होता है।

जब कार्यक्रम के संचालक तथा प्रतिभागी मिलकर मूल्यांकन करते हैं, तो वह सहभागी मूल्यांकन होता है । वे अपने कार्यक्रमों तथा प्रतिभागियों के मूल्यांकन में स्वयं भागीदार रहते हैं, जबकि असहभागी मूल्यांकनकर्ता बाह्य होता है, जो तटस्थ रहकर कार्यक्रम तथा प्रतिभागियों का मूल्यांकन करता है ।

मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए :

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मूल्यांकन एक सतत् चलने वाली तथा अन्तर्निहित प्रक्रिया है, जो नियोजन के पूर्व से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति के बाद तक चलती रहती है।

सम्यक् मूल्यांकन में कार्यक्रम के कई पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं—

1— सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, पर्यावरण, जो कार्यक्रम को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं ।

2— कार्यक्रम में लगाए गए मानवीय एवं भौतिक साधन एवं सहयोग ।

3— शिक्षण की प्रक्रियाएँ, कार्यकर्ताओं की भूमिका, पठन—पाठन सामग्री आदि ।

4— सारी प्रक्रियाओं एवं प्रयासों का परिणाम, जो कार्यक्रम समाप्त होते ही देखा जा सकता है।

5— कार्यक्रम के दूरगामी प्रभाव, संचालित किए जा चुके कार्यक्रमों के प्रभावों की जानकारी एवं उनका विश्लेषण कुछ समयान्तर से किया जाता है। इनमे कार्यक्रम के प्रतिभागियों का व्यवहार एवं उनकी मनोवृत्ति आदि का अध्ययन होता है।

मूल्यांकन का उद्देश्य :

मूल्यांकन का लक्ष्य कार्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उस कार्यक्रम के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभावों का पारिभाषित मापदण्डों के आधार पर अध्ययन करना होता है । मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1— कार्यक्रम वांछित गति से एवं निर्धारित दिशा में चल रहा है अथवा नहीं, इस बात की सम्यक् जानकारी करना मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। यदि नहीं तो उन कारणों एवं दशाओं का पता लगाना तथा इस कार्यक्रम को वांछित दिशा में कैसे ले जाया जाए, इसके उपाय सुझाना भी मूल्यांकन के इसी उद्देश्य के अन्तर्गत आता है।

2— कार्यक्रम के विषय में वस्तुपरक जानकारी देना, जिससे नियोजकों को निर्णय लेने में सहायता मिले ।

3— कार्यक्रम जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित हो रहा है, अथवा किया गया था, उनकी पूर्ति कहाँ तक हो पा रही है, इस बात की जानकारी देना भी मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाने का एक उद्देश्य है।

4— कार्यक्रम के दूरगामी प्रभावो को देखना—यह उस स्थिति की ओर संकेत करता है, जबकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ समयान्तर पर मूल्यांकन किया जाता है।

मूल्यांकन के चरण :

यों तो मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है, किन्तु मापन के लिए कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य चरण उपयोगी होंगे —

नियोजन के पूर्व :

कार्यक्रम के नियोजन के पूर्व ही मूल्यांकन की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। नियोजन कैसे किया जाएगा, नियोजन के क्या आधार होंगे, किन तथ्यों का होना आवश्यक है, नियोजन में कौन—कौन लोग सम्मिलित होंगे, नियोजन की व्यवस्था कौन करेगा, आदि बातें इसमें आती हैं । नियोजन किस उद्देश्य से, किसके लिए किया जाएगा, आदि बातों की जानकारी नियोजन की प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक है।

कार्यान्वयन के पूर्व :

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पूर्व मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ हो जाता है । उदाहरण के लिए, लक्ष्य—समूह का निर्धारण, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, आदि बातें इस चरण के मूल्यांकन में आती हैं । इस समय के मूल्यांकन में वे मापदण्ड निश्चित किए जाते हैं अथवा वे स्तर निर्धारित किए जाते हैं, जिनका उपयोग आकलनात्मक मूल्यांकन में इस बात के लिए किया जाता है कि कार्यक्रम द्वारा की गई प्रगति को मापा जा सके।

कार्यान्वयन की अवधि में :

जब कार्यक्रम संचालित हो रहा होता है, उसी अवधि में समय–समय पर जो मूल्यांकन किए जाते हैं, उन्हें कार्यान्वयन की अवधि वाले मूल्यांकन कहते हैं। इसमें जो पुनर्निवेशन प्राप्त होता है, उससे कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है।

कार्यक्रम पूर्ण होने पर :

किसी कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर जो मूल्यांकन किया जाता है, उसे आकलनात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं । इससे कार्यक्रम के त्वरित परिणामों की जानकारी हो जाती है ।

कार्यक्रम की समाप्ति के कुछ दिनों बाद :

कार्यक्रम पूर्ण हो जाने के कुछ समय बाद कार्यक्रम के दूरगामी प्रभावों को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, जिसके द्वारा भूतकाल में चलाए गए कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हुई आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तनों एवं मानव–व्यवहार में हुए परिवर्तनों, परिष्कारों का अध्ययन किया जाता है।

मूल्यांकन की विधियाँ :

मुख्य रूप से मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियाँ हैं–

केस स्टडी : इस विधि से किसी एक इकाई का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है।

सर्वेक्षण : इस विधि द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, लक्ष्य समूहों, परिस्थितियों, दशाओं आदि का अध्ययन किया जाता है।

क्षेत्रीय प्रयोग : इस विधि में कार्यक्रम को ही प्रयोगशाला समझकर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन :

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन निम्नलिखित दो स्तरों पर किया जा सकता है–

1– प्रतिभागी के स्तर पर :

प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनमें आए हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना है, जो निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है–

(क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की उपस्थिति, भागीदारी एवं नियमितता की जानकारी करके ।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के तीनों तत्वों– साक्षरता, जागरूकता एवं व्यावहारिकता की स्थिति का अध्ययन करके । जहाँ तक साक्षरता की बात है, उसमें पढ़ने–लिखने एवं गणित का मानक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित एवं स्वीकृत है। प्रतिभागियों में आई जागरूकता एवं व्यावहारिकता का अध्ययन प्रतिभागियों के वास्तविक जीवन के अध्ययन, अवलोकन एवं अनौपचारिक साक्षात्कार द्वारा किया जा सकता है । व्यवहार में आए हुए परिवर्तनों के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि तत्सम्बन्धी सूचकों का निर्धारण कर लें, जो परितर्वन विशेष का संकेत देते हैं। उदाहरणार्थ– एक किसान के कृषि–कार्य में आए परिवर्तनों का अध्ययन निम्नलिखित सूचकों से किया जा सकता है–

– मृदा परीक्षण की स्थिति ।
– नवीन कृषि यंत्रों का प्रयोग ।
– समयानुसार सिंचाई की व्यवस्था ।
– मात्रानुसार उर्बरकों का प्रयोग ।
– कीटनाशकों का उपयोग ।
– भण्डारण की व्यवस्था ।
– बिक्री

उक्त सूचकों को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन करना होगा कि प्रतिभागी की जानकारी, अभिव्यक्ति और वास्तविक व्यवहार में पूर्व स्थिति की अपेक्षा कितना परिवर्तन आया है ? यदि कुछ भी परितर्वन नहीं आया, तो उसके क्या कारण थे, आदि ?

2– परियोजना स्तर पर :

इस स्तर पर परियोजना के विभिन्न पक्षों, यथा– क्षेत्र एवं स्रोत का ज्ञान, शिक्षण सामग्री का निर्माण, विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, क्षेत्र में कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, अनुवर्ती कार्यमों आदि का अध्ययन करना होता है । इन क्षेत्रों में आवश्यक सुधार तथा संशोधन के लिए मूल्यांकन उपयोगी ही नहीं, वरन् आवश्यक है ।

इस प्रकार, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए मूल्यांकन एक अनिवार्य एवं अपरिहार्य प्रक्रिया है।

—00—

सप्तम अध्याय

योजना मे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उसकी वित्त व्यवस्था

अध्याय–सप्तम्

योजनाओं में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उसकी वित्त व्यवस्था :

7.1 पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा का महत्व :

1951 से देश में विकास का कार्य योजनाबद्ध शुरू हुआ । प्रथम पंचवर्षीय योजना में 30 प्रतिशत निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रौढ़ शिक्षा हेतु 6 करोड़ रूपये की धनराशि निश्चित की गई । इस योजना में, प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए 1952 में 'सामुदायिक विकासखण्डों' की स्थापना की गई और प्रत्येक विकासखण्ड में दो समाज शिक्षा अधिकारी (एक पुरूष और एक महिला) नियुक्त किये गये । इन अधिकारियों के कार्य थे साक्षरता आन्दोलन, ग्रामों में वाचनालयों की स्थापना, शिक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनियों का आयोजन और सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक क्रियाओं का आयोजन। इस योजना के दौरान 1953 में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में समाज शिक्षा विभाग खोला गया । देश में 5 'समाज शिक्षा कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र' और 116 'आदर्श सामुदायिक केन्द्र', स्थापित किए गए और 454 प्राथमिक विद्यालयों को 'विद्यालय कम सामुदायिक केन्द्रों' का रूप दिया गया। साथ ही 55000 'युवक क्लबों' की स्थापना की गई और एक बड़ी संख्या में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना की गई । पर इन सब प्रयत्नों के बावजूद 30 प्रतिशत निरक्षरों को साक्षर बनाने के लक्ष्य के स्थान पर 20 प्रतिशत निरक्षरों को ही साक्षर बनाया जा सका ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 में अमेरिका के 'टैक्नीकल कार्पोरेशन मिशन' और 'यूनेस्को' की सहायता से दिल्ली में 'राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र' की स्थापना की गई । और इसे प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, प्रौढ़ एवं समाज

शिक्षा हेतु उपयुक्त अध्ययन सामग्री एवं दृश्य–श्रव्य साधनों का उत्पादन, प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान सम्बन्धी सूचनाओं को एकत्र करने और उनका प्रसारण करने एवं विभिन्न राज्यों के शिक्षा कार्यक्रमों सम्बन्धी सूचनाओं को एकत्र करने व समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना– इस योजनानुसार प्रत्येक प्रान्त में एक समाज शिक्षा सहायक निदेशक और प्रत्येक जिले में एक जिला समाज शिक्षा संगठनकर्ता की नियुक्ति की

गई। इस काल में दूसरी योजना में चलाए जा रहे कार्यो को गति प्रदान की गई । प्रौढ़ एवं

समाज शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कुछ और जनता कॉलिज खोले गये और छः राज्य पुस्तकालय एवं 205 जिला पुस्तकालय खोले गये । ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकें वितरित करने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता दी गई। प्रौढ़ साहित्य लेखकों को प्रोत्साहन दिया गया और विभिन्न भाषाओं में प्रौढ़ो के लिए पुस्तकों का निर्माण किया गया। इसी दौरान 'ज्ञान सरोवर' नाम से प्रौढ़ शिक्षा विश्वकोष प्रकाशित किया गया । महाराष्ट्र में 'ग्राम शिक्षा मुहीम' का संगठन किया गया । इस काल में श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 18 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये गये और इनमें 217 प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियेां और 6,340 श्रमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना– इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा हेतु 64 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये । इस बीच कोठारी कमीशन ने समाज शिक्षा को पुनः प्रौढ़ शिक्षा नाम दिया और इसके प्रसार के अनेक उपाय सुझाये । इस आयोग ने साक्षारता के स्थान पर कार्यात्मक

साक्षरता के विकास पर बल दिया । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रौढ़ सम्बन्धी पहला उल्लेखनीय कार्य 'राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद' की स्थापना है ।

पंचम पंचवर्षीय योजना– इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा हेतु 35 करोड़ की धनराशि रखी गयी । इस योजना के कार्यकाल में कई प्रमुख कार्य किये गये पहला कार्य 'यूवा क्लबों' और 'नेहरू युवा केन्द्रों' को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित करना है। दूसरा कार्य 'आकाश के शिक्षक' का प्रयोग है । 1975–76 में भारत ने इस शैक्षिक उपग्रह के माध्यम से विहार,उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 टेलीविजनों पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया ।

छठी पंचवर्षीय योजना 1979 में शुरू होनी थी, पर इसी बीच 1972 में केन्द्र में जनता दल सत्तारूढ़ हो गया उसने कांग्रेस सरकार की पंचवर्षीय योजना (1974–79) को बीच में ही रोककर छठी पंचवर्षीय योजना (1978–83) का प्रारूप तैयार किया । इस सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को द्वितीय वरीयता दी और इसके लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया । इसे 2 अम्टूबर 1978 को 'राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम' के रूप में शुरू किया और पांच वर्ष के अन्दर 15–35 आयु वर्ग के 10 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)– इस योजना के दौरान 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धोषणा की गई जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित घोषणाऐं की गई–

1– प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जायेगा और इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

2– केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें निरक्षरता उन्मूलन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करेंगी ।

3– निरक्षरता उन्मूलन हेतु उच्च शिक्षा संस्थाओं, शिक्षकों, शिक्षार्थियों, शैक्षिक संस्थाओं और युवा वर्गों का सहयोग लिया जायेगा ।

4– प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के क्रियानवयन के लिए जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा और दूर शिक्षा कार्यक्रम चलायें जायेंगे ।

5– ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी ।

1991 में **राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान** की स्थापना की गई जिसकी मुख्य कार्य हैं– प्रौढ़ शिक्षा अभिकरणों को शैक्षिक एवं तकनीकी सहयोग देना और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य कराना ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)– इस योजना में 15–35 आयु वर्ग के 10.4 करोड़ निरक्षरों में से 8 करोड़ निरक्षरों को सरकारी अभिकरणों द्वारा और शेष 2. 4 करोड़ निरक्षरों का स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया और **'पूर्ण साक्षरता अभियान'** शुरू किया गया । यह अभियान विशेष रूप से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों और अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में चलाया जायेगा । इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा पर 1848 करोड़ रूपये व्यय किये गये और पूर्ण साक्षरता अभियान को गति दी गई ।

इस समय नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) चल रही है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के लिए 630.4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो आठवीं योजना की तुलना में एक–तिहाई है । अतः साफ जाहिर है कि अब सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर अधिक है और प्रौढ़ शिक्षा पर कम ।

7.2 उसके लिए आवंटन :

केन्द्रीय सरकार शिक्षा के क्षेत्र में दो मदों के लिए अलग–अलग आर्थिक

सहायता देती है– एक विभिन्न स्तरों की शिक्षा के संचालन के लिए और दूसरी विभिन्न स्तरों की शिक्षा के योजनाबद्ध विकास के लिए । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं पर अगर हम दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि प्रथम योजना (1951–56) से लेकर पंचम योजना (1974–79) तक प्रौढ़ शिक्षा के मद में खर्च शून्य रहा । छठी योजना मे प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रथमबार धन आवंटित किया गया । 224 करोड़ रूपये जो तत्कालीन शिक्षा व्यय का 9 प्रतिशत था । सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) तक प्रौढ़ शिक्षा के मद में 470.0 करोड़ रूपये खर्च किये गये जो कुल शिक्षा का 6 प्रतिशत था । 1990–91 के मध्य योजना का निरीक्षण करें तो पाते हैं कि इस समय 416.0 करोड़ रूपये प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च किये जो कुल शिक्षा जगत का 9 प्रतिशत था । इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक की सबसे बड़ी धनराशि 18.48 करोड़ प्रौढ़ शिक्षा के मद में खर्च की । जो कुल शिक्षा बजट का 9 प्रतिशत था । वर्तमान नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए 630.4 करोड़ रूपये आवंटित किये जो कुल शिक्षा खर्च का मात्र 3 प्रतिशत है ।

7.3. योजनाओं में लक्ष्य और उपलब्धियाँ :

जन अभियान दृष्टिकोण का आधार जन–गतिशीलता तथा सरकारी (केन्द्रीय तथा राज्य दोनों), जिला प्रशासन, गैर सरकारी संस्था तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों, समाज के सभी वर्गों के लोगों को स्वेच्छा की भावना से जुटाने एवं संगठित, सुव्यवस्थित तथा प्रभावी प्रबन्ध ढांचे में स्वःनिर्मित अनुवीक्षण प्रणाली है । इस दृष्टिकोण की कार्यकुशलता निःसन्देह इस बात से यह सिद्ध हो गई है कि इसने परम्परागत केन्द्र आधारित कार्यक्रम जो कि सरकार के नियंत्रणाधीन था उसको पूर्ण साक्षरता और नव जागरण के जन अभियान में परिवर्तित करने मे सफल हो पाया है सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का दृष्टिकोण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य

नीति के रूप में संस्थापित है यह उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि सर्व सुलभ साक्षरता का लक्ष्य पूरा नहीं कर लिया जाता ।

2— राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत लगभग पिछले चार वर्षों के दौरान साक्षरता उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के विकास के फलस्वरूप सम्पूर्ण कार्यक्रम की एक स्पष्ट और विस्तृत परिकल्पना उबर कर सामने आ गई है । और भविष्य के कार्यक्रम में उसे अपनाया जायेगा ।

3— **प्रक्रिया—** पूर्ण साक्षरता योजना के जन अभियान के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे—

1— राज्य सरकारों / संघ शासित प्रशासनों को इस बात के लिए राजी करना कि वे 1997—98 से पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए सारे राज्य और प्रत्येक जिले के लिए विस्तृत योजनाएँ तैयार कर सकें ।

2— राजनीतिक पार्टियों का अनुवीक्षण और लोगों के प्रतिनिधियों को अपने सैद्धान्तिक और राजनैतिक मतभेदों को भुलाकर साक्षरता अभियान में सहायता देने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए ।

3— सभी विभागों के अधिकारियों को राज्य तथा जिला स्तर पर अभियान के पहलुओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण देना ताकि सहयोग तथा समर्थन की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके ।

4— उन जिलों / क्षेत्रों में साक्षरता समितियों का पंजीकरण जहाँ अधिकारियों, गैर सरकारी सदस्यों स्वैच्छिक एजेन्सियों, शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व से पूर्ण साक्षरता के जन अभियान आरम्भ किये जाते हैं ।

5— निरक्षरता का विरोध करने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाये ।

6– वातावरण निर्माण, आयोजना और अभियान के संचालन में महत्वपूर्ण संसाधनों, व्यक्तियों, नव प्रशिक्षणार्थियों, स्वयंसेवकों आदि को विशिष्ट भूमिका सौंप कर उन सभी लोगों की सहभागिता प्राप्त की जाये ।

7– सभी स्तरों पर भागीदारी तथा जन सहयोग सुनिश्चित करना तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शैक्षिक संस्थानों केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों के अनुभवी कर्मियों की सेवायें ली जायें ।

8– उन क्षेत्रों में जहाँ पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वित नहीं किये जा रहे हैं वहां की छोटे–छोटे तथा सघन क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू करने के लिए उत्तम, वचनबद्ध तथा भरोसेमंद स्वैच्छिक एजेन्सियों को प्रभावी रूप से लगाना है तथा उन्हें पूर्ण साक्षरता अभियान के दायरे के भीतर लाना है ।

9– अपने–अपने सामाजिक दायित्व के रूप में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय,कॉलिज, स्कूल स्तर पर स्वैच्छिक प्रणाली के सभी घटकों को जुटाकर उन्हें इस कार्य में लगाना ।

10– अध्ययन की परिष्कृत गति एवं विषय वस्तु की केन्द्रीयकृत तकनीक की अभिप्रेरणा पर अध्ययन / शिक्षण सामग्री के निर्माण पर जोर देना ।

11– सम्बन्धित साक्षरता समिति के नेतृत्व तथा निर्देशन में सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण एवं वातावरण निर्माण से सम्बन्धित साक्षरता कार्य में लगी हुई सभी संस्थाओं /एजेन्सियों, व्यक्तियों के आपसी तालमेल, सम्पर्क तथा मेलजोल से कार्य को पूरा करना ।

12– केन्द्रीय /राज्यसरकारों /संघ शासित प्रशासनों तथा केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से इन अभियानों में कार्य करने के लिए आवश्यकतानुसार

कर्मचारी उपलब्ध कराना तथा उनकी कार्यावधि को उपयुक्त समय तक जारी रखने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करना ।

4. वातावरण निर्माण—एक सतत् आवश्यकता :

साक्षर तथा शिक्षित दोनों ही प्रकार के व्यक्ति साक्षरता के कार्य को गर्व, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के आधार पर करने के लिए तैयार किये जायेंगे। इस प्रयोजन के लिए जत्थों, गलियों व खेले जाने वाले नाटकों, पोस्टर, साक्षरता गीत, नारों, से वातावरण तैयार करने की प्रक्रिया जारी रखी जायेगी ।

साक्षरता के प्रोत्साहन के लिए सूचनाएँ प्रसारित करने के लिए मीडिया का प्रयोग कार्यक्रमों की गतिशीलता प्रेरणा तथा भावना, उत्पन्न करने के साधन के तौर पर तथा शिक्षुओं को सूचना विचार और अनुभव प्रदान करने तथा सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाये । साक्षरता का सन्देश प्रसारित करने तथा साक्षरता के लिए सकारात्मक तथा सृजनात्मक वातावरण तैयार करने के लिए प्रयास किये जायें ।

5. अन्य विकास विभागों के साथ एकीकरण :

इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए नव—साक्षर राष्ट्रीय विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं की भागीदारी बनाने में वस्तुतः सक्षम हो सकें । इसके लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कार्यक्रम निम्न होगा =

1— लोगों की वास्तविक मांग और कभी—कभी उनकी उजागर इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन सभी विकास विभागों को निरक्षरता उन्मूलन हेतु सुदृढ़ एवं मजबूत बनाया जायेगा ।

2— सामाजिक, भावात्मक और भाषायी एकता साम्प्रदायिक सद्भाव एक दूसरे के प्रति विश्वास को तीव्र बनाया जायेगा ।

3— साक्षरता अभियान में वातावरण से सम्बन्धित संरक्षण और परीक्षण गतिविधियों को हाथ में लिया जायेगा ताकि ऐसे दलों को गठित किया जा सके जो इस प्रकार के संरक्षण के लिए यथासम्भव गहरी जागरूकता पैदा कर सकें ।

4— छोटे परिवार के सन्देश को प्रचारित एवं प्रसारित साक्षरता अभियान के माध्यम से किया जायेगा ।

5— साक्षरता कार्यक्रमों में महिलाओं की समानता को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी—

अ) इस अभियान की नीति सम्बन्धी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये ।

ब) ऐसी गतिवधियों का आयोजन करना जिसमें पुरुषों के समक्ष विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाये ।

स) महिलाओं के रोजगार के उपयुक्त अवसर को अधिक से अधिक बढ़ावा देना ।

द) समाज में महिलाओं को समानता का वास्तविक रूप दिया जाये । समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे ठोस कार्य किये जायें ।

य) एक ऐसा ढांचा तथा तंत्र चाहे वह प्रशिक्षण विषय वस्तु द्वारा भाग्यदारी से सम्बन्धित हो का निर्माण किया जाये जिसमें साक्षरता समितियों के कार्यो सहित महिलाओं की समानता और स्त्री पुरुष भेदभाव सम्बन्धी न्याय को जोड़ा जा सके ।

र) इन अभियानों का महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू यह है कि औपचारिक स्कूल पद्धति में बच्चों के नामांकन के लिए अभिभावकों की मांग अत्यधिक बढ़ गई है इस बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके ।

ल) इस अभियान की विषय वस्तु और प्रक्रिया में तथा वास्तविक अध्ययन शिक्षण प्रशिक्षण और वातावरण निर्माण के साथ–साथ बुनियादी स्वास्थ्य रक्षा का संदेश तथा उनके अन्तर्गत निर्मित कार्यक्रमों जोकि प्रतिरक्षण, बीमारी दूर करने और बीमारी निवारक भी हों को उन अभियानों के साथ जोड़ा जाएगा और महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

उपलब्धियाँ :

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रौढ शिक्षा की शुरूआत तो अंग्रेजी शासन काल में हो गई थी परन्तु इसे गति आजाद भारत में दी गई । आजादी की प्राप्ति के बाद प्रौढ शिक्षा का दायरा अति व्यापक किया गया उसके प्रचार एवं प्रसार के लिए योजनाबद्ध कार्य किए गए। उसी का परिणाम है कि आजाद होने से पहले 1947 में हमारे देश में जो साक्षरता प्रतिशत 14 था उसमें निरन्तर बढोत्तरी होती गई। 1951 में यह 17.4, सन् 1961 में28.3 , 1961 में 28.3, 1971 में 34.45 , 1981 में 43.5 और 1991 में 52.11 प्रतिशत हो गया। प्रौढ शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1999 में हमारे देश में 64 प्रतिशत लोग साक्षर हो गए थे । इस समय 2000 में साक्षरता प्रतिशत 65 अवश्य हो गया है होगा । इस शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विशेष उल्लेखनीय भूमिका रही । 22 जौलाई 1999 को इसके महानिदेशक ने दूरदर्शन पर बताया कि इस मिशन का कार्य संसार में सर्वश्रेष्ठ रहा है और इसे इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है । पर चौकानें वाला तथ्य यह है कि इतना सब होते हुए भी हमारे देश में निरक्षरों की संख्या में बराबर वृद्धि हुई है । 1947 में जहाँ हमारे देश में निरक्षरों की संख्या लगभग 28 करोड़ थी, वहाँ आज 2000 में लगभग 35 करोड़ हो गई है इससे जाहिर है कि शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कार्य करना शेष है। एक ओर अनिवार्य एवं निःशुल्क सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी है और

दूसरी ओर निरक्षरों के 35 करोड़ के समूह को साक्षर बनाने की व्यवस्था करनी है । इस बीच हमारे देश में क्षेत्र में अनेक प्रयोग हो चुके हैं । इनमें सबसे अधिक सफल प्रयोग प्राथमिक स्कूलों को 'प्राथमिक स्कूल कम सामुदायिक केन्द्र' में बदलना रहा है। हमें इस पर पुनः विचार करना चाहिए । इस बीच 26 जरवरी 2000 को दूर दर्शन के शैक्षणिक चैनल 'ज्ञान दर्शन' का उद्घाटन हुआ है । देखना यह है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कितना सहयोग दे पाता है । लक्ष्य कोई भी कठिन नहीं होता, बस इरादा पक्का होना चाहिए और काम ईमानदारी व निष्ठा से करना चाहिए ।

7.4 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की वित्तीय व्यवस्था (कुल आय–व्यय) :

इस उप–विषय का पूर्ण विवरण उप–विषय क्रमांक 2 में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक प्रौढ़ शिक्षा पर कोई धन आवंटित नहीं किया गया । प्रौढ़ शिक्षा की योजना को कार्य रूप देने पर शासन को 1951 से 1979 तक 28 वर्ष लग गये । 28 वर्ष के उपरान्त छठी पंचवर्षीय योजना में 224 करोड़ रूपये आवंटित किये गये और नवीं पंचवर्षीय योजना में 630.4 करोड़ रूपये आवंटित किये गये। इन 28 वर्षों में भारत की जनसंख्या में करोड़ों में वृद्धि हुई तथा उसके अनुपात में आवंटित धनराशि में नगण्य वृद्धि हुई । साक्षरता का सीधा सम्बन्ध औद्योगिक विकास से होता है। इसलिए सरकार को प्रौढ़ शिक्षा पर आवंटित धनराशि में वृद्धि करनी चाहिए ।

—00—

अष्टम् अध्याय

सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों की समस्यायें

अध्याय—अष्टम्

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की समस्यायें

8.1 प्रश्नावली का विवरण :

प्रस्तुत प्रश्नावली का निर्माण "उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन" विषय पर एक शोध अध्ययन करने के लिए किया गया है। यह अध्ययन पूर्णतया विद्योचित अध्ययन है । इस प्रश्नावली में कुल 80 प्रश्न हैं जो आर्थिक विकास, शैक्षिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, धर्म निरपेक्षता, समाजीकरण, साम्प्रदायिक सद्भाव, आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण आदि पहलुओं पर आधारित है । इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है । इस अनुसूची का उद्देश्य उत्तरदाताओं की परीक्षा लेना नहीं है अपितु इसका ध्येय केवल नवसाक्षरों की नूतन प्रवृत्तियों तथा जागरूकता स्तर का पता लगाना है । उत्तरदाता द्वारा दिये गये उत्तरों को पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा । प्रश्नावली में पूछे गये उत्तरों का जबाब 'हाँ' या 'नहीं' में देना होगा । शोध की प्रमाणिकता उत्तरदाताओं की अनुक्रिया पर आधारित होती है ।

8.2 प्रश्नावली का विश्लेषण :

प्रश्नावली का विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है—

1— इसके प्रयोग से वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति होती है ।

2— अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण हो जाता है तथा उचित उत्तर प्राप्त हो जाता है।

3— विषय वस्तु की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जा सकता है।

4— प्रामाणिक अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने वर्तमान ज्ञान पर उपलब्ध साहित्य की उपलब्धता के आधार पर एक संरचित साक्षात्कार प्रश्नावली का निर्माण किया है । इस

प्रश्नावली में नवसाक्षरों के स्तरानुसार 80 प्रश्नों को संरचित किया गया है । शोधकर्त्री ने प्रश्नावली को आधार मानकर 300 नवसाक्षरों से व्यक्तिगत साक्षात्कार करके ही उसे पूर्ण किया है। अनुसूची के 80 प्रश्न नवसाक्षरों की जीवन शैली से सम्बन्धित आठ बिन्दुओं पर आधारित है। ये आठ बिन्दु है...... आर्थिक विकास, सामाजिक जागरूकता, धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियाँ, साम्प्रदायिक समाजीकरण, आधुनिकीकरण व संस्कृतिकरण । 80 प्रश्नों के अन्तर्गत अध्ययन का प्रत्येक बिन्दु 10 प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है।

8.3 समस्याओं का वर्गीकरण एवं निराकरण के उपाय :

शिक्षा के क्षेत्र में सभी देशों में अगणित समस्याएँ पाई जाती हैं । इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करना तथा सफलतापूर्वक इनका समाधान कर पाना सरल कार्य नहीं है। शिक्षा में प्रत्येक एकाकी समस्या के अध्ययन तथा समाधान कर पाना सरल कार्य नहीं है । शिक्षा में प्रत्येक एकाकी समस्या के अध्ययन तथा समाधान के लिए अनुसंधानकर्ताओं को चाहे वे अकेले या सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हों । एक सुनियोजित क्रम में अनेक चरण पार करने पड़ते हैं । उसी क्रम में एक चरण समस्या के वर्गीकरण का है ।

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में शोधकर्ता ने प्रश्नावली में समस्याओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है । वह वर्गीकरण निम्न प्रकार है—

1— आर्थिक विकास,
2— शैक्षिक जागरूकता
3— सामाजिक जागरूकता
4— संस्कृतिकरण
5— समाजीकरण
6— धर्म निरपेक्षता ।
7— साम्प्रदायिक सद्भाव
8— आधुनिकीकरण ।

प्रस्तुत वर्गीकरण में शोधकर्ता ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में नवसाक्षरों से साक्षर होने से पूर्व एवं उपरान्त उनकी आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को जानने का प्रयास किया।

शैक्षिक जागरूकता के वर्ग में शोधकर्ता ने नवसाक्षरों में साक्षर होने के उपरान्त शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण में हुए उनके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया ।

सामाजिक जागरूकता वर्ग में नवसाक्षरों से उनके सामाजिक स्तर से सम्बन्धित बातों को पूछा गया ।

संस्कृतिकरण एक महत्वपूर्ण वर्ग था जिसमें नवसाक्षरों से भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित उनके ज्ञान को जानने का प्रयास किया गया ।

इसी क्रम में सामाजीकरण, धर्म निरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव तथा आधुनिकीकरण से सम्बन्धित उनके औसत ज्ञान के स्तर के प्रश्न प्रश्नावली में रखे गये ।

—00—

नवम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय – नवम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

अनुसंधान की विशेषता :

यह एक प्रकार का सामाजिक अनुसंधान है इसकी विशेषता है अज्ञानता समाप्त करना तथा नये वैज्ञानिक तथ्यो की खोज करना तथा पूर्व स्थापित्त नियमों और सिद्धान्तो का परिमार्जन करना । प्रस्तुत अनुसंधान "उत्तर पदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन" अपना एक विशेष महत्व रखता है । जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है जिसकी जनसंख्या 166052859 है लेकिन साक्षरता की दृष्टि से 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 25 वॉ है उत्तर प्रदेश की साक्षरता 57.36 है जिसमें पुरूष साक्षरता 70.23 है तथा महिला साक्षरता 42.98 है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पॉचवे स्थान पर है जहॉं अनुपात 1000 पुरूषों पर 898 स्त्रियों का है अक्षर ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश की कम साक्षरता कई समस्याओं को जन्म देती है जिसमें प्रमुख है बाल मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि , निर्धनता , रूढ़िवादिता, जाति प्रधान , राजनीति,अपराध । हर छठा कुपोषित बच्चा उत्तर प्रदेश का है । 1900 बच्चे प्रत्येक दिन कालकवलित हो जाते हैं उनमें से 19 प्रतिशत बच्चे डायरिया जनित बीमारियों से मर जाते हैं । ये सभी समस्यायें साक्षरता से किसी न किसी रूप में सम्बन्धित है उत्तर प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम 1977 में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया कि तदनन्तर 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं सें गुजर कर उ0प्र0 का साक्षरता अभियान

रजत जयन्ती वर्ष में प्रवेश कर चुका है प्रस्तुत शोध प्रबन्ध सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में नामांकन के बजाय उपलब्धि पर बल दिया गया है । कार्यक्रम की गति और प्रगति का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में किया गया है ।

9.2 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के विकास सम्बन्धी एवं शिक्षण प्रकिया सम्बन्धी निष्कर्ष :

साक्षात्कार अनुसूची में निहित अलग अलग आयामों पर संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण व सांख्यकीय गणना के पश्चात उत्तरदाताओं की नूतन प्रवृत्तियों से संबंधित निम्न निष्कर्ष दृष्टिगोचर हुए है :–

1– आर्थिक विकास पर आधारित प्रश्नों पर नवसाक्षरों की अनुकिया से विदित होता है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की आर्थिक विकास में सकिय व सकारात्मक भूमिका है ।

2– नवसाक्षर अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु अपेक्षाकृत अधिक समर्थ है ।

3– नवसाक्षर व्यक्ति अपने व्यवसाय में उत्पाद की लागत और उससे होने वाली आय का सही–सही हिसाब लगा लेते हैं ।

4– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के फलस्वरूप नवसाक्षरों में सामाजिक जागरूकता के स्तर में उन्नयन हुआ है ।

5– नवसाक्षर समाज की प्रगति में बाधक सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेत हुए हैं ।

6– नवसाक्षर इस बारे में सुनिश्चित है कि समाज में व्यापक बुराईयों – साम्प्रदायिकता, जनसंख्या वृद्धि आदि का कारण निरक्षरता ही है ।

7– निरक्षर रहने की स्थिति में नवसाक्षरों में समाज में व्याप्त बुराईयों के प्रति जागरूकता का स्तर निम्न था ।

8– साक्षर होने के उपरान्त समाज में अच्छाइयों में वृद्धि के उद्देश्य से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आवश्यक परिवर्तन स्वतः आ जाते हैं ।

9– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के परिणामस्वरूप नवसाक्षरों में सामाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है ।

10– नवसाक्षरों की समाजोपयोगी कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण आदि में सहभागिता बढ़ी है ।

11– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से नवसाक्षरों में सामाजिक बुराईयों तथा रूढ़ियों को समाप्त करने का संकल्पित भाव उत्पन्न हुआ है ।

12– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के फलस्वरूप नवसाक्षरों में अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं ` की पूर्ति से ऊपर उठकर सामाजिक कार्यो में सेवा भाव से सहयोग करने की उत्कण्ठा जाग्रत हो सकी है ।

13– सम्पूर्ण जागरूकता अभियान के द्वारा नवसाक्षरों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व शैक्षिक जागरूकता का संचार हुआ है जिससे निरक्षरतारूपी अभिशाप को जड़ से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है ।

14– नवसाक्षर इस बात से सहमत है कि शिक्षा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में एक है ।

15– नवीनतम व उद्यतन ज्ञान को अर्जित करने का कौशल नवसाक्षरों में उत्पन्न हुआ है ।

16– साक्षरता मनुष्य को कृषि एवं उद्योग की तकनीकी और व्यापार की विधियों से परिचित कराती है और उनमें रोजी रोटी के लिए व्यावसायिक कुशलता का विकास करती है ।

17– नवसाक्षरों के अन्दर वर्तमान समय में हो रहे सामाजिक, आर्थिक व वैज्ञानिक परिवर्तनों को जानने की स्पष्ट जिज्ञासा है ।

18– प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश नवसाक्षर रूढ़िवादी दृष्टिकोण का परित्याग कर अपने दैनिक जीवन की कार्यप्रणाली को आधुनिकतम बनाने के पक्ष में है ।

19– नवसाक्षर नवीनतम जानकारी प्राप्त करने व अपने ज्ञान कोष में अभिवृद्धि करने के लिये आधुनिक संचार साधनों जैसे – रेडियो, टी0वी0 का प्रयोग करते है ।

20– नवसाक्षरों का समाचार पत्रों के प्रति रूझान बढ़ा है ।

21– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से नवसाक्षरों में संस्कृतिकरण की प्रकिया तीव्र हुई है ।

22– नवसाक्षरों में निरक्षर से साक्षर होने की यात्रा के बीच सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराओं , मान्यताओं को भली भाँति समझने की सोच जाग्रत हुई है

23– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की योजना से साम्प्रदायिक सद्भाव को बल मिलता है ।

24– साक्षरता धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि का सशक्त माध्यम है ।

25— धार्मिक कटटरता के वीभत्स रूप में शिथिलता लाने वाला प्रमुख कारक साक्षरता ही है ।

26— सामाजिक मूल्यो को बनाये रखने में साक्षरता की सशक्त भूमिका है ।

27— पुरूषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता व जागरूकता का प्रतिशत काफी कम है ।

28— सम्पूणै साक्षरता अभियान को महिला वर्ग में आशातीत सफलता नहीं मिली है ।

29— बच्चों की देखभाल, घरेलू काम व अन्य सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबन्धों के कारण महिलाओं में सामाजिक शैक्षिक जागरूकता का स्तर निम्न है ।

30— मुस्लिम समाज में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के प्रति धनात्मक सोच का अभाव है । विशेषकर मुस्लिम महिलायें परम्परागत रूप से रूढ़िवादिता के आधार पर चहारदीवारी रूपी बेढ़ियो से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही है ।

31— आयुवर्ग के आधार पर किये गये शोध के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 15 से 25 आयु वर्ग के नवसाक्षरों मन में साक्षर होने की सर्वाधिक जिज्ञासा है । 26 से 35 आयु वर्ग के नवसाक्षर में अभियान के प्रति अपेक्षाकृत कम उत्सुकता पाई गई । 35 से 45 आयु वर्ग के नवसाक्षरों ने पढ़ने में बहुत कम रूचि प्रदर्शित की ।

32— ग्रामीण परिवेश के नवसाक्षरों की तुलना में शहरी परिवेश के नवसाक्षरों की ग्रहणशीलता अधिक है ।

33— अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग में व्याप्त आर्थिक अभाव इनकी अध्ययन क्षमताओं व जागरूकताओं को सीमित कर देता है । अतः सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को इस वर्ग में आंशिक सफलता ही मिल पाई है ।

अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान ने हमें विश्वास दिलाया है कि निरक्षरता नियति नहीं है तथा इसे सुनियोजित , ठोस तथा समन्वित प्रयासों से एक समयबद्ध तरीके से दूर किया जा सकता है ।

9.3 समस्या सम्बन्धी निष्कर्ष :

प्रदत्तों के विश्लेषण से समस्या सम्बन्धित निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए :

1— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के प्रसार से जनता में साक्षरता के प्रति रूचि जागृत होती है ।

2— नवसाक्षर अपनी संतों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाते हैं ।

3— साक्षर होने के उपरान्त महिलाओं की आर्थिक , सामाजिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन होता है ।

4— जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने में साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

5— नवसाक्षर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो जाते हैं ।

9.4 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम को उन्नत बनाये रखने के सुझाव :

1— प्रेरणा जगाना :

साक्षरता कार्यक्रम में सबसे बड़ा सवाल है , लोगों में प्रेरणा जगाना है । पूरा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को इस दिशा में कार्य करना होगा ।

2— जन—सहयोग पाना :

लोगों का सहयोग पाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये जायें, जैसे अखबार, रेडियो, टी0वी0 संचार साधनों की सहायता ली जाये"। स्थानीय स्तर पर जनसहयोग के लिए जरूरी संस्थायें कायम की जायें, जत्थे निकाले जाये, युवकों के केडरों को प्रशिक्षण दिया जाये इत्यादि । आशा है कि इन प्रयासों से सीखने के लिये प्रेरणा देने वाला वातावरण बन जायेगा ।

3— स्वैच्छिक संस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त करना :

सही ढंग की स्वैच्छिक संस्थाओं का पता लगाने के लिये भिन्न—भिन्न तरीके अपनाये जायें वित्तीय सहायता देने के नियमों को सरल बनाया जाये । मिशन कार्यक्रम प्रसार के लिये तथा प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन विकास, अनुसंधान तथा नवीन प्रयासों के लिये बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक एजेन्सियों को शामिल किया जाये

4— मौजूदा कार्यक्रमों में पर्याप्त सुधार करना :

मौजूदा कार्यक्रम को जारी रखा जाय । परन्तु विज्ञान और टैकनोलाजी के जॉचे परखे संसाधनों का प्रयोग करके बेहतर सुपरविजन, उपयुक्त प्रशिक्षण शिक्षा के नये प्रयास आदि के द्वारा इन कार्यक्रमों में सुधार किया जाये ।

5— जन आन्दोलन शुरू करना :

शिक्षा संस्थाओं, शिक्षकों, छात्रों युवकों, सैनिक तथा अर्द्ध सैनिक कर्मचारियों गृहणियों भूतपूर्व सैनिकों नियोक्ताओं ,ट्रेड यूनियन आदि का सहयोग लेकर कार्यात्मक साक्षरता के जन—व्यापी कार्यक्रम को विस्तृत और सुदृढ़ बनाया जाये, तथा साक्षरता के लिए जन आन्दोलन शुरू किया जाये ।

6— सतत् शिक्षा को संस्था का रूप देना :

समूचे देश में साक्षरता के बाद की शिक्षा की व्यवस्था की जाये । इसके लिये विशेष रूप से जन–शिक्षण निलयम् खोले जायें तथा मौजूदा संस्थाओं में मिलने वाली सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जाये ।

7– मानक अध्ययन सामग्री सुलभ कराना :

केंन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन के विकास के लिये बनी संस्थायें इस बात का ध्यान रखें कि अच्छी और मिशन के उददेश्यों को पूरा करने वाली सामग्री आसानी से मिल सकें ।

8– सभी जगह शिक्षा की सुविधायें प्राप्त करना :

2005 तक साक्षरता, सतत शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधायें देश के हर भाग में उपलब्ध करार्य जायें ।

9– टैकनोलाजी का प्रदर्शन शुरू करना :

शिक्षण में सहायक टैकनोलाजी की खोजो के विकास, प्रसार और प्रयोग की दृष्टि में रखकर सभी जिलों में टैकनोलाजी का प्रदर्शन किया जाये । बाद में प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए, ताकि दूसरे जिलो में उनका प्रयोग किया जा सके ।

10– विभिन्न स्तरों पर मिशन प्रबन्ध व्यवस्था की स्थापना :

मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक सशक्त मिशन प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित की जाए । जिसमें कर्मचारियों का उपयुक्त चयन तथा उनका विकास, सूचना का संग्रह, प्रसार और उपयोग, सुव्यवस्थित मॉनीटरिंग तथा आवश्यक मध्यावधि सुधार और मूल्यांकन की व्यवस्था की जायें ।

11— वातावरण ऐसा हो, जिसमें साक्षरता महत्वपूर्ण समझी जाये और उसके विकास की गुजाइश हो । लोगों की साक्षरता के लिए तैयार किया जा रहा हो ।

12— कार्यक्रम की शुरूआत इस प्रकार हो कि शिक्षार्थियों को उसमें अपना हित स्पष्ट दिखाई दें, जैसे नए हुनर, सीखने से आर्थिक लाभ होगा, राजनीतिक विषयों और परिवार के स्वास्थय पर चर्चा के द्वारा जानकारी मिलेगी; धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकेगें इत्यादि ।

13— शिक्षक योग्य, नियमित, जानकार और इच्छा व्यक्ति हो तथा शिक्षार्थियों को छोटा न समझे ।

14— शिक्षण का वातावरण, जीता जागता, दिल खुश करने वाला और आराम देने वाला हो, ऐसे कार्यकलाप, आयोजित किये जाते हों,जो थकान और बोरियत को दूर करने में सहायक हो ।

15— अगर शिक्षार्थी यह समझ जायें कि वे पढ़ना–लिखना सीख सकते हैं, और आगे आगे प्रगति कर सकते हैं तो वे अपनी शुरू शुरू की अरूचि पर काबू पा सकते हैं ।

16— ऐसी व्यवस्था हो कि जो साक्षर बन जायें वे अपनी शिक्षा आगे जारी रख सकें

17— महिलाओं को ऐसा लगे कि साक्षरता कार्यक्रम एक ऐसा साधन है, जो उन्हें एक दूसरे के निकट ला सकता है, एकता पैदा कर सकता है और उनके आत्म विश्वास और आत्म छवि को बढ़ा सकता है ।

परिशिष्ट

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

प्रश्नावली

सन्दर्भ–ग्रन्थ–सूची

हिन्दी :

1– सिंह मदन, प्रौढ़ शिक्षा सलाहकार, राज्य संसाधन केन्द्र (उ0प्र0), साक्षरता निकेतन प्रकाशन, आलमबाग, लखनऊ, 2002

2– पाण्डे, डॉ0 रामसकल एवं करुणा शंकर मिश्र : प्रौढ़ शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 1990.

3– सिन्हा, एच0सी0 : शैक्षिक अनुसंधान ।

4– सुखिया, एस0पी0 : अनुसंधान विधियाँ ।

5– शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना, नई दिल्ली ।

6– प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार : भारत 2002

7– रमन बिहारी लाल : भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें ।

8– परिप्रेक्ष्य : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

पत्र–पत्रिकाएँ :

1– कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम, राज्य सन्दर्भ केन्द्र, उत्तर प्रदेश, साक्षरता निकेतन, लखनऊ ।

2– अनुदेशक, साक्षरता निकेतन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र, राज्य सन्दर्भ केन्द्र, साक्षरता निकेतन, पी0पी0 आलमबाग, लखनऊ 226005.

3– साक्षरता के लिए सांख्यिकीय आधार–सामग्री, अन्तिम जनसंख्या और साक्षरता–1991, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली, 1993

4– साक्षरता मिशन– अप्रैल 1994, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा प्रकाशित ।

Website Used :

Ministry of I.&.B, Govt. of India : www.censusindia.com

Reference Book In English

1- Agarwal, Y.P. (Ed.) Research in Emerging Fields of Education, New Delhi. : Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1988.

2- Ansari, N.A. : Adult Education in India, New Delhi, S. Chand & Company Ltd., 1984.

3- Bhingarkar, D.B. : Implication of the concept of Lifelong Education for Social Education, Ph.D., Bombay University, 1981.

4- Bonanni, C. : A Literacy Journey, New Delhi, Indian Adult Education Association, 1973.

5- Indian Adult Education Association; Adult Education for Rural, Poor, New Delhi, 1974.

6- Ramarkrishnan, K. : National Adult Education Programme : An Appraisal of the role of Voluntary Agencies in Tamil Nadu, Madras Institute of Development Studies, Madras, 1981.

7- Rao, K.R. : A Comparative study of Relative Effectiveness of four Methods of Teaching Literacy to Adults, Ph.D. Osmanis University, 1981.

8- Rashid, A. : An Enquiry into the Problem of Motivation for Adult Literacy, Jamia Millia Islamia, 1966.

9- Selvam, S., : Social Impact of the Telecast Programme 'Education for 'Life' On Rural Adults in the District Cningleput (Tamil Nadu) Ph.D., Madras University, 1982.

10- UNESCO : "Literacy in the world of science the 1995 Tehran Conference. A turning point for literacy". Proceedings of the International Symposium for Literacy, Persepolis, Iran. 1975, Oxford, pergamon Press Ltd., 1976.

11- UNESCO/UNDP : "The experimental world literacy Programme : Lessons Learned from eleven projects". Final global evaluation report, UNESCO/UNDP. Paris, 1975 a.

12- UNESCO/UNDP : "The experimental world literacy Programme : report and synthesis of evaluation". (Sipa-2) UNESCO/UNDP. Paris, 1975 b.

13- UNESCO/UNDP : "The experimental world literacy Programme : A critical assessment", UNESCO/UNDP. Paris, 1976.

14- Internatioanal Council for Adult Education.: "The world of literacy: Policy,Research, and action"-IDRC (International Development Research Centre) Canada, 1979.

15- Directorate of Adult Education : "Research for NAEP-Guidelines for Proposals, Directorate of Adult Education, Ministry of Education and culture -Govt. of India, New Delhi, 1980.

DOCTORAL DISSERTATION IN ADULT EDUCATION IN INDIAN UNIVERSITIES

1- Bani, Q.S. : The Communication of ides through adult Education in India, Bombay University, 1957.

2. Kakkr, N.K. : "Workers' Education in India. Agra University, 1967.

3. Mail, M.G. : "Factors affecting retention of literacy among adultneo-literates, Shivaji University, 1974.

4- Nagia, S.K. : "A Critical Study of the development of adult education in the Punjab during the period from 1947 to 1972 Punjab University, 1978.

5- Nagia, Surender Kumar, : "A study of Industrial workers education and training in India with special reference to Madhya Pradesh, Jabalpur University, 1979.

परिशिष्ट–1

पूर्णतया गोपनीय

साक्षात्कार अनुसूची

"उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन"

प्रस्तुत प्रश्नावली का निर्माण "उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन" विषय पर एक शैक्षिक अध्ययन करने के लिए किया गया है। यह पूर्णतया विद्योचित अध्ययन है । प्रश्नावली में कुल 80 प्रश्न हैं । सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना अनिवार्य है । इस अनुसूची का उद्देश्य उत्तरदाताओं की परीक्षा लेना नहीं है अपितु इसका ध्येय केवल नवसाक्षरों की नूतन प्रवृत्तियों व जागरूकता स्तर का पता लगाना है। उत्तरदाता के द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तरों को पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा । नवसाक्षरों से प्राप्त प्रश्न का उत्तर प्रश्नों के आगे लिखित 'हाँ' या 'नहीं' 'तटस्थ' में से किसी एक के सामने (/) का निशान लगाकर प्राप्त किया जायेगा । कृपया प्रत्येक प्रश्न का वास्तविक व निष्पक्ष उत्तर दें क्योंकि शोध की प्रमाणिकता उत्तरदाताओं की अनुक्रिया पर आधारित होती है।

सहयोग की अपेक्षा के साथ ।

निर्देशिका :

डॉ0 अंजना राठौर
रीडर/अध्यक्षा,
शिक्षा विभाग, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,
झाँसी (उ0प्र0) ।

अनुसंधानकर्ता

प्रवीन कुमार

सहायक **निर्देशिक :**

डॉ0 जे0एल0 वर्मा
रीडर,
शिक्षा विभाग, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,
झाँसी (उ0प्र0) ।

2002

नव साक्षरों का सामान्य परिचय

१. नाम..

२. पिता/पति का नाम..

३. विवाहित/अविवाहित..

४. आयु-१५ वर्ष से २५ वर्ष तक/२६-३५ वर्ष तक/३६ से ४५ वर्ष तक..............................

५. नगर/ग्राम..

६. वार्ड/मोहल्ला..

७. धर्म..

८. जाति..

९. भाषा..

१०. संयुक्त/केन्द्रीय परिवार..

११. परिवेश-ग्रामीण/नगरीय..

१२. दिनांक..

आर्थिक विकास

		हां	नहीं	तटस्थ
१.	क्या निरक्षर रहते हुए आप रुपये पैसे का हिसाब व लेनदेन करने में दूसरों पर निर्भर करते थे?	( )	( )	( )
२.	साक्षर होने के बाद आप रुपये का लेन-देन पहले से बेहतर कर लेते हैं?	( )	( )	( )
३.	क्या आप कार्य करने के लिए आवश्यक कच्चे माल इत्यादि की खरीदारी भली-भांति कर लेते हैं?	( )	( )	( )
४.	क्या साक्षर होने के उपरान्त आप अपने उपभोक्ताओं को पहले से अधिक संतुष्ट कर पाते हैं?	( )	( )	( )
५.	क्या आपने अपने व्यवसाय में उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार आवश्यक परिवर्तन किए हैं?	( )	( )	( )
६.	क्या आप अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पहले से अधिक समझते हैं?	( )	( )	( )
७.	क्या आप अपने उत्पाद की लागत और उससे होने वाले लाभ का सही-सही हिसाब लगा लेते हैं?	( )	( )	( )
८.	क्या आप अपने व्यवसाय में प्रगति करने में स्वयं को पहले से अधिक सक्षम मानते हैं?	( )	( )	( )
९.	क्या साक्षर होने के उपरान्त आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है?	( )	( )	( )
१०.	क्या वर्तमान समय में आप अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हैं?	( )	( )	( )

शैक्षिक जागरुकता

	हां	नहीं	तटस्थ
११. क्या साक्षर होने के उपरान्त शिक्षा के प्रति आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आया है?	( )	( )	( )
१२. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रौढ़, युवा, बालक, स्त्री पुरुष सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है?	( )	( )	( )
१३. क्या आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के पक्ष में हैं?	( )	( )	( )
१४. क्या आप यह मानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के समान शिक्षा भी मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है?	( )	( )	( )
१५. क्या निरक्षर रहते हुए आप शिक्षा के महत्व को सही ढंग से समझते थे?	( )	( )	( )
१६. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लड़कियों के लिए घरेलु काम के साथ-साथपढ़ना भी आवश्यक है?	( )	( )	( )
१७. क्या आप एक ही विद्यालय में छात्र, छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था का समर्थन करते हैं?	( )	( )	( )
१८. क्या आप यह चाहेंगे कि आपके आस-पड़ोस में कोई निरक्षर न रहे?	( )	( )	( )
१९. क्या आप अपने सम्पर्क में आने वाले निरक्षरों को साक्षरता का महत्व समझाते हैं?	( )	( )	( )
२०. स्वयं साक्षर होने के उपरान्त क्या आप अन्य निरक्षरों को साक्षर बनाने में रूचि रखते हैं?	( )	( )	( )

सामाजिक जागरुकता

२१. क्या निरक्षर रहते हुए आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से परिचित थे?	( )	( )	( )
२२. क्या साक्षर होने के उपरानत आप समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग हुए हैं?	( )	( )	( )
२३. क्या आप समाज में उपस्थित सामाजिक संबंधों से भली-भांति परिचित हैं?	( )	( )	( )
२४. क्या अब आप सामाजिक रीतिरिवाजों में परिवर्तन करना चाहेंगे?	( )	( )	( )
२५. समाज में अच्छाइयों की वृद्धि के लिए क्या आपके व्यक्तित्त्व में कोई परिवर्तन आया है?	( )	( )	( )
२६. क्या आप मानते हैं कि निरक्षर रहते हुए आप सामाजिक समस्याओं को ठीक से समझ पाने में असमर्थ हैं?	( )	( )	( )
२७. क्या अब आप समाज में व्याप्त ऐसी बुराइयों को समझने में सक्षम हैं जो कि समाज की प्रगति में बाधक है?	( )	( )	( )
२८. क्या आप मानते हैं कि साक्षर होने के नाते इन बुराइयों को दूर करने की जिम्मेदारी सर्वप्रथम आपकी है?	( )	( )	( )
२९. क्या आप साक्षर होने से पूर्व इस विषय में कुछ सोचते थे?	( )	( )	( )

३०. क्या साक्षर होने के उपरान्त इस ओर आप [illegible]

ाजीकरण

	हां	नहीं	तटस्थ
साक्षर होने के उपरान्त आपकी अपने पड़ोसी के प्रति सहयोग की भावना जागृत हुई है?	( )	( )	( )
. क्या आप आवश्यक समझते हैं कि सद्भाव बनाये रखने के लिए मुहल्ले के लोगों के सुख-दुख में शामिल होना आवश्यक है?	( )	( )	( )
. क्या आप अपने पड़ोसियों की समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान करने की इच्छा करते हैं?	( )	( )	( )
४. क्या आप स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जनस्वास्थ्य रक्षा के लिए घोषित कार्यक्रमों में जनता की भागेदारी आवश्यक समझते हैं?	( )	( )	( )
५. साक्षर होने के बाद समाजोपयागी कार्यक्रम यथा वृक्षारोपण आदि में क्या आपकी सहभागिता बढ़ी है?	( )	( )	( )
६. विधवा, परित्यक्ता के प्रति क्या आपके मन में संवेदनशीलता जागृत हुई है?	( )	( )	( )
७. साक्षर होने के बाद विभिन्न योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति आपके मन में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हुई है?	( )	( )	( )
८. क्या आपको जनपद में कार्यरत समाजसेवी संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा है?	( )	( )	( )
९. देश में सामाजिक व्यवस्थाओं के छिन्न-भिन्न होने में क्या आप बढ़ती हुई जनसंख्या को उत्तरदायी मानते हैं?	( )	( )	( )
४०. क्या आप स्वस्थ समाज के लिए हम दो - हमारे दो की भावना में विश्वास रखते हैं?	( )	( )	( )

र्मनिरपेक्षता

४१. क्या आप धार्मिक स्वतन्त्रता के हिमायती हैं?	( )	( )	( )
४२. दूसरे धर्म के रीति रिवाजों से क्या आप किसी प्रकार का मानसिक कष्ट अनुभव करते हैं?	( )	( )	( )
४३. क्या इस देश के सभी धर्मावलम्बियों के लिए आप एक सा कानून चाहते हैं?	( )	( )	( )
४४. क्या विपरीत धर्म की पूजा-पद्धति से आपके जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है? .	( )	( )	( )
४५. क्या आप कुछ हिन्दुओं के द्वारा मजारों पर चादर चढ़ाने व कुछ मुसलमानों के द्वारा मन्दिरों में पूजा करने को आप अच्छा मानते हैं?	( )	( )	( )
४६. क्या आप यह मानते हैं कि विभिन्न धर्म परस्पर शत्रुता उत्पन्न करते हैं?	( )	( )	( )
४७. पड़ोस में दूसरे धर्मानुयायी का रहना आपको पसन्द है?	( )	( )	( )
४८. क्या आप धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति को उचित मानते हैं?	( )	( )	( )
४९. क्या निरक्षरता धार्मिक कट्टता पैदा करने में सहायक है?	( )	( )	( )

	हां	नहीं	तटस्थ
. क्या आप जातिगत व धर्माधारित भेदभाव को भुलाकर गरीबों व बेसहारा लोगों की सेवा करना अपना धर्म मानते हैं?	( )	( )	( )

<u>म्प्रदायिक सद्भाव</u>

	हां	नहीं	तटस्थ
१. क्या साक्षर होने के उपरान्त दूसरे धर्मों के प्रति आपके दृष्टिकोण में कोई सकारात्मक परिवर्तन आया है?	( )	( )	( )
२. क्या आप सभी धर्मों में समान आदर भाव व आस्था रखते हैं?	( )	( )	( )
३. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी धर्मों का लक्ष्य मानव जीवन को परिष्कृत करना है?	( )	( )	( )
४. क्या आप चाहेंगे कि सभी धर्मों, सम्प्रदायों के धार्मिक आयोजन सामूहिक रूप से मनाए जाएं?	( )	( )	( )
५५. क्या आप अपने धार्मिक आयोजन, समारोह या विवाह आदि में दूसरे धर्म सम्प्रदाय के व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहेंगे?	( )	( )	( )
५६. क्या आप मानते हैं कि शिक्षा के प्रचार-प्रसार से धार्मिक कट्टरता के वीभत्स रूप में शिथिलता आई है?	( )	( )	( )
५७. क्या आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हिन्दु, मुस्लिम, सिख या ईसाई होने से पहले आप केवल एक भारतीय हैं?	( )	( )	( )
५८. क्या आप मानते हैं कि विभिन्न धर्मों के लोगों के रहते हुए भी साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रह सकता है?	( )	( )	( )
५९. क्या आप विभिन्न धार्मिक स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि को समान श्रृद्धा की दृष्टि से देखते हैं?	( )	( )	( )
६०. क्या आप इस पक्ष में हैं कि विभिन्न धर्मों सम्प्रदायों के लोग साथ -साथ एक ही विद्यालय में पढ़ें?	( )	( )	( )

<u>आधुनिकीकरण</u>

	हां	नहीं	तटस्थ
६१. क्या साक्षर होने के उपरान्त आपमें वर्तमान समय में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के प्रति सजगता आई है?	( )	( )	( )
६२. क्या आप नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए आधुनिक संचार साधन जैसे रेडियो, टी.वी. आदि का प्रयोग करते हैं?	( )	( )	( )
६३. क्या साक्षर होने के पश्चात आप समाचार पत्र पढ़ते हैं?	( )	( )	( )
६४. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नवीन जानकारी व ज्ञान वृद्धि के लिए समाचार पत्र व पत्र-पत्रिकाएं बहुत उपयोगी हैं?	( )	( )	( )
६५. क्या समाचार पत्रों से प्राप्त होने वाली जानकारी या ज्ञान वृद्धि को आप अपने लिए उपयोगी मानते हैं?	( )	( )	( )
६६. क्या साक्षर होने के उपरान्त आधुनिक कृषि प्रणालियों कृषि यंत्रों के विषय में जानने में आप स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं?	( )	( )	( )
६७. क्या साक्षर होने के उपरान्त आपके रहन-सहन के ढंग में कोई रचनात्मक परिवर्तन आया है?	( )	( )	( )
६८. क्या आप काम करने के परम्परागत एवं रूढ़िवादी तरीकों को भी उचित मानते हैं?	( )	( )	( )

	हां	नहीं	तटस्थ
६. क्या आप अपने जीवन की कार्यप्रणाली को आधुनिकतम बनाने के पक्ष में हैं?	( )	( )	( )
०. क्या आपको अपने घर की रसोई में नई-नई आधुनिक मशीनों जैसे गैस का चूल्हा, हीटर आदि का प्रयोग पसन्द है?	( )	( )	( )

<u>स्कृतिकरण</u>

१. क्या आप भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों से परिचित हैं?	( )	( )	( )
२. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक विवेकशील व सुसंस्कृत समाज के निर्माण के लिए शिक्षा आवश्यक है?	( )	( )	( )
३. क्या आप दया, क्षमा, उदारता और ईश्वर स्मरण को जीवन में महत्व देते हैं?	( )	( )	( )
७४. क्या आप भारतीय संस्कृति के अभिन्न तत्व सर्वधर्म समभाव व अहिंसा पालन को स्वीकार करते हैं?	( )	( )	( )
७५. क्या आप भारतीय जीवन शैली के तीन शाश्वत आर्दश मूल्य-सत्यं शिवं और सुन्दरम् में विश्वास रखते हैं?	( )	( )	( )
७६. क्या आप भारतीय दर्शनों व वेदों में आस्था रखते हैं?	( )	( )	( )
७७. क्या आप मूल्य आधारित जीवन जीने के प्रयास का स्वागत करेंगे?	( )	( )	( )
७८. क्या आप सत्य-असत्य, अच्छे-बुरे, न्याय-अन्याय में स्वयं भेद करने में सक्षम हैं?	( )	( )	( )
७९. क्या आप यह मानते हैं कि ईश वन्दना व प्रेरक प्रसंग बच्चों को सद्मार्ग की ओर उन्मुख करते हैं?	( )	( )	( )
८०. क्या आप भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र "तसुधैव फुटुम्बकम" का समर्थन करते हैं?	( )	( )	( )